शैक्षिक मंथन

(द्विभाषी मासिक)

शैक्षिक क्षेत्र की प्रतिनिधि पत्रिका

वर्ष : 13 अंक : 4 1 नवम्बर 2020

कार्तिक-मार्गशीर्ष, विक्रम संवत् 2077

संस्थापक
स्व. मुकुन्दराव कुलकर्णी

❖

परामर्श
के.नरहरि
डॉ. विमल प्रसाद अग्रवाल
जगदीश प्रसाद सिंघल
शिवानन्द सिन्दनकेरा

❖

सम्पादक
डॉ. राजेन्द्र शर्मा

❖

सह सम्पादक
भरत शर्मा

❖

संपादक मंडल
प्रो. नन्दकिशोर पाण्डेय
डॉ. एस.पी. सिंह
डॉ. ओमप्रकाश पारीक
डॉ. शिवशरण कौशिक

❖

प्रबन्ध सम्पादक
महेन्द्र कपूर

❖

व्यवस्थापक
बजरंग प्रसाद मजेजी

❖

प्रेषण प्रभारी : **नौरंग सहाय**

कार्यालय प्रभारी :
आलोक चतुर्वेदी : 8619935766

प्रकाशकीय कार्यालय
82, पटेल कॉलोनी, सरदार पटेल मार्ग,
जयपुर (राजस्थान) 302001
दूरभाष : 9414040403

दिल्ली ब्यूरो :
शैक्षिक महासंघ सदन, 606/13,
कृष्णा गली नं.9, मौजपुर, दिल्ली-110053
दूरभाष : 011-22914799

E-mail :
shaikshikmanthan@gmail.com
Visit us at :
www.shaikshikmanthan.com

एक प्रति ₹ 25/- वार्षिक शुल्क ₹ 250/-
आजीवन (दस वर्ष) ₹ 2000/-

पृष्ठ संयोजन : सागर कम्प्यूटर, जयपुर

शैक्षिक मंथन मासिक में प्रकाशित सामग्री से संपादक मण्डल का सहमत होना आवश्यक नहीं है तथा चित्रों का प्रतीकात्मक प्रयोग किया गया है।

स्वावलम्बी, समर्थ व समृद्ध भारत

❑ **प्रो. भगवती प्रकाश शर्मा**

भारत में हमें स्वदेशी या स्थानीय या 'मेड बाई भारत' वस्तुओं व ब्राण्डों के प्रवर्तन व अपनी खरीददारी में उन्हें ही अपनाकर विश्व का आर्थिक नेतृत्व करने की दिशा में द्रुत गति से आगे बढ़ना होगा। देश में उच्च राष्ट्रनिष्ठा का प्रदर्शन कर स्वदेशी या 'मेड बाई भारत' वस्तुओं को समर्थन और उच्च गुणवत्ता के स्वदेशी उत्पादों के प्रवर्तन व संवर्द्धन के लिये प्रौद्योगिकी विकास हेतु चीन, ताईवान, जापान, अमेरिका व यूरोप आदि की भांति तकनीकी राष्ट्रवाद का देश में अनुसरण करना आवश्यक होगा।

5

अनुक्रम

4.	सम्पादकीय	- डॉ. राजेन्द्र शर्मा
8.	व्यावसायिक शिक्षा की नई संकल्पना	- प्रो. रसाल सिंह
12.	आत्मनिर्भर भारत और अभिभावक : एक दृष्टिकोण	- डॉ. दीपक कुमार शर्मा
14.	नई शिक्षा नीति में आत्मनिर्भर भारत की झलक	- डॉ. सतीश कुमार
16.	आत्म निर्भर भारत का मार्ग है नई शिक्षा नीति	- भारती दशोरा
18.	आत्मनिर्भर भारत अभियान और भारतीयता	- डॉ. रेखा यादव
20.	दीनदयाल जी की दृष्टि में आत्मनिर्भर भारत	- प्रो. चक्रधर त्रिपाठी
22.	आत्मनिर्भर भारत की नींव : राष्ट्रीय शिक्षा नीति	- डॉ. सुरेश कुमार सोनी
24.	शिक्षा पहेली का समाधान : नई शिक्षा नीति 2020	- डॉ. राजेश जांगिड़
26.	आत्मनिर्भर भारत में शिक्षा की संकल्पना	- डॉ. निर्भय कुमार
30.	Global Quality for Indian Educational	- Dr. Sudhir Singh
32.	NEP 2020 : Autonomy vs Commercialization...	- Dr. R.K. Pandey
34.	सबमें राम, सबके राम	- आरिफ मोहम्मद खान
36.	अयोध्या सम्पूर्ण मानवजाति के उत्थान का संकल्प है	- प्रो. नन्द किशोर पाण्डेय
40.	भारतीय दर्शन में ज्ञान	- प्रो. मंजीत सेन गुप्त
42.	ऑनलाइन शिक्षा और उभरती नई समस्याएँ	- डॉ. ओम प्रभात अग्रवाल

Online education and ambitious students

❑ **Dr. TS Girishkumar**

Students must be encouraged to go online and bring something different or new, something the teacher did not or could not provide, and something that brings knowledge to the teachers too. Once encouraged in this, the students shall outperform many other routine students. Of course, such innovations can only be for the ambitious students in the beginning, none-theless, in due time, this shall become routine to most, and we may see only two types of students in front of us, the ambitious students and the very ambitious students.

28

संपादकीय

डॉ. राजेन्द्र शर्मा
सम्पादक

हर व्यक्ति, समाज और राष्ट्र आत्मनिर्भर होना चाहता है। आत्मनिर्भरता हर एक का स्वप्न होता है क्योंकि 'पराधीन सपनेहुँ सुख नाहीं।' एक देश की ताकत उसकी आत्मनिर्भरता में ही होती है। आत्मनिर्भरता की अवधारणा संकुचित नहीं है। केवल आत्मकेन्द्रित होना, स्वयं के लिए ही सब करना, स्वयं पर ही निर्भर होना, अन्य लोगों और देशों से सम्पर्क नहीं रखना, आयात को प्रतिबंधित करना.... आत्मनिर्भरता नहीं है। वस्तुत: यह वैश्वीकरण के विरोध में नहीं है अपितु वसुधैव कुटुम्बकम एवं सर्वसमावेशी विकास से संबंधित है। आत्मनिर्भर व्यवस्था से देश में उत्तम एवं गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं का उत्पादन एवं सेवाओं का सृजन होता है तथा देश के साथ-साथ सम्पूर्ण विश्व को इनके उपयोग का अवसर मिलता है। इस तरह वैश्विक अर्थव्यवस्था में राष्ट्र की भूमिका बढ़ती है। सही मायने में तो आत्मनिर्भरता अर्थकेन्द्रित वैश्वीकरण से मानवकेन्द्रित वैश्वीकरण है।

यह तथ्य बार-बार प्रकट हो रहा है कि कोरोना महामारी का विश्व के सभी देशों की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है। इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए भारत में लगभग ढाई माह पूर्णतया लॉकडाउन रहा। इस दौरान आर्थिक गतिविधियाँ ठप्प हो गई। काम-धंधे बंद होने से करोड़ों लोगों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया। लॉकडाउन का सबसे बुरा असर उस वर्ग पर पड़ा जो रोज कुआँ खोदकर पानी पीता है। प्रमुखतया लॉकडाउन की वजह से ही अप्रैल-जून 2020 की तिमाही में देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 23.9 प्रतिशत की भारी गिरावट आई है। जीडीपी में इस गिरावट के बीच कृषि, वानिकी और मत्स्यपालन ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र रहा है जिसमें 3.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। यानी प्रकाश की किरण गाँवों से आ रही है। कृषि क्षेत्र न केवल मंदी की मार से अछूता रहा है बल्कि अर्थव्यवस्था की स्थिति को सुदृढ़ करने में इसकी भूमिका और भी महत्त्वपूर्ण हो गई है। देश की पैंसठ प्रतिशत जनसंख्या साढ़े छह लाख से ज्यादा गाँवों में निवास करती है। जनसंख्या के इतने बड़े हिस्से के आत्मनिर्भर होने का आशय देश के आत्मनिर्भर हो जाने की तरह ही है। महात्मा गाँधी की ग्राम स्वराज की कल्पना भी इसी तथ्य को रेखांकित करती है। इसलिए शासन ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कृषि सुधार के ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। कृषि की तरह औद्योगिक क्षेत्र में भी भारत के लिए अपार सम्भावनाएँ हैं। कोरोना महामारी के फैलाव के बाद बहुत सारी विदेशी कम्पनियों ने चीन से निकल कर भारत में अपना कारोबार करने में रुचि दिखाई है। भारत यदि ऐसी दिग्गज विदेशी कम्पनियों को गुणावगुण के आधार पर अवसर प्रदान करता है और चीन से आयात की जाने वाली वस्तुओं और कच्चे माल को अपने यहाँ बनाना प्रारम्भ कर देता है तो आत्मनिर्भरता की दिशा में यह एक महत्त्वपूर्ण कदम होगा।

आत्मनिर्भरता के प्रमुख घटकों में शिक्षा का महत्त्वपूर्ण स्थान है। देश और उसके नागरिकों और शिक्षार्थियों की आकांक्षाओं को पूरा करने का माध्यम शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा नीति होती है। इस दृष्टि से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी) में हर छात्र को आगे बढ़ने तथा सशक्त एवं स्वावलम्बी बनने का मार्ग दिखाया गया है। यथार्थत: हर बालक में सीखने, सृजन और अर्जन करने की विशिष्ट क्षमता होती है। आवश्यकता उस क्षमता को स्वीकार करने, पहचानने और उसके विकास हेतु प्रयास करने की होती है। शिक्षा नीति में इस तत्त्व को समाहित करते हुए प्रत्येक में उच्चतर स्तर की तार्किक और समस्या समाधान संबंधी संज्ञानात्मक क्षमताओं एवं कौशल का विकास करने पर बल दिया गया है। आज की तेजी से बदलती दुनिया में सभी विद्यार्थियों को एक सफल और उत्पादक व्यक्ति बनने के लिए कुछ विषयों, कौशलों और क्षमताओं को सीखना भी जरूरी है। कौशल के लिए व्यावसायिक शिक्षा की विषय सामग्री, प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक कार्य का रूप ऐसा हो कि छात्र रोजगार पाने या स्वयं का कारोबार चलाकर अन्य को रोजगार देने में समर्थ हो सके। उन्हें व्यावहारिक प्रशिक्षण संबंधित व्यावसायिक/ औद्योगिक केन्द्रों पर दिया जाए ताकि वे व्यावहारिक परिस्थितियों में कार्य करना एवं निर्णय लेना सीख सकें। दुर्भाग्य से भारत में कार्यरत लोगों में से 5 प्रतिशत से भी कम लोग औपचारिक व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त हैं। जबकि यह संख्या दक्षिण कोरिया में 96 प्रतिशत, जर्मनी में 75 प्रतिशत और अमेरिका में 52 प्रतिशत है। पर अब स्थितियाँ बदलने लगी है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इसी अक्टूबर माह में स्वीकार किया है कि भारत ने विश्व की एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति के तौर पर पहचान बनाई है तथा आज भारत के पास वैश्विक आर्थिक एजेंडे को आकार देने की ताकत है। डिजिटल क्षेत्र में तो देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक कौशल प्रशिक्षित युवाओं को तैयार करने के लिए केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सार्थक पहल की है। डिजिटल क्षेत्र के साथ-साथ भारतीय ज्ञान-विज्ञान, कला, साहित्य, संस्कृति, डेटा साईंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजाइन थिंकिंग, वैश्विक नागरिक शिक्षा, कोडिंग और कम्प्यूटेशनल चिंतन, पर्यावरण, फिटनेस जैसे विषयों व क्षेत्रों में कौशलता विकसित होने पर भारतीय छात्र सुसंस्कृत एवं समृद्ध भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए विश्व कल्याण में योगदान कर सकेंगे और सही अर्थों में वैश्विक नागरिक का दायित्व निभा सकेंगे। ❑

भारत में हमें स्वदेशी या स्थानीय या 'मेड बाई भारत' वस्तुओं व ब्राण्डों के प्रवर्तन व अपनी खरीददारी में उन्हें ही अपनाकर विश्व का आर्थिक नेतृत्व करने की दिशा में द्रुत गति से आगे बढ़ना होगा। देश में उच्च राष्ट्रनिष्ठा का प्रदर्शन कर स्वदेशी या 'मेड बाई भारत' वस्तुओं को समर्थन और उच्च गुणवत्ता के स्वदेशी उत्पादों के प्रवर्तन व संवर्द्धन के लिये प्रौद्योगिकी विकास हेतु चीन, ताईवान, जापान, अमेरिका व यूरोप आदि की भांति तकनीकी राष्ट्रवाद का देश में अनुसरण करना आवश्यक होगा।

स्वावलम्बी, समर्थ व समृद्ध भारत

प्रो. भगवती प्रकाश शर्मा

कुलपति
गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय,
ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश

भारत विश्व की सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि, सर्वोच्च युवा जनसंख्या और सर्वाधिक सूक्ष्म व लघु उद्योग युक्त देश है। सम्पूर्ण यूरोप की 74 करोड़ जनसंख्या की तुलना में भारत की 138 करोड़ जनसंख्या, 127 प्रकार के कृषि जलवायु क्षेत्र और विश्व का विशालतम शिक्षण तंत्र आदि भारत को एक महाद्वीपीय स्वरूप प्रदान करते हैं। देश में उपलब्ध जल संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग से हम अपनी सम्पूर्ण 18 करोड़ हेक्टर कृषि योग्य भूमि को भी सिंचित क्षेत्र में बदल सकते हैं। वर्तमान में देश का सिंचित क्षेत्रफल 07 करोड़ हेक्टर है, उसे बढ़ाकर 14 करोड़ हेक्टर कर लेने पर भारत विश्व की दो तिहाई जनसंख्या की खाद्य आपूर्ति कर खाद्य महाशक्ति बन सकता है। विश्व की तीसरी विशालतम तकनीकी जनशक्ति के बल पर भारत आज, विश्व में क्रमांक एक का औद्योगिक उत्पादन केन्द्र बनने में भी समर्थ है। इसके लिए आयातों व विदेशी निवेश पर निर्भरता कम करने की दिशा में पहल करनी होगी। वैश्विक महानुमाप उत्पादन अर्थात वर्ल्ड मेन्यूफेक्चरिंग में चीन के 28 प्रतिशत अंश की तुलना में भारत का अंश आज मात्र 3 प्रतिशत है। ऐसे में स्वदेशी व स्वावलम्बन के साथ केवल 'मेड बाई भारत' वस्तुओं व सेवाओं को अपनाने व बढ़ावा देने से ही देश को महानुमाप उत्पादन में शीर्ष पर ले जाया जा सकता है।

स्वावलम्बन का आधार-स्वदेशी

हम अपनी आवश्यकता पूर्ति या उपयोग हेतु क्रय की जाने वाली सभी वस्तुओं व सेवाओं में 'स्वदेशी' अर्थात् 'मेड बाई भारत' वस्तुओं व ब्राण्डों को प्राथमिकता देकर हम देश में उत्पादन, रोजगार, आय व सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि के साथ सरकार के राजस्व में वृद्धि और व्यापार घाटे को नियंत्रित कर सकेंगे। इससे रुपया सुदृढ़ होगा, उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास होगा और समावेशी विकास का लक्ष्य प्राप्त हो सकेगा।

जापान का वैश्विक जनसंख्या में मात्र 1.6 प्रतिशत अंश होने पर भी प्रबल स्वदेशी व स्वावलम्बन की भावना के कारण वर्ल्ड मेन्यूफेक्चरिंग में उसका अंश विगत 3 दशकों में निरन्तर 7 से 12 प्रतिशत तक रहा है। जापान में केवल 4 प्रतिशत विदेशी कारें बिकती हैं और 96 प्रतिशत स्वदेशी अर्थात मेड बाई जापान कारें बिकती हैं। भारत में आज केवल 13 प्रतिशत कारें ही स्वदेशी या 'मेड बाई भारत' (टाटा व महिन्द्रा) की और शेष 87 प्रतिशत कारें विदेशी कम्पनियों की बिकती हैं। ये विदेशी कम्पनियाँ उनके पुर्जे बाहर से लाकर देश में एसेम्बल करती है। जापान में खाद्य पदार्थों से लेकर टीवी, मोबाइल सहित सभी वस्तुओं व सेवाएँ जो चाहे सस्ती हो या मँहगी हो या उनकी गुणवत्ता में कितना ही अन्तर रहे केवल मेड बाई जापान ही बिकती है।

स्वदेशी अर्थात् 'मेड बाई इण्डिया'

आज शीतल पेय, साबुन, पेस्ट व कपड़े धोने का पाउडर व जूतों के पॉलिश से लेकर मोबाइल फोन, टीवी, फ्रिज आदि की 70 से 100 प्रतिशत उत्पादन क्षमता पर विदेशी कम्पनियों का स्वामित्व है। इनमें अधिकांश के उत्पादन की नाम मात्र की क्रिया देश में सम्पन्न कर उन उत्पादों पर मेड इन इण्डिया लिख दिया जाता है और विदेशी कम्पनियाँ 'मेक इन इण्डिया' के नाम पर सारे पुर्जे या उनका सामग्री बाहर से लाकर यहाँ एसेम्बल मात्र करती हैं, लाभ विदेशों में जाता है। उनके

सभी आदाय व पुर्जे विदेश में बनने से वह सारा रोजगार सृजन व मूल्य संवर्द्धन विदेशों में ही होता है। नब्बे के दशक के आरम्भ में, आयात व विदेशी निवेश प्रोत्साहन की नीतियों के प्रारम्भ किये जाने से पहले देश में शत प्रतिशत टी.वी, फ्रिज, शीतल पेय, सीमेन्ट, स्वचालित वाहन आदि अधिकांश वस्तुएँ पूर्ण 'स्वदेशी' या 'मेड बाई भारत' श्रेणी की ही थीं। वैश्वीकरण के अन्तर्गत आयात उदारीकरण से और विदेशी निवेश प्रोत्साहन के चलते भारतीय उद्यम रुग्ण या बन्द होते गये अथवा उन्हें विदेशी कम्पनियों द्वारा अधिग्रहीत कर लिया गया। उदाहरण के लिए भारतीय रेफ्रिजिरेटर कम्पनी केल्वीनेटर को अमेरिकी कम्पनी व्हर्लपूल द्वारा, बिरला समूह की आल्विन को व एक अन्य कम्पनी महाराजा इण्टरनेशनल को स्वीडिश कम्पनी इलेक्ट्रोलक्स द्वारा अधिग्रहीत किये जाने के पूर्व सारे रेफ्रिजिरेटर स्वदेशी थे। टाटा समूह आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के सीमेण्ट संयत्रों, ए.सी.सी. के सीमेंट संयत्रों, बिरला समूह में रेमण्ड व जुआरी के सीमेण्ट संयत्रों, गुजरात अम्बुजा आदि का यूरोपीय कम्पनियों लाफार्ज, हाल्सिम आदि द्वारा अधिग्रहण के पूर्व सारी सीमेण्ट भारतीयों द्वारा ही बनाई जाती थी। विगत 29 वर्षों में बोतलबन्द पानी, शीतल पेय, आइसक्रीम, साबुन, सौन्दर्य प्रसाधन से लेकर फ्रिज व सीमेण्ट पर्यन्त देश के

समावेशी विकास के लिए हमें समेकित ग्राम विकास पर बल देकर हमें ग्राम संकुलों (Village Clusters) में विकेन्द्रित उत्पादन, ग्रामीण उद्योगों के विकास लघु उद्योग संकुलों, कृषक उत्पादन संगठनों (फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन), ग्रामोद्योग व कृषि को देशज एवं अन्तरराष्ट्रीय खाद्य श्रृंखलाओं के केन्द्र के रूप में विकसित करना चाहिये।

उत्पादन संयत्रों के विदेशी स्वामित्व में जाने के क्रम में प्रश्न यह उभरता है कि देश के उद्योग व्यापार वाणिज्य व कृषि के ऊपर किसका नियन्त्रण रहेगा? कृषि पर भी दृष्टि डालें तो अमेरिकी कम्पनी देश में ठेके पर गेहूँ की खेती करवा कर अपना नेचर फ्रेश आटा बाजार में बेचती है या यूरोपीयन कम्पनी लीवर अन्नपूर्णा आटा, टमाटर सास, आलू के चिप्स आदि बाजार में लाने के लिए ठेके पर खेती कराती है। ऐसे खेत खलिहान से रसोई घर तक की खाद्य आपूर्ति श्रृंखला के विदेशी कम्पनियों के नियन्त्रण में जाने जैसे अनेक

उदाहरण हैं। इसलिये स्वावलम्बन का प्रथम मंत्र है – स्वदेशी और उसमें मात्र मेड इन इण्डिया नहीं वरन – 'मेड बाई इण्डिया या मेड बाई भारत' उत्पादों व ब्राण्डों के प्रवर्तन की आवश्यकता है। केवल 'मेड इन इण्डिया' लिखे उत्पाद या 'मेक इन इण्डिया' के नाम पर हिस्से पुर्जे बाहर से लाकर उन्हें देश में एसेम्बल मात्र कर उन पर 'मेड इन इण्डिया' लिख दिये जाने से देश में समृद्धि ला पाना सम्भव नहीं हैं और ऐसी वस्तुओं को स्वदेशी भी नहीं कहा जा सकता है। केवल 'मेड बाई भारत' वस्तुएँ ही स्वदेशी हैं। उदाहरण – रॉबिन जूते का पॉलिश, बजाज का बल्ब व टाटा, महिन्द्रा की कारें मेड बाई भारत हैं। चेरी पॉलिश, फिलिप्स बल्ब और सुजुकी, होण्डा आदि की कारें मेड बाई इण्डिया लिखी होने पर भी विदेशी कम्पनियों के विदेशी ब्राण्ड होने से वे विदेशी ही रहेंगी। उनके चलन से देश में समृद्धि सम्भव नही है।

उदीयमान उद्योगों के लिए उचित पारिस्थितिकी तंत्र व तकनीकी राष्ट्रवाद

देश आज 2जी, 3जी, 4जी व 5जी टेलीकाम टेक्नालॉजी, बायो मेडिकल उपकरण, आर्टिफिसियल इण्टेलिजेन्स आधारित निदान व चिकित्सा उत्पाद से लेकर अधिकांश कम्प्यूटर हार्डवेयर, मेट्रो रेल का रोलिंग स्टॉक, सुपर फास्ट ट्रेन, कम्प्यूटर आपरेटिंग सिस्टम, डाटा विश्लेषण सॉफ्टवेअर प्रोडक्ट्स, आवश्यक रसायन, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इनग्रेडिएण्ट्स, उन्नत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के लिए चीनी व विदेशी कम्पनियों पर आश्रित है, उसमें भी स्वावलम्बन लाना होगा।

वर्तमान चतुर्थ औद्योगिक क्रान्ति (4IR) के दौर में बैट्री चलित या हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित कारें, बस व अन्य वाहन कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित निदान चिकित्सा सम्बन्धी सेवा उत्पाद, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, 3 डी प्रिंटिंग, ब्लॉक चेन, आई ओटी, बुलेट ट्रेन, जैव प्रौद्योगिक आधारित औषधियाँ अन्य उत्पाद, पाँचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान

आदि के लिए भी देश में अनुसन्धान, उत्पाद विकास व उनके उत्पादन की क्षमता विकसित करनी होगी। इस हेतु उदार राजकोषीय सहायता व समर्थन की भी आवश्यकता रहेगी।

प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वावलम्बन का कोई विकल्प नहीं है। आज उन्नत प्रौद्योगिकी में निवेश व राजकोषीय सहायता के अभाव में वर्ल्डशिप बिल्डिंग में भारत का अंश 1 प्रतिशत से भी न्यून है। जबकि कोरिया का अंश 24 प्रतिशत है भारत की तुलना में, सिंगापुर व चीन के उच्च प्रौद्योगिकी निर्यात क्रमशः 7.5 प्रतिशत गुने व 30 गुने हैं। अन्तरराष्ट्रीय वस्त्र निर्यात में भारत का अंश 6.5 प्रतिशत रहा है, वह घटकर 3 प्रतिशत से भी घट गया है।

समेकित ग्राम विकास, कृषि व खाद्य तंत्र का एकीकरण हेतु संसाधन आवंटन

समावेशी विकास के लिए हमें समेकित ग्राम विकास पर बल देकर हमें ग्राम संकुलों (Village Clusters) में विकेन्द्रित उत्पादन, ग्रामीण उद्योगों के विकास लघु उद्योग संकुलों, कृषक उत्पादन संगठनों (फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन), ग्रामोद्योग एवं कृषि को देशज व अन्तरराष्ट्रीय खाद्य श्रृंखलाओं के केन्द्र के रूप में विकसित करना चाहिये। प्रत्येक तहसील, तालुका या मण्डल में कितना पशुधन है? यहाँ कितने लोग काम करने योग्य हैं? वहाँ पर किस प्रकार के प्राकृतिक संसाधन हैं कौन सी कृषि उपज होती है? वहाँ की कृषि सामर्थ्य किस तरह की है? किस प्रकार के कुटीर, सूक्ष्म, लघु व बड़े उद्योग हैं? इन सबके आधार पर वहाँ पर किस प्रकार के उद्यमों व कार्यों पर आधारित विकास की रचना होनी चाहिए? यह सभी विचार करके वैसी योजना विकसित करनी होगी।

उद्योग संकुलों का विकास देश में 400 आज प्रमुख उद्योगों के व 7000 सूक्ष्म उद्योगों के संकुल (Industry Clusters) है। इन उद्योग संकुलों में भारी उतार-चढ़ाव या आरोह-अवरोह के दौर आते रहते हैं। अनेक उद्योग संकुल चीनी

व अन्य आयातित उत्पादों की स्पर्धा के कारण समस्याग्रस्त या विलोपन के कगार पर भी है। देश के ऐसे उद्योग संकुल समस्याग्रस्त नहीं होवें, उनमें कार्यरत सभी छोटे-बड़े उद्योग, उनके लिये साज सामान बनाने वाले उद्योग भी प्रगति करें और उनकी प्रौद्योगिकी, स्पर्धा क्षमता, आय, उपार्जन क्षमता, उनके उत्पादों की गुणवत्ता वैश्विक बाजारों पर पकड़, उनके ब्राण्डों की वैश्विक बाजारों के प्रतिष्ठा, वहाँ पर बिक्री, उनकी उत्पादन लागतों में मितव्ययता और लाभ सभी में वृद्धि हो इस हेतु इन उद्योग संकुलों को (Industry Clusters) में से प्रत्येक को उद्योग सहायता संघ (Industry Consortium) में बदलना आवश्यक है।

औद्योगिक देशों में ऐसे सैकड़ों उदाहरण सभी प्रकार के कंसोर्टियम अर्थात् उद्योग सहायता संघों के मिल जायेंगे। चाहे उर्ध्व सहायता संघ हो या क्षैतिजिक उद्योग सहायता संघ। संयुक्त रूप से व शासकीय सहयोग से स्पर्द्धा पूर्व अनुसंधानों से लेकर बाजार अनुसन्धान उन्नत उत्पाद विकास और कच्चे माल की सामूहिक व्यवस्था तक करते है। सभी सदस्य उद्यम उसका लाभ समान रूप से हटाने को अधिकृत होते हैं।

विकास चक्र का आधार-स्वदेशी, ग्राम स्वावलम्बन व तकनीकी राष्ट्रवाद

भारत में हमें स्वदेशी या स्थानीय या 'मेड बाई भारत' वस्तुओं व ब्राण्डों के प्रवर्तन व अपनी खरीददारी में उन्हें ही अपनाकर विश्व का आर्थिक नेतृत्व करने की दिशा में द्रुत गति से आगे बढ़ना होगा। देश में उच्च राष्ट्रनिष्ठा का प्रदर्शन कर स्वदेशी या 'मेड बाई भारत' वस्तुओं को समर्थन और उच्च गुणवत्ता के स्वदेशी उत्पादों के प्रवर्तन व संवर्द्धन के लिये प्रौद्योगिकी विकास हेतु चीन, ताईवान, जापान, अमेरिका व यूरोप आदि की भांति तकनीकी राष्ट्रवाद का देश में अनुसरण करना आवश्यक होगा। स्वदेशी से आर्थिक स्वावलम्बन व तकनीक विकास, रोजगार वृद्धि, देश की जनता की आय में वृद्धि उससे पुनः माँग वृद्धि, उत्पादन वृद्धि, रोजगार सृजन और आय वृद्धि के अनवरत विकास चक्र को गतिमान किया जा सकेगा। इसी क्रम में ग्राम स्वावलम्बन भी परम आवश्यक है। देश की 74 प्रतिशत जनसंख्या गाँवों में निवासरत है। और 50 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर अवलम्बित है। इसलिए जीरो-टेक्नालॉजी व लो-टेक्नालॉजी वाले उद्योग व कृषि उत्पादों में मूल्य संवर्द्धनकारी उद्योगों का विकास ग्रामीण क्षेत्रों में करना होगा। देश के वर्तमान उत्पादन विकास क्षेत्रों में करना होगा। देश के वर्तमान उत्पादन तंत्र और आगामी दशकों में उभरने वाले उदीयमान उद्योगों के लिए प्रौद्योगिकी विकास भी परम आवश्यक है। देश के लिए उपयोगी व आवश्यक प्रौद्योगिकी के विकास हेतु, अन्य औद्योगिक देशों की भांति तकनीकी राष्ट्रवाद का भी अनुसरण भी स्वावलम्बन की महत्त्वपूर्ण आवश्यकता है। ❑

व्यावसायिक शिक्षा की नई संकल्पना

प्रो. रसाल सिंह
अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
जम्मू केन्द्रीय
विश्वविद्यालय, जम्मू

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 शिक्षा क्षेत्र के प्रत्येक आयाम में आमूल-चूल परिवर्तन की पक्षधर है। यह नीति शिक्षण पद्धतियों, शिक्षण माध्यम, अधिगम परिणामों, मूल्यांकन प्रक्रिया, पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों में बदलाव की हिमायती है। शिक्षण संस्थानों के आधारभूत ढाँचे और प्रशासनिक व्यवस्थाओं और नियामक संस्थाओं के स्वरूप और संरचना में बदलाव के द्वारा उत्कृष्टता और समावेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के महत्त्वाकांक्षी संकल्प की भी अभिव्यक्ति है। यह शिक्षा नीति वर्तमान व्यवस्था की खामियों की पहचान और पड़ताल करते हुए बेहतरी का मार्ग प्रशस्त करती है। व्यावसायिक शिक्षा क्षेत्र के सन्दर्भ में की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अनुशंसाएँ भी इसी लक्ष्य-बोध से उत्प्रेरित हैं।

भारत में व्यावसायिक शिक्षा प्राय: सामान्य उच्च शिक्षा से 'ड्रॉपआउट' होने वाले छात्रों या फिर आर्थिक-सामाजिक रूप से वंचित तबकों का अंतिम शरण्य रही है। यह भी माना जाता है कि जो छात्र-छात्रा मुख्य धारा की शिक्षा के साथ सामंजस्य नहीं बैठा पाते, वे ही व्यावसायिक शिक्षा की ओर उन्मुख होते हैं। इससे उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा और स्वीकार्यता बहुत कम रही है। अभी तक व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा की शिक्षा से कम महत्त्व की शिक्षा माना जाता रहा है।

उल्लेखनीय है कि बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) में 19-24 आयुवर्ग वाले भारतीय युवावर्ग में से महज 5 प्रतिशत ने ही औपचारिक व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त की थी; जबकि अमेरिका में यह संख्या 52 प्रतिशत, जर्मनी में 75 प्रतिशत और दक्षिण कोरिया में सर्वाधिक 96 प्रतिशत है। इन आँकड़ों से साफ पता चलता है कि भारत में व्यावसायिक शिक्षा की दशा अत्यंत शोचनीय है। व्यावसायिक शिक्षा सीधे-सीधे रोजगार संभावनाओं और देश की उत्पादकता को प्रभावित करने वाली शिक्षा है। हालाँकि, भारत में व्यावसायिक शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों/केन्द्रों के प्रति जनमानस का दृष्टिकोण प्राय: उपेक्षापूर्ण ही रहा है। आई.आई.टी., आई.आई.एम. और कुछ प्रतिष्ठित मेडिकल शिक्षा संस्थान अवश्य इसके अपवाद हैं। भारत में व्यावसायिक शिक्षा प्राय: सामान्य उच्च शिक्षा से 'ड्रॉपआउट'

होने वाले छात्रों या फिर आर्थिक-सामाजिक रूप से वंचित तबकों का अंतिम शरण्य रही है। यह भी माना जाता है कि जो छात्र-छात्रा मुख्य धारा की शिक्षा के साथ सामंजस्य नहीं बैठा पाते, वे ही व्यावसायिक शिक्षा की ओर उन्मुख होते हैं। इससे उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा और स्वीकार्यता बहुत कम रही है। अभी तक व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा की शिक्षा से कम महत्त्व की शिक्षा माना जाता रहा है। इसके अलावा व्यावसायिक विषयों के साथ विद्यालयी शिक्षा पूरी करने वाले छात्रों के लिए उच्च शिक्षा के अवसर भी सीमित ही रहे हैं। आई.टी.आई., पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, नर्सिंग आदि की पढ़ाई छोटा-मोटा रोजगार तो देती है, किन्तु सामाजिक सम्मान और उच्च शिक्षा के अवसर प्राय: नहीं देती। इन संस्थानों से पढ़ाई करने वाले छात्र दो दशक पहले तक कम-से-कम रोजगार तो प्राप्त कर लेते थे, परन्तु आर्थिक उदारीकरण और निजीकरण की आँधी के बाद कुकुरमुत्तों की तरह हर गली-मोहल्ले में खुले इंजीनियरिंग कॉलेजों ने इन रोजगार-प्रदाता व्यावसायिक संस्थानों को भी उजाड़ डाला। इसीलिए भारत में व्यावसायिक शिक्षा को पुनर्गठित करने की आवश्यकता लम्बे समय से महसूस की जा रही थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस समस्या को संबोधित करते हुए इसके बेहतर भविष्य के प्रति आश्वस्त करती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को बहु-विषयक शिक्षा संस्थानों में प्रोन्नत/ परिवर्तित करने का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक जिले में उच्च गुणवत्ता वाला कम-से-कम एक बहु-विषयक संस्थान बनाने की योजना है। इससे अगले एक दशक में व्यावसायिक शिक्षा को चरणबद्ध ढँग से सभी स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों में एकीकृत किया जायेगा। इस नीति का उद्देश्य व्यावसायिक शिक्षा से जुड़ी सामाजिक पदानुक्रम और अप्रतिष्ठा की स्थिति को समाप्त करते हुए शिक्षा को समग्रतावादी और सर्वांगीण विकास केन्द्रित बनाना है। व्यावसायिक शिक्षा के फोकस एरिया का निर्धारण 'स्किल गैप एनालिसिस' और क्षेत्र विशेष में उपलब्ध अवसरों के आधार पर किया जायेगा। शिक्षा मंत्रालय इस परियोजना की देखरेख के लिए व्यावसायिक शिक्षा के विशेषज्ञों, उद्योगों और व्यावसायिक मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर एक उच्चस्तरीय 'नेशनल कमेटी फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ़ वोकेशनल एजुकेशन' का गठन करेगा। सर्वप्रथम कुछ चुनिन्दा संस्थान इस दिशा में आगे बढ़ेंगे और उनके द्वारा विकसित मॉडल और पद्धतियों को अपनाते हुए अन्य संस्थान भी व्यावसायिक शिक्षा के विस्तार और विकास की दिशा में काम करेंगे। इस प्रकार व्यावसायिक शिक्षा सिर्फ व्यावसायिक संस्थानों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों में उसके समावेशन से उसका व्यापक विस्तार संभव होगा।

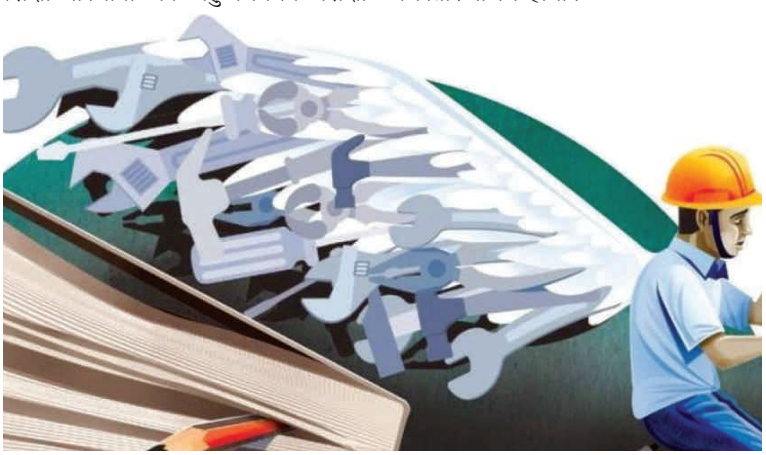

व्यावसायिक शिक्षा की नई व्यवस्था में व्यावसायिक पाठ्यक्रम चुनने वाले शिक्षार्थियों को सामान्य पाठ्यक्रमों जैसा ही महत्त्व और प्रतिष्ठा प्राप्त होगी और उनके लिए अप्रेंटिसशिप और इंटर्नशिप की भी व्यवस्था की जाएगी। राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एन.एस.क्यू.एफ.) को प्रत्येक विषय/ व्यवसाय/रोजगार के अनुरूप विकसित करते हुए अभूतपूर्व विस्तार प्रदान किया जाएगा। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में 'हैंड्सऑन प्रैक्टिस' (व्यावहारिक ज्ञान/अनुप्रयोग) पर विशेष बल दिया जाएगा। साथ ही, इन पाठ्यक्रमों से अर्जित क्रेडिट्स को किसी भी कार्यक्रम में मान्य/स्वीकार्य किया जाएगा।

निष्कर्षत: व्यावसायिक पाठ्यक्रमों, शिक्षार्थियों और संस्थानों का 'आइसोलेशन' समाप्त किया जाएगा। अब यह शिक्षा अलग-थलग और कटी-कटी नहीं रहेगी, बल्कि सामान्य शिक्षा/ कार्यक्रमों/ संस्थानों के साथ-साथ कदमताल करेगी। कोशिश यह होगी कि प्रत्येक छात्र-छात्रा अपनी शिक्षण-अवधि में कम-से-कम एक जीवनोपयोगी और रोजगारक्षम कौशल अवश्य अर्जित करे। इसीलिए यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि इस प्रकार की एकीकृत शिक्षा व्यवस्था वाले स्कूलों और बहु-विषयक उच्च शिक्षा संस्थानों के माध्यम से सन् 2025 तक कम-से-कम 50 प्रतिशत विद्यार्थियों को किसी-न-किसी प्रकार की व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। वर्तमान 5 प्रतिशत से 50 प्रतिशत का लक्ष्य अत्यंत महत्त्वाकाँक्षी है। इसके लिए दृढ़ इच्छा-शक्ति, व्यापक योजनाओं और पर्याप्त आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता होगी। इस लक्ष्य की प्राप्ति में ही भारतीय अर्थ-व्यवस्था के विकास की दर में गुणात्मक वृद्धि का रहस्य छिपा है। भारत के युवा कार्यबल के कौशलयुक्त और रोजगारक्षम होते ही देश की उत्पादकता का उत्तरोत्तर विकास होगा। व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों में पेशेवर नैतिकता और सामुदायिक जुड़ाव को अनिवार्यत:

जोड़ा जायेगा, ताकि आर्थिक समृद्धि की चाह में मानवीय मूल्यों की उपेक्षा न हो।

कृषि शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, पशु-चिकित्सा, विधिक शिक्षा, अभियांत्रिकी शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, प्रबंधन शिक्षा और शिक्षक शिक्षा आदि व्यावसायिक शिक्षा रूपों के अलावा लाइफ स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स को अर्जित करने पर भी बल दिया जायेगा। साथ ही, आर्टिफीसियल इंटेलीजेंस, बिग डेटा एनालिसिस, नैनो टेक्नोलॉजी, बायो टेक्नोलॉजी, न्यूरो साइंस जैसे नवोदित क्षेत्रों के अलावा कारपेंटरी, पॉटरी, फिशिंग, प्लंबिंग, इलेक्ट्रिशियन, गार्डनिंग, टाइपिंग, ड्राफ्टिंग, कम्पोजिंग जैसे परंपरागत कौशलों को अर्जित करने पर भी जोर दिया जायेगा। व्यावसायिक शिक्षा को व्यापक स्तर पर कौशल अर्जित करने और रोजगार प्राप्ति से जोड़ा जायेगा। अभी तक स्वास्थ्य शिक्षा, विधिक शिक्षा, अभियांत्रिकी शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और प्रबंधन शिक्षा मूलत: अंग्रेजी माध्यम में ही उपलब्ध हैं। इसलिए तमाम वंचित वर्गों - दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, भारतीय भाषा-भाषी समुदायों और ग्रामीण समुदायों की इन शिक्षा क्षेत्रों में भागीदारी नगण्य ही है। अंग्रेजी माध्यम के कारण यह शिक्षा बहुत मुश्किल और अवहनीय हो जाती है। इसी कारण प्रत्येक वर्ष इंजीनियरिंग और मेडिकल शिक्षा की पढ़ाई या अच्छे संस्थानों में प्रवेश हेतु कोचिंग करने वाले अनेक छात्र आत्महत्या करते हैं। यह सीमित अवसरों आदि अन्यान्य कारणों से पैदा होने वाली भयावह प्रतिस्पर्धा के असीमित दबाव की दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण परिणति है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति गुणवत्तापूर्ण व्यावसायिक शिक्षा की सीमित उपलब्धता और उसकी राह में अंग्रेजी माध्यम की अड़चनों को पहचानती है, और उन्हें दूर करने को कृतसंकल्पित है। इसीलिए व्यावसायिक शिक्षा के लिए 'द्विभाषी शिक्षा' का विकल्प सुझाया गया है। इन दो माध्यमों में से एक राज्य विशेष की भाषा होगी और दूसरी भाषा अंग्रेजी होगी। यह

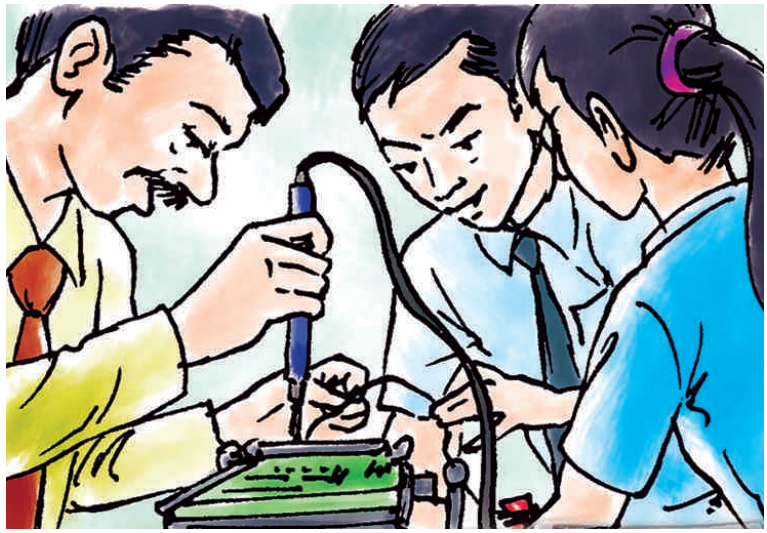

विडम्बनापूर्ण ही है कि देश के उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालयों का सारा कामकाज अभी भी अंग्रेजी में होता है, जबकि न्याय माँगने वालों में बमुश्किल एक प्रतिशत लोग ही अंग्रेजी पढ़-लिख सकते हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्वास्थ्य शिक्षा को भी पुनर्गठित करने की योजना है। अभी एलोपैथी, होम्योपैथी, यूनानी, आयुर्वेदिक और योग-प्राकृतिक चिकित्सा आदि अलग-अलग चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र हैं। इस पृथक्कीकरण को समाप्त करते हुए इन सबको भी एक-दूसरे के साथ जोड़ने का प्रस्ताव है। स्वास्थ्य शिक्षा प्रणाली को एकीकृत करके उसकी सामुदायिक भूमिका और प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है। हमारी वर्तमान स्वास्थ्य शिक्षा निदानात्मक एवं उपचारात्मक (डायग्नोस्टिक एंड क्योरेटिव) है, जबकि इसे निवारणात्मक (प्रिवेंटिव) बनाने की आवश्यकता है। इसी के साथ भारत जैसे बड़ी जनसंख्या वाले बहुलतावादी देश में सामुदायिक चिकित्सा के विकास की भी महती आवश्यकता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति व्यावसायिक शिक्षा के व्यावसायीकरण के प्रति भी सचेत है। इसलिए आवश्यक स्वायत्तता देने के बावजूद नियामक व्यवस्था द्वारा शिक्षा के व्यावसायीकरण को रोकने का प्रस्ताव है। सार्वजनिक वित्त पोषण वाले व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों के अलावा जो निजी संस्थाएँ इस क्षेत्र में कार्य करेंगी, वे 'नॉट फॉर प्रॉफिट' ध्येय के साथ ही काम कर सकेंगी। उनकी फीस और उनके आर्थिक संसाधनों और स्रोतों का नियमित लेखा-परीक्षण और सख्त निगरानी की जाएगी। नियामक व्यवस्था में परोपकारी और जनकल्याणकारी प्रयासों को ही प्रोत्साहित किया जाएगा। निजी संस्थानों में वंचित वर्गों के लिए भारी संख्या में शुल्क माफी और छात्रवृत्तियों का प्रावधान भी अनिवार्यत: होगा।

इस नीति की एक अन्य प्रमुख बात यह है कि इसमें निरंतर अच्छा प्रदर्शन करने वाले, बेहतरीन रैंक प्राप्त करने वाले और उच्च स्तरीय मानकों को पूरा करने वाले संस्थानों को 'ग्रेडेड ऑटोनोमी' देने का प्रावधान किया गया है। ऑटोनोमी प्राप्त करने वाले ये संस्थान स्वयं डिग्री देने वाले स्वायत्त संस्थान बन सकते हैं या विश्वविद्यालय विशेष के अविभाज्य अंग के रूप में विकसित हो सकते हैं या धीरे-धीरे स्वयं विश्वविद्यालय के रूप में भी विकसित हो सकते हैं। यह ऑटोनोमी बाह्य-हस्तक्षेप को न्यूनतम करने की पहल है; ताकि इन उच्च प्रदर्शन करने वाले संभावनाशील संस्थानों की सांस्थानिक विकास योजनाओं और नवाचार में लालफीताशाही अड़ंगा न लगाए और

उसके विश्वस्तरीय संस्थान बनने की ओर निरंतर बढ़ने में किसी भी प्रकार की अड़चन न आये। बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले संस्थान विनियामक संस्थाओं की 'अड़ंगेबाजी' से मुक्त रहेंगे और उन्हें सरकार से मिलने वाला अनुदान और आर्थिक सहयोग उनकी प्रगति और प्रदर्शन के अनुपात में क्रमशः बढ़ता जाएगा। इन संस्थानों का संचालन बाह्य हस्तक्षेप से मुक्त 'बोर्ड ऑफ गवर्नेंस' द्वारा किया जाएगा। उसके द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा निर्दिष्ट योग्यतम और पेशेवर व्यक्तियों में से सर्वश्रेष्ठ को संस्थान प्रमुख का दायित्व सौंपा जाएगा। 'बोर्ड ऑफ गवर्नेंस' को निर्णय लेने की पूरी स्वतंत्रता रहेगी और संस्थान के बेहतरीन प्रदर्शन और उच्च मानकों पर खरा उतरने की जवाबदेही उनकी ही होगी। 'परफोर्मिंग इंस्टिट्यूशंस' को विशिष्ट दर्जा, विशेष सहूलियतें और आवश्यक आर्थिक सहयोग देकर ही भारत में कुछ विश्वस्तरीय संस्थान बनाए जा सकते हैं। वस्तुतः, यह बेहतर प्रदर्शन करने हेतु प्रोत्साहन और पुरस्कार की नीति है।

'अंडर परफोर्मिंग' संस्थानों के ऊपर विनियामक संस्थाओं की कड़ी निगरानी रहेगी; ताकि वे बेहतर प्रदर्शन करने वाले सस्थानों की 'गुड प्रेक्टिसेज' को अपनाकर और उनकी 'हैण्ड होल्डिंग' का लाभ उठाते हुए अपनी स्थिति में निरंतर सुधार करें। यह क्रमिक सुधार ही उनको मिलने वाले आर्थिक अनुदान का आधार होगा। उल्लेखनीय है कि अभी व्यावसायिक शिक्षा के अधिसंख्य संस्थान सफेद हाथी बन चुके हैं। उनमें पठन-पाठन के वातावरण और आधारभूत सुविधाओं का घोर अभाव है। देश में बड़ी संख्या में ऐसे कागजी संस्थान हैं, जहाँ छात्र-छात्राएँ नामांकन कराते हैं; किन्तु पढ़ने-पढ़ाने की चिंता और फुर्सत किसी को नहीं है। शिक्षक शिक्षा संस्थान इस मामले में सर्वाधिक कुख्यात हैं। प्रकारांतर से ये संस्थान डिग्री/डिप्लोमा बाँटने/बेचने की दुकानें बने हुए हैं। यहाँ के डिग्री/ डिप्लोमाधारी छात्र-छात्राएँ संस्कारवान, कौशलयुक्त और रोजगारक्षम नहीं हैं। ये संस्थान 'डिग्रीधारी बेरोजगारों' की फेक्ट्रियाँ हैं। इन सफेद हाथी बन चुके संस्थानों को पटरी पर लाना सचमुच एक बड़ी चुनौती है। नई शिक्षा नीति इन कॉलेजों को पेशेवर और प्रदर्शनकारी बनाकर बेहतरी की दिशा में अग्रसर करने की चिंता करती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति गुणवत्तापूर्ण व्यावसायिक शिक्षा की सीमित उपलब्धता और उसकी राह में अंग्रेजी माध्यम की अड़चनों को पहचानती है, और उन्हें दूर करने को कृतसंकल्पित है। इसीलिए व्यावसायिक शिक्षा के लिए 'द्विभाषी शिक्षा' का विकल्प सुझाया गया है। इन दो माध्यमों में से एक राज्य विशेष की भाषा होगी और दूसरी भाषा अंग्रेजी होगी। यह विडम्बनापूर्ण ही है कि देश के उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालयों का सारा कामकाज अभी भी अंग्रेजी में होता है, जबकि न्याय माँगने वालों में बमुश्किल एक प्रतिशत लोग ही अंग्रेजी पढ़-लिख सकते हैं।

शिक्षा की नियामक प्रणाली में भी परिवर्तन का प्रस्ताव है। यू.जी.सी., ए.आई.सी.ई.टी., एन.सी.टी.ई. जैसी तमाम विनियामक संस्थाओं के स्थान पर एक सर्व-सक्षम भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग बनाया जाएगा। यह राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त एक पूर्णरूपेण स्वतंत्र निकाय होगा और उसका नेतृत्व और संचालन ख्यातिलब्ध विशेषज्ञ करेंगे। उसकी चार प्रमुख शाखाएँ होंगी, जो विनियमन (राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा विनियामक परिषद्, इसमें चिकित्सा और विधिक शिक्षा के अलावा अन्य व्यावसायिक शिक्षा क्षेत्र भी शामिल रहेंगे), प्रत्यायन (राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद्), अनुदान (उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद्) और अपेक्षित मानक निर्धारण (सामान्य शिक्षा परिषद्) जैसे विशेष कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगी। अन्य व्यावसायिक विनियामक संस्थाओं का भी पुनर्गठन करते हुए उन्हें भ्रष्टाचारमुक्त, पेशेवर और कार्यदक्ष बनाने का प्रस्ताव है। भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद्, वेटनरी कौंसिल ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, आर्किटेक्चर कौंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी कौंसिल ऑफ इंडिया, व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद् आदि का पुनर्गठन व्यावसायिक मानक निर्धारण निकायों के रूप में करते हुए उन्हें सामान्य शिक्षा परिषद् का सदस्य बनाया जाएगा। ये बिना किसी नियामक भूमिका के पाठ्यक्रम निर्माण, शिक्षण-अधिगम पद्धतियों के विकास और मूल्यांकन प्रक्रियाओं आदि का निर्देशन और समन्वय करेंगे।

इस प्रकार व्यावसायिक शिक्षा परस्पर 'ओवरलेपिंग' करने वाली तमाम नियामक संस्थाओं के शिकंजे से स्वायत्त हो सकेगी। इसके अलावा निजी क्षेत्र द्वारा व्यावसायिक शिक्षा संस्थानों की आड़ में चलायी जा रही धंधेबाजी से भी मुक्त हो सकेगी। इन नए प्रावधानों के माध्यम से व्यावसायिक शिक्षा का 'आइसोलेशन' और 'स्टिग्मा' समाप्त हो जाएगा और वह मुख्यधारा की शिक्षा की तरह प्रतिष्ठित हो जाएगी। साथ ही, गुणवत्तापूर्ण व्यावसायिक शिक्षा में वंचित वर्गों की समुचित भागीदारी भी सुनिश्चित हो सकेगी। अधिक से अधिक लोगों को गुणवत्तापूर्ण व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करके ही भारत अधिकतम जनसांख्यिकीय लाभ ले सकेगा। आने वाले दशकों में वह अपने कौशलयुक्त और उत्पादक असीम कार्यबल के आधार पर न सिर्फ अपनी दिन-रोज बढ़ती जनसंख्या को गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित कर सकेगा, बल्कि विश्व की बड़ी आर्थिक शक्ति भी बन सकेगा। निश्चय ही, भारत की आत्मनिर्भरता का आधार गुणवत्तापूर्ण और सर्वसुलभ व्यावसायिक शिक्षा है। ❑

आत्मनिर्भर भारत और अभिभावक : एक दृष्टिकोण

डॉ. दीपक कुमार शर्मा
सह आचार्य - प्राणी शास्त्र,
वीर वीरमदेव राजकीय
स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
जालोर (राज.)

भारत के आत्मनिर्भर बनने का मार्ग इन्हीं घरों में से होकर निकलता है। इसलिए इन घरों में रहने वाले अभिभावकों की मन-स्थिति में बदलाव होना भी आवश्यक है। हाँ, इस माँ ने यह तो ठीक कहा कि 'आप का जमाना और था'। सही है, वह जमाना और था और यह जमाना और है। और जैसा जमाना है वैसा ही सोचना भी पड़ेगा।

दृश्य- प्रथम

माँ- राहुल... ऐसे ही घंटों तक मोबाइल में लगा रहा, तो हो गई पढ़ाई और लग गई नौकरी, बैठ जाना अपने पापा की दुकान पर। ... इस घर में कोई मेरी सुनता ही नहीं, पचास बार कहा है कि बिजली के बटन बंद करने की आदत डालो, खाली कमरों में AC चलते रहते हैं। ... अरे ओ शीला (नौकरानी)... जरा ड्राइवर से कह दे, लौटते में सब्जी लेता आएगा।

दृश्य- द्वितीय

पिता- क्या हमेशा राहुल के पीछे पड़ी रहती हो। जानती हो वो मोबाइल में बिजनेस के बारे में सर्च करता है और मुझे नए-नए आइडिया देता रहता है। वो कहता है कि देश में वह चीजें बनानी चाहिए जो विदेशों से मंगवानी पड़ती हैं। उसका दिमाग बिजनेस में चलता है, तो क्यों तुम उससे नौकरी करवाना चाहती हो।

माँ- हाँ हाँ देख लिया आपका बिजनेस। कोई शादी के लिए लड़की भी नहीं देगा अपनी। आजकल बड़े-बड़े बिजनेसमैन भी अपनी लड़कियों की शादी नौकरी वालों से करते हैं।

पिता- हाँ, हमारी तो जैसे हुई नहीं।

माँ- आप का जमाना और था।

उक्त वार्तालाप एक सामान्य सा प्रसंग है, जो हम अपने आसपास घटित होते देखते रहते हैं। लेकिन इस सामान्य से वार्तालाप में कई गंभीर प्रश्न और आशंकाएँ छुपी हुई हैं। भारत के आत्मनिर्भर बनने का मार्ग इन्हीं घरों में से होकर निकलता है। इसलिए इन घरों में रहने वाले अभिभावकों की मन:स्थिति में बदलाव होना भी आवश्यक है। हाँ, इस माँ ने यह तो ठीक कहा कि 'आप का जमाना और था'। सही है, वह जमाना और था और यह जमाना और है। और जैसा जमाना है वैसा ही सोचना भी पड़ेगा। एक शानदार घर और हर कमरे में चलता AC, नौकरानी, ड्राइवर, कार आदि आदि सब कुछ उसी बिजनेस से तो है। लेकिन माँ अपने बच्चे को नौकरीपेशा बनाना चाहती है। आखिर कुछ तो है जो विश्वास डगमगा जाता है। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस विश्वास को ही जमाना होगा। इसके लिए यह आवश्यक है कि देश के युवा को 'फ्री हैंड' दिया जाए। उसको अपनी तरह से सोचने और सपने बुनने की आजादी दी जाए। बचपन से ही अपनी इच्छा और आकाँक्षाओं को उस पर थोपा न जाए। वहीं दूसरी ओर 'धंधे का कोई भरोसा नहीं, कब ठप हो जाए', इस अविश्वास के स्थान पर सुरक्षा का भरोसा हो। इसमें कुछ हद तक सरकार की भूमिका भी निर्धारित होती है। आत्मनिर्भर भारत के दो आयाम हो सकते हैं। इन दोनों ही अवस्थाओं में अभिभावकों की भूमिका बहुत महत्त्वपूर्ण है।

उद्यमशील युवा

किसी युवा को नौकरी करनी है या चार अन्य लोगों को नौकरी देने की स्थिति में आना है। उसकी मन:स्थिति किस दिशा में स्थिर होगी, इसके लिए उसके सामने अभिभावक अपने निर्धारित लक्ष्य न रखें, बल्कि उसको अनेक विकल्पों के बारे में बताएँ। उसे हर क्षेत्र में सफलता की वह कहानियाँ बताएँ जो इस देश के युवाओं ने रची हैं। नौकरी प्राप्त

युवाओं को भी आत्मनिर्भर कहा जाता है। लेकिन क्या वास्तव में वह आत्म निर्भर होते हैं। पिछले कई वर्षों में अनेक अवसर ऐसे आए हैं जब बड़ी संख्या में निजी क्षेत्र में काम कर रहे युवा बेरोजगार हुए हैं। स्थायित्व में संशय की स्थिति तो नौकरी में भी है। फिर इतनी बड़ी आबादी में सभी को सरकारी नौकरी मिलना संभव नहीं है। ऐसे में क्यों न वास्तविक अर्थों में, न केवल स्वयं आत्मनिर्भर बना जाए साथ ही देश को भी आत्मनिर्भर बनाया जाए। बच्चों को बताया जा सकता है कि कैसे छोटे-छोटे स्टार्ट अप शुरू करके इसी देश के युवाओं ने बड़ी-बड़ी कंपनियाँ स्थापित की हैं। Flipkart, OYO, Paytm, Ola, Swiggy, Droom, Big basket, Loom Solar, Practo, Pepperfry, India Mart आदि आदि ऐसे अनेक उदाहरण युवाओं के सामने रखे जा सकते हैं। इनमें से कुछ कम्पनी तो बहुत छोटे स्तर से शुरू की गयी हैं। और इतना ही नहीं खेती में नई नई तकनीक का इस्तेमाल कर देश के खाद्यान्न भंडार भी भरे जा रहे हैं। आवश्यकता की छोटी-बड़ी वस्तुएँ बड़ी मात्रा में देश में निर्मित होने लगी हैं। लेकिन मंजिल बहुत दूर है। अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। अभिभावक युवाओं को क्यों नहीं समझाते कि भारत का बाजार विश्व के हर देश को आकर्षित करता है। लेकिन भारतीयों को इसकी क्षमता क्यों नहीं दिखाई देती? यदि हम युवाओं के सामने ऐसे विकल्प रखते हैं, और उन्हें सोचने की स्वतंत्रता देते हैं, तो भविष्य में हम बड़ी संख्या में नए उद्यमी देख सकते हैं। अभिभावकों को अपनी निर्धारित मन:स्थिति से बाहर निकलना होगा।

कौशल युक्त युवा

भारत प्रारंभ से ऐसा नहीं था। संपूर्ण विश्व में भारत एक उद्यमी, विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में स्थापित था। आवश्यकता की हर वस्तु देश में ही निर्मित होती थी। विश्व की सर्वश्रेष्ठ और उन्नत तकनीक भारत में उपलब्ध थी। भारत वास्तविक अर्थ में

अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। अभिभावक युवाओं को क्यों नहीं समझाते कि भारत का बाजार विश्व के हर देश को आकर्षित करता है। लेकिन भारतीयों को इसकी क्षमता क्यों नहीं दिखाई देती? यदि हम युवाओं के सामने ऐसे विकल्प रखते हैं, और उन्हें सोचने की स्वतंत्रता देते हैं, तो भविष्य में हम बड़ी संख्या में नए उद्यमी देख सकते हैं। अभिभावकों को अपनी निर्धारित मन:स्थिति से बाहर निकलना होगा।

आत्मनिर्भर था। अनेक वर्षों की पराधीनता का कालखंड भी भारत की उद्यमशीलता को प्रभावित नहीं कर सका। लेकिन अंग्रेजों की बाबू बनाने की शिक्षा प्रणाली ने देश के आत्म तत्त्व को खंडित कर दिया। आज शिक्षा का अर्थ केवल सैद्धांतिक ज्ञान तक सीमित हो गया है। इसमें कौशल एवं श्रम का अभाव है। भारत के आत्मनिर्भर बनने की राह में यह दूसरी बड़ी बाधा है।

आजकल चीन की चर्चा जोरों पर है। कोई भी देश पहले अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। उसके बाद ही वह देश के बाहर अपने कदम बढ़ाता है। चीन आज सर्वव्यापी है। औद्योगिक और आर्थिक रूप से चीन विश्व की महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। हमें उसकी इस विकास यात्रा को ठीक से समझना होगा। जहाँ 1995 में विश्व की अर्थव्यवस्था में चीन का शेयर मात्र 3 प्रतिशत था वहीं 2019 में यह बढ़कर लगभग 16 हो गया। यह इसे विश्व की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाता है। इसकी गहराई में यदि जाएँ तो पाएंगे कि इसका श्रेय वहाँ की वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पॉलिसी को दिया जाएगा। चीन में 9 वर्ष की शिक्षा अनिवार्य है। इनमें से लगभग 90 प्रतिशत विद्यार्थी सीनियर सेकेंडरी में पहुँचते हैं, जो एक बड़ी संख्या है। इनमें से भी लगभग 50 प्रतिशत वोकेशनल स्ट्रीम में जाते हैं। भारत में यह संख्या 5 प्रतिशत से भी कम है। चीन ने वोकेशनल एजुकेशन लॉ 1996 में बड़े प्रावधान किए, जिसमें विद्यार्थियों को इंसेंटिव आदि दिया जाना भी शामिल है। बड़ी मात्रा में वहाँ स्किल एजुकेशन के स्कूल हैं जिनमें वास्तविक अर्थों में कौशल शिक्षा और प्रशिक्षण दिया जाता है। वो परिवार जो अपने बच्चों को उद्यमी बनाने में सक्षम नहीं हैं, वह उन्हें हुनरमंद बनाकर न केवल आजीविका के योग्य बनाते हैं, वहीं इनमें से अनेक भविष्य के उद्यमी भी बनते हैं। भारत में एक हुनरमंद व्यक्ति भी अपनी संतान को हुनरमंद बनाने के स्थान पर उसे बाबू या कलेक्टर बनाने की सोचता है। इसके पीछे काम को छोटा या बड़ा मानने की मानसिकता का होना भी एक कारण है। इसे बदलने की आवश्यकता है। हमें अपने देश में केवल मात्र प्रमाण पत्र बाँटने वाले संस्थानों के स्थान पर वास्तविक अर्थों में स्किल्ड वर्क फोर्स तैयार करने वाले संस्थान बड़ी मात्रा में शुरू करने होंगे। जिसमें हर तबके का युवा कोई ना कोई काम सीख सके और इसके साथ ही श्रम की प्रवृत्ति भी विकसित हो सके। हाल ही में जारी नई शिक्षा नीति में ऐसे अनेक आयाम शामिल किये गए हैं। यदि यह शिक्षा नीति अपनी मूल भावना के अनुरूप क्रियान्वित हो जाती है तो संभवत: दृश्य बदल जाएगा।

एक और महत्त्वपूर्ण पक्ष है जिसे किसी वर्गीकरण में नहीं लिया जा सकता। क्योंकि यह स्वत: स्फूर्त और अंत:करण जागरण का विषय है। और वह है राष्ट्रबोध। मेरे द्वारा किया जाने वाला कार्य न केवल मेरे भविष्य को ही सुरक्षित करता हो, उससे मेरे राष्ट्र की आकाँक्षा की पूर्ति भी होती हो। यदि भारत के जन जन में यह भाव जाग्रत होता है, और लोग अपने छोटे-छोटे स्वार्थ त्यागते हैं, तो हम निश्चित ही आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को साकार होते देख सकेंगे। ❑

नई शिक्षा नीति में आत्मनिर्भर भारत की झलक

डॉ. सतीश कुमार
सह आचार्य,
राजनीति विज्ञान,
एम.एम.एच. कॉलेज,
सी.सी.एस.यू., मेरठ (उ.प्र.)

पिछले दिनों अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जब यह बात कही गयी कि महामारी के दौरान बांग्लादेश की विकास दर भारत से बेहतर होगी, तो भारत के भीतर चंद लोगों की खुशी टिप्पणियों में झलकने लगी। कई बुद्धिजीवियों ने आत्मनिर्भरता को निशाना बनाया तो किसी ने केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। दरअसल आत्मनिर्भर भारत की परिभाषा की समझ भी एक समस्या है। बहुतेरों के लिए व्यक्ति की आमदनी और विदेशी शिक्षा और लिबास विकास का मानक बन गया। अगर 1960 से 2000 के बीच भारत के विकास और प्रगति को आंका जाये तो दिखाई देता है कि दर्जनों व्यक्तियों का विकास हुआ, आर्थिक उन्नति हुई, लेकिन यह बात नहीं समझ में आयी कि उनकी उन्नति गाँव से पलायन के बाद हुई। हजारों परिवार शहर की तरफ पलायन कर गए। वहाँ उनके बच्चों की परवरिश हुई और अच्छे विद्यालय में नामांकन ने आर्थिक व्यवस्था को सार्थक रूप से बदल दिया। उसी तरह देश से पलायन करके हजारों लोग धनी हुए। लेकिन वह गाँव और राष्ट्र कभी आत्मनिर्भर नहीं बन पाया जो आज भी उसी हैरतअंगेज बदहाली से जूझ रहा है। क्योंकि आत्मनिर्भरता की समझ केवल व्यक्ति विकास तक सीमित थी। यह कारवाँ आजादी के उपरांत निष्कंटक चलता रहा, कांग्रेस और गैर कांग्रेस की राजनीतिक व्यवस्था में भी बुनियादी बदलाव नहीं आ पाया। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इस सोच को विकसित किया गया। आत्मनिर्भर भारत महज एक आर्थिक आकार नहीं है। इसका सामाजिक, और सांस्कृतिक पहलू भी है। और सभी कोण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।

अंग्रेजी शासन तंत्र ने भारत से भारतीय सोच की शिक्षा व्यवस्था को समाप्त कर दिया। उसके बदले में केंद्रीकृत और अभिजात्यवर्ग की शिक्षा प्रणाली को बहाल कर दिया जिसे हम मैकालियन शिक्षा व्यवस्था के रूप में जानते हैं। उसकी सोच भारत में एक ऐसे वर्ग को तैयार करना था जिससे ब्रिटेन का उपनिवेशवाद निरंतर उनकी मदद से चलता रहे। साथ ही भारतीय ज्ञान और विज्ञान पर हमेशा-हमेशा के लिए ताला जड़ दिया जाये। दुर्भाग्य से हुआ भी ऐसा ही। जब देश आजाद हुआ तो लोगों में एक आस जगी शायद अब भारतीय ज्ञान परम्परा से संबंधित शिक्षा नीति का निर्माण हो। लेकिन आजाद देश में अंग्रेजी व्यवस्था मजबूती के साथ चलती रही। शिक्षा का व्यावसायीकरण होता रहा, शिक्षा ने देश को दो अलग-अलग खंडों में बाँट दिया, जिसे इंडिया और भारत कहा जाने लगा। परीक्षा केंद्रित व्यवस्था पर खूब बल दिया गया। इतने वर्षों में लोगों का मोहभंग हो चुका था। उन्हें एक क्रान्तिकारी परिवर्तन की आस थी, जिसे सरकार ने नई शिक्षा नीति के रूप में

लाकर पूरा किया है।

1966 में डी.एस. कोठरी की अध्यक्षता में एक शिक्षा समिति की स्थापना हुई थी। प्रो. कोठरी एक लब्धप्रतिष्ठित वैज्ञानिक थे जिन्होंने डी.आर.डी.ओ. की स्थापना की थी। जब उन्होंने शिक्षा नीति का प्रारूप तैयार किया तो उसकी प्रस्तावना में यह उल्लेखित किया था कि 'आजादी के उपरांत भी भारत की शिक्षा व्यवस्था का केंद्र यूरोप और अमेरिका है, जरूरत है उसे भारत खींचकर लाने की।' लेकिन देश का दुर्भाग्य था कि उस समय की सरकार ने इन दलीलों को अपनी नीति में कोई महत्त्व नहीं दिया और न ही कोठारी समिति की संस्तुतियों को लागू करने के प्रयास किये गए। इसके बाद 1986 में प्रो. यशपाल की अध्यक्षता में दूसरी समिति बनाई गयी। लेकिन इस समिति के पीछे एक व्यक्ति की कारगुजारियाँ ज्यादा महत्त्व रखती थी, जिसे सैम पित्रोदा के नाम से जाना जाता है। इस शिक्षा नीति ने पूरी तरह से व्यवस्था को रोजगार के साधन तक सीमित कर दिया। अर्थात् शिक्षा रोजगार का साधन करने के लिए ही है। यद्यपि अंग्रेजी व्यवस्था हर्टोंग समिति 1929 से लेकर कोठारी कमिटी तक शिक्षा को महज रोजगार तक कभी भी सीमित नहीं रखा गया। लेकिन स्वतंत्र भारत में केंद्र सरकार ने 1986 की शिक्षा नीति में इसे रोजगार तक सीमित कर दिया। तब मैकाले का वह पत्र याद आता है जो उसने अपने पिता को 1835 में लिखा था, जिसमें उसने चर्चा की थी कि भारत में मैंने ऐसी शिक्षा का ढाँचा तैयार किया है जो वहाँ के वाशिंदों को युगों-युगों तक मानसिक गुलामी की जंजीर में जकड़े रखेगा।

एक ऐसा देश जिसका मानक व्यक्ति नहीं बल्कि समुदाय और समाज हो, अगर वह आत्मनिर्भर बना है तो वहाँ रहने वाले या वहाँ से पलायन करने वाले सभी उस आत्मनिर्भरता की श्रेणी में स्वाभाविक रूप से शामिल हो जाएँगे। अपने देश के प्रति स्वाभिमान और आदर, आत्मनिर्भर भारत की बुनियाद है। हम आर्थिक रूप से या बौद्धिक रूप से दूसरे देशों के रहमो करम पर जिन्दा हैं तो हमारी आत्मनिर्भरता कभी नहीं बन पाएगी। पूरी उम्मीद है कि दो दशकों बाद जब नई शिक्षा नीति का पुनर्मूल्यांकन होगा तब का भारत बहुत कुछ बदल चुका होगा।

अगर स्वतंत्र भारत में आत्मनिर्भर भारत की बात करें तो कई विसंगतियाँ दिखाई देती हैं। अगर मुगलों ने भारत के धार्मिक और सांस्कृतिक ढाँचे को तहस नहस किया और अंग्रेजों ने भारत की बौद्धिक सम्पदा को जला दिया तो आजाद भारत की राजनीतिक विरासत ने भारत की आतंरिक शक्ति को छिन्न-भिन्न करने की पहल कर दी, अर्थात् भारत का अपना कुछ भी श्रेष्ठकर नहीं है। सबकुछ विदेशी ही है। सड़क और बड़े ब्रिज भी विदेशी इंजीनियरिंग कंपनी के द्वारा बनाये जाते हैं। पहनावा से लेकर ज्ञान सबकुछ बाहरी। बाहरी और देसी के बीच में अंतर इतना बढ़ता गया कि भारत दो अलग-अलग कुनबों में दिखाई देने लगा। हम कान्वेंट स्कूल से निकले हैं, तुम झोपड़ी वाले स्कूल के हो। आजाद भारत की राजनीतिक व्यवस्था ने देश के नागरिकों की नियति को कलुषित कर दिया।

जब सही समझ के साथ एक क्रान्तिकारी पहल शुरू हुई तो लोगों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। लेकिन जब मानसिक गुलामी की जड़ें काई की तरह जमी हुई हों तो उसका अंत महज आर्थिक विकास से नहीं होगा। गुलामी की जंजीरें तोड़नी होंगी। सम्भवत: नई शिक्षा व्यवस्था में वे सारे गुण हैं जिसके तहत एक आत्मनिर्भर भारत की व्यूह रचना सफलतापूर्वक बन सके। लेकिन उसमें समय लगेगा। गलत व्यवस्था को मिटाकर नई सोच को विकसित करना हमेशा तल्ख होता है। एक ऐसा देश जिसका मानक व्यक्ति नहीं बल्कि समुदाय और समाज हो, अगर वह आत्मनिर्भर बना है तो वहाँ रहने वाले या वहाँ से पलायन करने वाले सभी उस आत्मनिर्भरता की श्रेणी में स्वाभाविक रूप से शामिल हो जाएँगे। अपने देश के प्रति स्वाभिमान और आदर, आत्मनिर्भर भारत की बुनियाद है। हम आर्थिक रूप से या बौद्धिक रूप से दूसरे देशों के रहमो करम पर जिन्दा हैं तो हमारी आत्मनिर्भरता कभी नहीं बन पाएगी। पूरी उम्मीद है कि दो दशकों बाद जब नई शिक्षा नीति का पुनर्मूल्यांकन होगा तब का भारत बहुत कुछ बदल चुका होगा। अपना देश और अपनी मिट्टी की भीनी-भीनी सुगंध फैल चुकी होगी। ❑

आत्म निर्भर भारत का मार्ग है नई शिक्षा नीति

भारती दशोरा
प्राध्यापक भूगोल, निम्बार्क शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, उदयपुर

सिर्फ सूचनात्मक ज्ञान, सैद्धान्तिक ज्ञान, पुस्तकीय ज्ञान या सीखने -सिखाने की अवधारणा न होकर आजीवन चलने वाली सोद्देश्य प्रक्रिया है। यह सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम भी है जो व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर मानव जीवन की गुणात्मकता को निर्धारित करती है। मनुष्य का सर्वांगीण विकास जितना शिक्षा से जुड़ा है, शायद किसी अन्य पक्ष से नहीं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और शिक्षा जगत भी इससे अछूता नहीं है। शिक्षा प्रणाली में भी समय-समय पर परिवर्तन होते रहे हैं। पूर्व में जहाँ अधिगम प्रक्रिया विषय केन्द्रित थी वहीं बाल केन्द्रित होकर वर्तमान में समावेशी शिक्षा हो गई। कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन के साथ-साथ शिक्षण एवं मूल्यांकन के मानक भी बदलते रहे। अत: परिवर्तन चाहे किसी भी क्षेत्र में हो यदि सकारात्मक हो तो आनन्द का विषय होता है।

गाँधी जी ने शिक्षा के सन्दर्भ में कहा कि बालक के मन, शरीर व आत्मा का सर्वोत्कृष्ट विकास ही शिक्षा है और स्वामी विवेकानन्द ने शिक्षा का अर्थ समझाते हुए कहा था कि शिक्षा एक उपकरण है जो मनुष्य में पहले से ही मौजूद पूर्णता को पहचानने और उसकी प्राप्ति का काम करती है। अत: शिक्षा के द्वारा बच्चे में आत्मनिर्भरता को बढ़ाना आवश्यक है। विवेकानन्द जी की दूरदर्शिता आज की शिक्षा पर सवाल करती है और आत्मनिर्भर भारत अभियान के सफल होने में सहयोग का काम करती है। आत्मनिर्भरता कैसे सिखाई जाए इसके लिये शिक्षा के मूलभूत उद्देश्य व्यक्ति को उसकी छिपी प्रतिभाओं से रूबरू कराना है और यह सिखाना है कि वह इन प्रतिभाओं को कहाँ व कैसे उपयोग कर अपने जीवन के संघर्षों को चुनौती में बदल सकता है। इसके लिये व्यक्ति को जीवन भर सीखने के लिए प्रेरित करना आवश्यक है।

जो शिक्षा प्रक्रिया वर्तमान में चल रही है वह मनुष्य की स्वतन्त्रता एवं गरिमा निष्कासित करने वाली है। यह अपने विकृत स्वरूप एवं व्यवहार के कारण विद्यार्थियों को अंक लाने, सूचनाओं को एकत्रित करने, रटन्त विद्या देने एवं मात्र कागज के टुकड़ों में डिग्री देने तक सीमित है। स्वतन्त्रता के 70 वर्षों के बाद भी हम ज्ञान का आधार मात्र रटे-रटाये जवाबों से ही तय करना चाहते हैं और इसी आधार पर योग्यता एवं अयोग्यता को भी तय करते हैं। जबकि शिक्षा को सिर्फ परीक्षाओं में आने वाले सवालों के जवाब तक सीमित न रखते हुए जीवनोन्मुखी बनाने का प्रयास किया जाना चाहिये। व्यक्ति को समाज एवं राष्ट्र के प्रति संवेदनशील बनाना, भारतीय जीवन मूल्यों की वास्तविकता से परिचित कराना एवं उन्हें अपने व्यवहार में लागू करना शिक्षा

के महत्तम उद्देश्य होने चाहिये।

नई शिक्षा नीति-2020 के द्वारा भारत सरकार ने एक सशक्त एवं आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम उठाया है। उन्होंने यह भी बताया है कि इसके द्वारा न केवल सामाजिक बदलाव पूरे देश में देखने को मिलेगा बल्कि इसके द्वारा एक ऐसी पीढ़ी का निर्माण सम्भव हो सकेगा जो न केवल आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ेगा बल्कि भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति को एक नई दिशा देने का कार्य भी करेगा।

कभी-कभी आत्मनिर्भरता के अर्थ को केवल आर्थिक गतिविधियों तक सीमित कर देना इसे सीमित एवं संकीर्ण अर्थ की ओर ले जाने वाला होगा। आत्मनिर्भर भारत एक सुनिश्चित एवं व्यापक आयाम है जो वैयक्तिक स्तर पर उतना ही सार्थक है जितना सामाजिक एवं राष्ट्रीय स्तर पर। भारत में आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने का लक्ष्य जितना प्रबल है, उसे पाने के क्रम में उतना ही प्रबल अपनी शिक्षा, संस्कृति, विरासत से जुड़ाव और प्राचीन मूल्यों का समावेश भी होना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत के लिये जड़ से इस तरह की मजबूती की जरूरत है कि प्राप्त होने वाली आत्मनिर्भरता स्थायी एवं अपरिवर्तनीय हो।

विवेकानन्द जी का मानना था कि युवा वह है जो ऊर्जा एवं गतिशीलता से भरपूर है। वह हर असम्भव को सम्भव करने की क्षमता रखता है। आत्मबल, दृढ़ संकल्पना एवं क्षमता से भरी युवा पीढ़ी छात्र रूप में देश के भावी कर्णधार हैं जिस प्रकार नियमितता अनुशासन विनम्रता सहयोग, भाईचारा, देशप्रेम जैसे मानवीय मूल्य विद्यालय में सिखाए जाते हैं ठीक उसी प्रकार आत्मनिर्भर होना भी बालक विद्यालय से ही सीखता है। उसका विद्यालय में पहला कदम आत्मनिर्भरता का ही होता है जहाँ वह परिवार से अलग होता है तो यदि यह कहा जाए कि आत्मनिर्भर होने का रास्ता विद्यालय से ही निकलता है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसीलिए इसे केवल आर्थिक सुधार तक सीमित ना करते हुए समग्र सुधार द्वारा सम्भव बनाया जा सकता है। इसके लिए निम्नलिखित उद्देश्यों को पूर्ण करने वाली शिक्षा दी जाए तो उद्देश्यपूर्ति आसान होगी -

ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो मानवीय मूल्यों से युक्त नागरिकों का निर्माण कर सके। लचीलापन हो जो वर्तमान शिक्षा की जड़ता को समाप्त करे। शिक्षा को जितना भी समय हम देते हैं उसका लाभ अवश्य मिले। बालक की रचनात्मकता को प्रधानता मिले जिससे व्यावसायिक लाभ के साथ आत्मिक आनन्द की प्राप्ति भी हो। सामाजिक अनुभव मूल्य और भावनात्मक जुड़ाव की शिक्षा हो। शिक्षा रोजगार या बाजार से सीधी जुड़े। बालक को केवल साक्षर ना बनाये बल्कि उसमें तर्क संगत सोच एवं ज्ञान विकसित कर, श्रम के प्रति निष्ठा उत्पन्न करे। खेल गतिविधि एवं खोज आधारित शिक्षा जो कौशल विकास की ओर सीधा संकेत हो। इसके साथ-साथ बालक का नियमित रचनात्मक आकलन तथा आवश्यक सुधार हेतु पर्याप्त सुझाव एव अवसरों की उपलब्धता।

नई शिक्षा नीति-2020 के द्वारा भारत सरकार ने एक सशक्त एवं आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम उठाया है। उन्होंने यह भी बताया है कि इसके द्वारा न केवल सामाजिक बदलाव पूरे देश में देखने को मिलेगा बल्कि इसके द्वारा एक ऐसी पीढ़ी का निर्माण सम्भव हो सकेगा जो न केवल आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ेगा बल्कि भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति को एक नई दिशा देने का कार्य भी करेगा।

इस प्रकार यदि भारतवासी बुनियादी शिक्षा के साथ-साथ तकनीकी शिक्षा एवं कुशलता पर आधारित शिक्षा का पाठ्यक्रम तैयार करे, साथ ही मानसिक तौर पर अपने विचारों में बदलाव कर हम आत्मनिर्भर होने के स्वप्न को साकार होता देख पाएँगे।

देश को आगे बढ़ाने का रास्ता शिक्षा से निकलेगा तो इसके बीज क्यों न बचपन से ही डाल दिये जाएँ। आत्मनिर्भर बनने के लिए हमारी शिक्षा पूरे विश्व से अलग होनी चाहिये ताकि हम समग्रता के साथ-साथ सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर वांछित परिणामों की प्राप्ति कर सके।

पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के शब्दों में 'भारत को आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिये विश्व का अनुसरण करने की कोई आवश्यकता नहीं है।'

निश्चित रूप से शिक्षा नीति 2020 एक परिवर्तनकारी तथा नया मार्ग दिखाने वाला महत्त्वपूर्ण कदम है जो प्रशंसा योग्य है। यह सशक्त कदम भारत में भारत की शिक्षा पद्धति लागू कर नए आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगा। ❑

आत्मनिर्भर भारत अभियान और भारतीयता

डॉ. रेखा यादव
सहआचार्य दर्शनशास्त्र,
बाबूशोभाराम राजकीय
कला महाविद्यालय,
अलवर (राज.)

कोरोना वैश्विक महामारी के दौर में व्यष्टि और समष्टि का प्रश्न पुनः मुखर हुआ है। आधुनिक वैश्विक जीवन मूल्यों की दृष्टि में डिस्टेन्सिंग (दूरी) प्रेम, अनुराग और समता के एकबारगी प्रतिकूल जान पड़ता है यही कारण है कि सरकार और सामाजिक संस्थाएँ फिजिकल डिस्टेन्सिंग को अपनाने पर सख्त निर्देश देती हैं और लोग शिष्टाचार के नाते व्यामोह में हैं। यह समस्या सामाजिक व्यवहार की ही नहीं है बल्कि शासन-प्रशासन, विकास तथा व्यक्तिगत, सामाजिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों से भी जुड़ी है।

आत्मनिर्भर भारत अभियान की संकल्पना के मूल में आपदा प्रबंधन के साथ समर्थ होने का भाव भी है। यह समर्थता का भाव भारतीय दृष्टि में -

- स्वयं के आनंद -भोग का नहीं है।
- सर्वसमर्थ बनाने का है परंतु अहंकारी आधिपत्यवादी होने का नहीं है।
- स्वयं को सुरक्षित करने के साथ दूसरों के सहयोग का भाव है।
- इसमें प्रकृति, पर्यावरण और अन्य मनुष्यों के प्रति सदभाव है।
- आत्मनिर्भरता का भाव हमारे स्व से संचालित होने का सामर्थ्य है जो किसी भी स्थिति में हमें आंतरिक रूप से निष्क्रिय लाचार नहीं बनने देगा।
- आत्मनिर्भर भारत किसी को अपने शोषण का अवसर नहीं देगा।

वैश्विकता के दौर में स्वदेशी और स्वराज की धारणाओं के साथ वसुधैव कुटुंबकम् की धारणा को लेकर भ्रम फैलाने का कार्य हमारे देश मे बहुधा किया जाता है। भारतीयता की कोई धारणा भारत की सुरक्षा, अखंडता, समृद्धि के प्रतिकूल नहीं हो सकती परंतु जिस प्रकार से स्वदेशी, शरणार्थी कानून और अन्य राष्ट्रीय सुरक्षा के विषयों पर नकारात्मकता फैलाने की कोशिश होती है वहाँ भारतीयता की वास्तविक समझ का प्रचार भी आवश्यक हो जाता है। भारतीय परंपरा मे धर्म, राष्ट्र, स्वराज के अपने विशिष्ट अर्थ हैं परंतु पाश्चात्य धारणाओं से ही प्रत्येक अर्थ का निगमन करना हमारी वैचारिक पराधीनता है। पश्चिम के अनुभव हमारे नहीं है वे अपने देश, काल, बोध के अनुरूप है। हमारी अपनी अनुभव परंपरा है जिसे आधुनिक भारत मे महात्मा गांधी ने हिन्द स्वराज मे प्रस्तुत किया। प्रसिद्ध गांधीवादी चिंतक धर्मपालजी अपने साहित्य मे गांधीजी के दर्शन और जीवन शैली की व्याख्या करते हुए महत्त्वपूर्ण प्रश्न करते हैं कि आखिर हम किसकी सभ्यता के उपकरण बन रहे हैं? आत्मनिर्भर भारत अभियान को दिशा देते समय इस प्रश्न को अवश्य सामने रखना चाहिए।

कोरोना काल में शरीर का अनुशासन, संयम यदि हमारे प्रशासन के लिए चुनौती बन गया है तो हम जीवन शैली की दृष्टि से न तो आत्मनिर्भर हैं और न ही भारतीय। भारत एक आस्थावान जीवन शैली का राष्ट्र है परंतु इसकी परम्पराओं में स्वानुभव और विवेक का

पर्याप्त स्थान रहा है इसलिए एक शाश्वत सत्योन्मुखी पुरुषार्थ दृष्टि के साथ देश, काल सापेक्ष लचीलापन भी है। जब तक भारत में संसाधनों की प्रचुरता थी, औपनिवेशिक अमानवीय मूल्यों से परिचय नहीं था हमारे धर्म की धारणा में त्याग, प्रेम, सहिष्णुता का पूर्ण अभ्यास होता था परंतु हिंसा, शोषण, दमन और आधिपत्य के विमूल्यों से टकराव मे दैवी संपदा और आसुरी संपदा का युद्ध अनिवार्य हो जाता है। ब्रह्मज्ञान के स्तर पर माया का अनस्तित्व है परन्तु माया के स्तर पर तो माया के ही नियम का शासन होगा इसलिए आर्थिक-सामरिक सुरक्षा आत्मनिर्भरता की महती आवश्यकता है। कोई भी संस्कृति जीवन की सुरक्षा और स्वतन्त्रता के अवसर बिना उच्चतर जीवन मूल्यों का अभ्यास नहीं कर सकती।

आत्मनिर्भर भारत अभियान सिर्फ व्यापार एवं उद्योग का विषय नहीं है। यह हमारी शिक्षा व्यवस्था और सामाजिक जागरण का भी विषय है। इस समझ के आधार पर हम पुरुषार्थ धारणा को अपना सकेंगे और अपने दायित्वों का भली भांति निर्वहन कर सकेंगे। दुर्भाग्यवश भारतीय दृष्टि की व्याख्या में इस प्रकार की दुर्भावना अपनाई जाती है जिसमें इसकी समग्रता की उपेक्षा कर सुविधानुसार चयनात्मक (सलेक्टिव) दृष्टिकोण अपनाया जाता है। आश्चर्यजनक बात है कि विरोध के नाम पर विरोध मुक्त बाजार का अंग बनने पर जिनके द्वारा किया जाता है वे स्वदेशी कार्यक्रम के भी विरोधी रहते हैं। किसी भी व्यक्ति, विचार, संस्था और राष्ट्र की सत्यनिष्ठा के लिए विचार और कार्यक्रम में संगतता आवश्यक है। इस अर्थ में भारत की आत्मनिर्भरता उसके विकास, समृद्धि, सक्षमता और सुरक्षा से जुड़ी भावना है।

यह वास्तविकता है कि हम विश्व में अलग थलग होकर अपना विकास नहीं कर सकते परंतु यह भी आवश्यक है कि हम सहयोग और सहअस्तित्व के साथ जीते हुए अपनी व्यष्टिता की रक्षा कर सकें। व्यष्टि-समष्टि का भाव अंग-अंगी

आत्मनिर्भर भारत अभियान सिर्फ व्यापार एवं उद्योग का विषय नहीं है। यह हमारी शिक्षा व्यवस्था और सामाजिक जागरण का भी विषय है। इस समझ के आधार पर हम पुरुषार्थ धारणा को अपना सकेंगे और अपने दायित्वों का भली भांति निर्वहन कर सकेंगे। दुर्भाग्यवश भारतीय दृष्टि की व्याख्या में इस प्रकार की दुर्भावना अपनाई जाती है जिसमें इसकी समग्रता की उपेक्षा कर सुविधानुसार चयनात्मक (सलेक्टिव) दृष्टिकोण अपनाया जाता है।

का भाव है। अंग का हृष्ट-पुष्ट होना अंगी के हित में है और उसका अत्यधिक वाचाल होना पूरे शरीर में कैंसर के रूप में प्रकट होता है। यह समझ व्यष्टि-समष्टि संबंध की मर्यादा है। भारतीय दृष्टि सजगता और मर्यादा की दृष्टि है। आत्मनिर्भर भारत अभियान को निम्न दृष्टियों से अधिक लोकहितकारी बनाया जा सकता है-

- भारतीय शिक्षा व्यवस्था में वैश्विक मूल्यों की समझ के साथ स्थानीय उत्पादन क्षमता और आवश्यकता की समझ होना भी अपेक्षित है।
- विकास के सिर्फ दैहिक-भौतिक आयाम ही नहीं होते मानसिक-आध्यात्मिक भी होते हैं।
- आर्थिक विकास की धारणा मे भी एकात्ममानवता का आदर्श होना चाहिये।
- स्वदेशी का अर्थ विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार मात्र नहीं है बल्कि अपने पुरुषार्थ का जागरण और आस-पास के परिवेश के प्रति संवेदनशीलता है।
- प्रेम, सहयोग, करुणा का भाव रखने वाले पुरुषार्थी होते हैं। कर्म की प्रवृत्ति का त्याग उचित नहीं होता।
- कायिक श्रम मनुष्य की दैहिक-नैतिक आवश्यकता है।
- स्वदेशी एवं कुटीर उद्योग का अर्थ क्वालिटी से हमेशा समझौता और रियायत लेना नहीं है इन्हें वैश्विक मानकों के अनुरूप होना होगा ।
- मनुष्य की खुशहाली संयम और अनुशासन के बिना संभव नहीं है।
- तकनीकी कौशल में भारतीय वैज्ञानिक अग्रणी बन सकते हैं परंतु इस कौशल का इस्तेमाल भारतीय समाज की विषमता को दूर करने में प्राथमिक वरीयता के साथ होना चाहिए।
- शिक्षा व्यवस्था में जानकारी जुटाने से ज्यादा आवश्यक प्राप्त जानकारी का सदुपयोग करना है।
- इस देश को आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत नहीं है बल्कि बुराइयों को दूर करके अपने स्वाभाविक रूप में आने की जरूरत है।
- भारतीय सौंदर्यशास्त्र में रससिद्धि सिर्फ इंद्रियों के स्तर पर नहीं है इसका भोक्ता आत्मतत्त्व को माना गया है इसलिए सौन्दर्य उपचार की कोई व्यवस्था अथवा प्रक्रिया का आधार एकमात्र मनुष्य की इंद्रिय संतुष्टि नहीं हो सकती। ❑

पंडित दीनदयाल जी का आत्मनिर्भर भारत के संदर्भ में यह कहना कि देश के लिए अपेक्षित अर्थ-चिंतन भारत की संस्कृति से जुड़े। उन्होंने आयातित विदेशी राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक तथा भाषिक विचारों के स्थान पर 'एकात्म मानववाद', 'सांस्कृतिक राष्ट्रवाद' एवं 'भारतीयकरण' पर बल दिया। विज्ञान में, प्रौद्योगिकी में, कृषि में, देश की प्रगति में तथा आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में लोगों के सामर्थ्य पर सत्ताधारियों को भरोसा कम था। वह वस्तुतः आत्मविश्वासहीनता का दौर चल रहा था।

दीनदयाल जी की दृष्टि में आत्मनिर्भर भारत

प्रो. चक्रधर त्रिपाठी
विश्व भारती, शांतिनिकेतन
पश्चिम बंगाल

पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारत की स्वातंत्र्योत्तर राजनीति में चिंतन और मनन करने वाले दार्शनिकों में अन्यतम रहे हैं। इस देश के प्राकस्वातंत्र्य काल में विवेकानंद आते हैं जो भारतीय चिंतन को एक नया मोड़ देते हुए संपूर्ण विश्व में भारत की एक महान एवं देदीप्यमान छवि प्रस्तुत करते हैं और संपूर्ण समाज को वेदांत से नव्य वेदांत की ओर ले चलते हैं। साथ ही वे 'सत्यनारायण' की सेवा के स्थान पर 'दरिद्र नारायण' की सेवा को अपना ध्येय बनाते हैं। स्वामी जी ने मोक्ष से ध्यान हटाते हुए आधुनिक पराधीन भारत में यह कहा कि जब तक भारत का प्रत्येक व्यक्ति भरपेट भोजन नहीं कर लेगा; तब तक भारत के विकास की बात नहीं की जा सकती है। वे भारत की दरिद्रता को देखते हुए इतने अधिक आहत हुए थे कि गरीबों के प्रति असंवेदनशील व्यक्ति अथवा वर्ग को गद्दार मानते थे। राष्ट्रनिर्माताओं की इसी श्रेणी में रवींद्रनाथ और गाँधी जी आते हैं। भारत के स्वतंत्रता-आंदोलन में गुरुदेव ने ग्राम-विकास को, तो गाँधी जी ने अंत्योदय को अपना लक्ष्य बनाया। लेकिन समाजवाद के प्रबल प्रताप के सम्मुख अंत्योदय की सोच कमजोर पड़ने लगी थी। तभी इस ग्रामोन्मुख विचारधारा को सुदृढ़ बनाने का कार्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपने हाथ में लिया और भारत-विकास को भारतीयता से जोड़ते हुए एवं राष्ट्र-निर्माण की कल्पना को गाँधीजी के अंत्योदय से जोड़ा। देश की राजनीतिक विसंगतियों और कमियों को दूर करते हुए राजधर्म को, और समाज की रूढ़ियों तथा सोच को बदलते हुए राष्ट्रीय स्वाभिमान के निर्माण हेतु जनसंघ के मंच से उन्होंने सैद्धांतिक राजनीति की और लोकतंत्र की नई पद्धति की बात की।

स्वतंत्रता के आंदोलन में गाँव और गरीब की बात बढ़-चढ़कर की गई; क्योंकि भारत गाँवों का देश रहा है। इसलिए ग्राम-प्रधान तथा ग्रामोन्मुख अर्थव्यवस्था की बात की गई। लेकिन स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात गाँव और गरीब देश के नीति-निर्माताओं की दृष्टि से ओझल हो गए। पुनर्गठन और विकास की योजनाएँ सफल नहीं हो पायीं; यद्यपि समाजवाद और साम्यवाद के आदर्शों पर चलने का प्रयास जारी रहा।

दीनदयाल जी ने विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की बात की। तथाकथित आयातित समाजवाद एवं साम्यवाद की चर्चा करते हुए अपने देश के लिए एक विशेष अर्थव्यवस्था की आवश्यकता पर उन्होंने बल देते हुए कहा- 'देश का दारिद्रय दूर होना चाहिए। इसमें दो मत नहीं हैं। किंतु प्रश्न यह है कि कैसे दूर हो? अमेरिका के मार्ग पर चलें या रूस के मार्ग को अपनाएँ अथवा यूरोपीय देशों का

अनुकरण करें? नकल से समस्या का समाधान नहीं होगा। वादों के घेरे से मुक्त होकर हमें एक स्वतंत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास करना होगा, जो मनुष्य को समग्रता में देखें।'

उक्त कथन के आलोक में भारतीय अर्थव्यवस्था को स्वीकारने पर भारतीय चिंतन को अपनाना होगा, जो सदा समग्रता और अखंडता को साथ लेकर चलता है एवं जीवन तथा पृथ्वी को टुकड़ों में नहीं, खंडों में नहीं, बल्कि समग्रता में, अखंडता में देखता है। इस संदर्भ में ईशावास्योपनिषद का यह मंत्र प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत किया जा सकता है–

ईशावास्यामिदं सर्वं यत्किंच जगत्यान जगत।
तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्यस्विद्धनम।।

अर्थात् संसार में जो कुछ भी है, वह ईश्वर का है, किसी और का नहीं है। उसे अगर भोग करने की बात की जाए तो वह भोग त्यागमय होना चाहिए। तात्पर्य यह है कि उस भोग्य वस्तु पर किसी एक का एकाधिकार नहीं रहता है; बल्कि सारे संसार का उस पर अधिकार रहता है। वस्तुतः हमारे देश ने सिर्फ भौतिकता को कभी स्वीकार नहीं किया और यदि स्वीकारा है, तो आध्यात्मिकता के साथ उसे स्वीकारा है।

दीनदयाल जी का समग्र चिंतन वेदांत के सिद्धांतों पर टिका हुआ है। उनका 'एकात्म मानव दर्शन' भी 'आत्मनिर्भर भारत' के क्षेत्र में अत्यंत प्रासंगिक है। उन्होंने सदियों के आर्ष चिंतन को आधुनिक संदर्भ में, एक नए रूप में प्रस्तुत किया है। उनका मानना है जिस प्रकार मनुष्य केवल शरीर नहीं है, उसमें एक मन भी है और एक आत्मा भी है; ठीक उसी प्रकार समाज और राष्ट्र में भी आत्मा होती है। एकात्म मानव दर्शन और ग्राम-प्रधान अर्थव्यवस्था के माध्यम से उन्होंने समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का महत्त्व और उसके विकास का महत्त्व प्रतिपादित किया। वे 'प्रत्येक व्यक्ति को काम मिले' – सिद्धांत के पक्षधर थे। उनका कहना था– 'योजनाएँ बनाने से पहले हमें प्रत्येक व्यक्ति को काम के सिद्धांत को मान्यता देनी पड़ेगी। अगर इस सिद्धांत को मान्यता दी जाए तो योजनाओं की दिशा और रूपरेखा बदल जाएगी। यदि अधिक लोगों का उपयोग करने वाले छोटे-छोटे कुटीर उद्योग अपनाये गए, तो कम पूंजी तथा मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी, नौकरशाही का बोझ कम होगा, विदेशी ऋण भी नहीं लेना पड़ेगा।'

पंडित दीनदयाल जी का आत्मनिर्भर भारत के संदर्भ में यह कहना कि देश के लिए अपेक्षित अर्थ-चिंतन भारत की संस्कृति से जुड़े। उन्होंने आयातित विदेशी राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक तथा भाषिक विचारों के स्थान पर 'एकात्म मानववाद', 'सांस्कृतिक राष्ट्रवाद' एवं 'भारतीयकरण' पर बल दिया। विज्ञान में, प्रौद्योगिकी में, कृषि में, देश की प्रगति में तथा आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में लोगों के सामर्थ्य पर सत्ताधारियों को भरोसा कम था। वह वस्तुतः आत्मविश्वासहीनता का दौर चल रहा था। दूसरी ओर, कांग्रेस की दृष्टि में नए राष्ट्र के रूप में भारत का जन्म 15 अगस्त 1947 को हुआ। साम्यवादी भारत को बहुराष्ट्रीय महाद्वीप मानते थे। समाजवादी यह मानते थे कि भारत अभी राष्ट्र बनने की ओर है। ऐसे आस्थाहीन, स्वाभिमानरहित वातावरण में दीनदयाल जी ने प्रतिपादित किया कि भारत एक राष्ट्र है, प्राचीन राष्ट्र है, एक सांस्कृतिक राष्ट्र है। भारत को स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए दीनदयाल जी के 'एकात्म मानव दर्शन' के अंतर्गत संपोषणीय विकास की अवधारणा को अपनाना होगा एवं उनके द्वारा दिए गए अंत्योदय विचार को समझना होगा। तभी हम भारत को स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बना सकते हैं। ❑

आत्मनिर्भर भारत की नींव : राष्ट्रीय शिक्षा नीति

डॉ. सुरेश कुमार सोनी

अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला (हि.प्र.)

प्रख्यात वैज्ञानिक प्रो. के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में बनी 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' जिसे 29 जुलाई, 2020 को माननीय शिक्षा मंत्री, भारत सरकार ने राष्ट्र को समर्पित किया है। इससे पूर्व भारत में शिक्षा नीति को देने के लिए महत्त्वपूर्ण प्रयास कोठारी कमीशन 1968 में, नई शिक्षा नीति 1986 तथा 1992 और RTE Act, 2009 में प्रयास हुए। शिक्षा में कुछ सुधार तो हुए, व्यावसायिक शिक्षा पर भी कुछ बातें की गईं परन्तु लॉर्ड मैकाले द्वारा भारतवर्ष की शिक्षा प्रणाली पर जो चोट की गई थी उससे उभरने के साहसिक प्रयास नहीं हो पाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत सरकार द्वारा तथा शिक्षा मंत्रालय द्वारा एक ऐसा अनूठा प्रयास है, जिसके द्वारा भारत तथा भारत की शिक्षा प्रणाली को भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार भविष्य का निर्माण करने योग्य बनाया जा सके।

इस नीति के कई मुख्य बिन्दु हैं, उनमें से कुछ एक पर मैं प्रकाश डालूंगा।

स्कूल शिक्षा:

स्कूल शिक्षा में ढाँचागत बदलाव बाल्यकाल शिक्षा से लेकर सैकेण्डरी शिक्षा तक किया गया है। जमा दो सिस्टम को 5+3+3+4 में बदला गया है। व्यावहारिक पाठ्यक्रम निर्माण करने पर जोर है तथा पाठ्यक्रम को लचीला बनाने पर बल दिया गया है। विद्यालयों में जमा एक और जमा दो के स्तर पर जो स्ट्रीमिंग विज्ञान, वाणिज्य एवं कला आदि में की गई थी उसे हटाकर बहु-विषयक और समग्र शिक्षा व्यवस्था पर बल है जिससे ज्ञानवान, कुशल एवं निपुण विद्यार्थी बनाने पर बल दिया गया है।

यह बहुत ही हर्ष का विषय है कि छठी कक्षा से बच्चों को स्किल्स जो कि समाज तथा क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप हो प्रदान करने पर बल दिया गया है आने वाले समय में हम स्किल्ड इंडिया का निर्माण कर सकते हैं। आज तक की शिक्षा व्यवस्था अंग्रेजी के प्रभाव में थी और जो ज्ञान तथा भाषा स्थानीय स्तर पर है उस तरफ स्वतंत्र भारतवर्ष में ध्यान नहीं दिया गया। मुझे हर्ष है कि बाल्यकाल स्तर तथा प्राईमरी स्तर की शिक्षा स्थानीय भाषा में देने की बात कही गई है। स्थानीय भाषा बच्चा परिवार और परिवेश में स्वत: ही सीख लेता है और उस भाषा में अपने आप को व्यक्त भी करता है। बाल्यकाल में ही यानि छ: वर्षों तक बच्चे का 85 प्रतिशत मस्तिष्क विकसित हो जाता है। यह ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चा बहुत सृजनात्मक होता है और उसे जानने की प्रबल जिज्ञासा होती है। अत: स्थानीय भाषा में शिक्षा देने की बात इस स्तर पर learning out-

comes जो वर्तमान में बहुत कम है, में बढ़ोतरी होगी। इसके अतिरिक्त बाल्यकाल से ही संख्यात्मक ज्ञान की बुनियादी तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने की बात शिक्षा नीति 2020 में कही गई है, प्रशंसनीय है। इसके अतिरिक्त learning outcomes को बढ़ाने के लिये experiential, application तथा activity based शिक्षा पर जोर दिया गया है। जिससे हम एक सबल, ज्ञानवान, निपुण विद्यार्थियों का निमार्ण कर सकेंगे।

वर्तमान में जो समस्या हम सभी झेल रहे हैं वह व्यक्ति निर्माण की है। व्यक्ति निर्माण के लिए व्यक्ति के व्यक्तित्व के सभी पक्षों शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा के विकास पर ध्यान देना आवश्यक है। यह एक ऐसी शिक्षा नीति है जो व्यक्ति की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर उसका सम्पूर्ण विकास करने में सहायक होगी। मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहता हूँ कि जो विभाजन Academic और Non-Academic विषय के बीच वर्तमान में विद्यमान है, उसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में समाप्त कर दिया है। यानि पाठ्यक्रम, सह पाठ्यक्रम, अतिरिक्त पाठ्यक्रम आदि गतिविधियाँ जैसे खेल, संस्कृति आदि के भेद को समाप्त कर दिया गया है और सभी को विद्यार्थी के विकास के लिए आवश्यक माना गया है। इसके अतिरिक्त कक्षा तीसरी, पाँचवी और आठवीं में भी बच्चों का मूल्यांकन और परीक्षाएँ होंगी। यह learning के लिए तथा learning outcomes के लिए एक सही कदम है। दसवीं और बाहरवीं की परीक्षाएँ बोर्ड के द्वारा ली जाएँगी परन्तु परीक्षाएँ आसान हों और परीक्षा का दबाव बच्चों पर न रहे ऐसी प्रणाली विकसित करने पर जोर दिया गया है।

उच्च शिक्षा

उच्च शिक्षा के सन्दर्भ में भी अनेक बदलाव किए गए है। Streaming; Science, Commerce and Arts में यहाँ पर समाप्त कर दी गई है तथा विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुरूप विषयों का चयन कर सकता है। ग्रैजुएट कोर्स 3 तथा 4 वर्ष का होगा। 3 वर्ष में भी डिग्री प्राप्त की जा सकती है और विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार ही व्यवसाय और नौकरी प्राप्त कर सकता है। चतुर्थ वर्ष में यदि कोई विद्यार्थी प्रवेश करता है तो उसे अनुसंधान सीखने व करने का मौका दिया गया है व इसी आधार पर अपने भविष्य को बना सकता है। यहाँ यह बताना आवश्यक है कि विद्यार्थी की मेहनत व्यर्थ ना जाए इसके लिए जो उसने सीखा है उसी आधार पर उसे Certificate, Diploma या Degree 1,2,3 या 4 वर्ष क्रमशः के आधार पर देने का प्रावधान है। यह बहुत ही सराहनीय कदम है। विद्यार्थी के Saving Bank की तरह उसकी मेहनत के आधार पर अर्जित किए Credits, Academic Credit Bank में जमा होते जाएँगे और वह जब चाहे अपनी शिक्षा में सुधार और विकास कर सकता है। इसके अतिरिक्त "Multiple Entry and Exit" का प्रावधान कर उच्च शिक्षा को आसान व बदलती हुई रुचियों के अनुसार डाला गया है। इसके अतिरिक्त Regulating Agencies जो वर्तमान में इतनी ज्यादा हैं अब केवल एक ही Regulatory Body होगी (Medical और Law को छोड़कर) उच्च शिक्षा के सभी संस्थानों पर नियंत्रण रखेगी। रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर रिसर्च फाउंडेशन स्थापित करने का प्रावधान इस शिक्षा नीति में है। इससे अनुसंधान में भी भारतवर्ष के शिक्षा संस्थान बेहतर करेंगे।

बाल्यकाल स्तर तथा प्राईमरी स्तर की शिक्षा स्थानीय भाषा में देने की बात कही गई है। स्थानीय भाषा बच्चा परिवार और परिवेश में स्वतः ही सीख लेता है और उस भाषा में अपने आप को व्यक्त भी करता है। बाल्यकाल में ही यानि छः वर्षों तक बच्चे का 85 प्रतिशत मस्तिष्क विकसित हो जाता है। यह ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चा बहुत सृजनात्मक होता है और उसे जानने की प्रबल जिज्ञासा होती है।

अन्त में मैं पुनः राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भूरी-भूरी प्रशंसा करता हूँ और जो लक्ष्य 2030 तक विद्यालयों में 100 प्रतिशत GER तथा उच्च शिक्षा में 50 प्रतिशत GER 2035 तक लक्ष्य रखा गया है उसे हिमाचल प्रदेश सबसे पहले ही प्राप्त कर लेगा ऐसा मेरा विश्वास है। केन्द्र की सरकार एक संकल्प के साथ काम कर रही है। 6 प्रतिशत GDP शिक्षा पर व्यय करने के लिये शिक्षा नीति 2020 में कहा गया है। इस प्रकार की अनुसंशा पहले भी शिक्षा नीतियों में की गई थी परन्तु आज तक इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका है। केन्द्रीय सरकार द्वारा 6 प्रतिशत GDP के व्यय की अनुशंसा जो इस शिक्षा नीति में की गई है उसे अवश्य ही पूरी कर देगी जोकि एक ऐतिहासिक कदम होगा। मैं यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री और माननीय शिक्षा मंत्री से आग्रह करना चाहता हूँ की समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 21-A के अंतर्गत उपरोक्त आयु के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार बना दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 3 से लेकर 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों को इस प्रावधान के अंतर्गत लाने की बात कही गई है। शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है, इस संदर्भ में राज्य भी कई प्रकार से पहल कर सकते हैं। शिक्षा नीति 2020 आत्मनिर्भर भारत की ओर एक प्रभावशाली कदम है। आवश्यकता यह है कि इसके क्रियान्वयन के लिये हम सभी को ईमानदार प्रयास करने होंगे। ❑

शिक्षा पहेली का समाधान : नई शिक्षा नीति 2020

डॉ. राजेश जांगिड़
सह आचार्य, अर्थशास्त्र,
राज. महाविद्यालय, रेलमगरा,
राजसमंद (राज.)

वर्तमान भारत में उच्च प्राथमिक शिक्षा के स्तर तक एक तिहाई बच्चे विद्यालय बीच में छोड़ देते हैं। माध्यमिक स्तर पर इस तरह विद्यालय बीच में छोड़ देने वाले बच्चों का हिस्सा आधा होता है। अर्थात् माध्यमिक शिक्षा के स्तर तक पहुँचते-पहुँचते आधे बच्चे विद्यालय बीच में छोड़ देते हैं। विद्यालय बीच में छोड़ने का सबसे बड़ा कारण पढ़ाई का अरुचिकर होना है जिसके कारण विद्यार्थी परीक्षा में असफल होता है। परीक्षा में असफलता के लिए केवल विद्यार्थी को दोषी माना जाता है तथा इसके लिए केवल और केवल विद्यार्थी के प्रयासों की कमी को जिम्मेदार ठहराया जाता है। परीक्षा में असफल होना विद्यार्थी पर एक बहुत बड़ा कलंक लगा देता है। इस असफलता के बाद विद्यार्थी अपने विद्यालय के साथियों, परिवार और मित्रों से भिन्न व अपने आप को कमजोर समझने लगता है। विद्यालय की व्यवस्था में विद्यार्थी असफल होता है लेकिन अन्य क्षेत्रों में यह असफलता देखने को नहीं मिलती उदाहरण के लिए लकड़ी का काम सीखने वाला अथवा कृषि कार्य सीखने वाला विद्यार्थी या प्रशिक्षु कभी असफल नहीं होता। उनकी कुशलता या गुणवत्ता में अंतर हो सकता है लेकिन अंतर सफलता या असफलता जितना नहीं होता। इसलिए इस विद्यालय व्यवस्था को सफलता या असफलता के द्वैत से बाहर निकाल कर बेहतर अधिगम के स्तर पर लाना आवश्यक है। विद्यार्थी की असफलता के लिए शिक्षा व्यवस्था दोषी है, नई शिक्षा नीति 2020 में इस बात को बेहतर तरीके से अभिव्यक्त किया गया है।

ड्रॉपआउट की समस्या

वास्तव में अब तक की शिक्षा नीतियों में इस बात का विश्लेषण नहीं किया गया विद्यार्थी द्वारा विद्यालय बीच में छोड़ देने के लिए विद्यार्थी दोषी है अथवा हमारी शिक्षा व्यवस्था दोषी है। नई शिक्षा नीति में इसका स्पष्ट विश्लेषण किया गया है कि इसके लिए शिक्षा व्यवस्था दोषी है ना कि विद्यार्थी। अगर शिक्षा व्यवस्था 50 प्रतिशत ड्रॉपआउट करती है तो इसका तात्पर्य है कि हटाना है। शिक्षा व्यवस्था 50 प्रतिशत ड्रॉपआउट बच्चों को अध्ययन जारी रखने में असमर्थ है। जब परिवार के किसी भी कार्य में बालक असफल नहीं होता तो फिर शिक्षा में असफल क्यों होता है। यह सही है कि कुशलता व दक्षता का स्तर भिन्न-भिन्न हो सकता है लेकिन यह अंतर सफलता से असफलता में रूपांतरित नहीं होना चाहिए। यह हो सकता है कि शिक्षा अरुचिकर रही हो जिसके कारण विद्यार्थी ने उसमें पर्याप्त अधिगम स्तर प्राप्त नहीं किया हो, लेकिन यह शिक्षा व्यवस्था का दोष है न की विद्यार्थी का। शिक्षा की गुणवत्ता, पाठ्यक्रम एवं शिक्षा को रुचिकर बनाने के प्रयासों के द्वारा नई शिक्षा नीति में व्यापक रूप से इस समस्या का समाधान प्रस्तुत किया गया है। 2017-18 में देश में 3.22 करोड़ बच्चे जिनकी उम्र 6 से 17 वर्ष थी विद्यालय व्यवस्था से बाहर थे। शिक्षा नीति में शीघ्रातिशीघ्र इन बच्चों को विद्यालय व्यवस्था में लाने की बात कही गई है। ठीक इसी तरह यह भी कहा गया है कि 2030 तक माध्यमिक स्तर में सकल नामांकन अनुपात को 100 प्रतिशत तक होगा जो अभी 56.5 प्रतिशत है। सार्वभौम नामांकन तथा विद्यालय बीच में छोड़ देने की समस्या को हल करने के लिए दो तरह के प्रयासों पर बल दिया गया है। जिसमें एक पर्याप्त व प्रभावी बुनियादी ढाँचे का निर्माण तथा प्रत्येक स्तर पर नियमित व प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना सम्मिलित है। विद्यालय व्यवस्था में आए बच्चों की ट्रैकिंग व्यवस्था, प्रवासी परिवारों के बालकों के लिए विशेष व्यवस्था, दूरस्थ शिक्षा व्यवस्था तथा अधिगम में सुधार के लिए भूतपूर्व विद्यार्थियों व समुदाय से स्वयंसेवी प्रयासों के प्रोत्साहन जैसे प्रयासों के माध्यम से इस ड्रॉपआउट को

नियंत्रित करने की पहल नई शिक्षा नीति में की गई है। प्रमुख बात यह है कि नई शिक्षा नीति में ड्रॉपआउट व कम अधिगम की व्यवस्था को विद्यार्थी की समस्या न मानते हुए शिक्षा व्यवस्था की समस्या माना गया है तथा इसे हल करने के लिए इसमें पर्याप्त प्रावधानों का समावेश किया गया है। शिक्षा को रुचिकर बनाने, पाठ्यक्रम में व्यापक विविधता प्रदान करने, विद्यालय में बेहतर आधारभूत संरचना का निर्माण, सभी स्तरों पर पर्याप्त व प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति, विद्यालय से जुड़े सभी पक्षों में एकीकृत समन्वय तथा शिक्षा के बहुत प्रारंभिक स्तर से ही व्यावसायिक शिक्षा की उपलब्धता विद्यार्थी के कमजोर अधिगम तथा अरुचिकर पाठ्यक्रम की समस्या का प्रभावी समाधान कर पाएगा।

शिक्षा व अधिगम

अधिगम का नीच स्तर भारतीय शिक्षा व्यवस्था में एक बहुत महत्त्वपूर्ण चिंता का विषय है। चाहे प्राथमिक शिक्षा के स्तर की बात हो अथवा शिक्षक प्रशिक्षण के स्तर की बात हो दोनों ही स्तर पर यह स्पष्ट हो चुका है कि शिक्षा की गुणवत्ता कमजोर रही है। शिक्षा की कमजोर गुणवत्ता अथवा अधिगम का कमजोर होना ड्रॉपआउट को बढ़ाने का एक बहुत महत्त्वपूर्ण कारक रहा है। एसर के अध्ययन यह दर्शाते हैं कि बड़े अनुपात में उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थी प्राथमिक स्तर के सामान्य गणित और भाषा संबंधी समस्याओं का हल प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं। ठीक इसी तरह शिक्षक पात्रता परीक्षा में केवल 4 प्रतिशत उत्तीर्ण होना शिक्षक प्रशिक्षण के स्तर पर विफलता को दर्शाता है। सामान्यत: विद्यार्थी के कमजोर अधिगम के लिए विद्यार्थी को उत्तरदायी माना जाता है यह ठीक उसी तरह जिस तरह से असफल विद्यार्थी कहा जाता है। लेकिन यह विद्यार्थी की असफलता नहीं है अपितु शिक्षा व्यवस्था की असफलता है। इसे शिक्षा व्यवस्था की असफलता मानते हुए नई शिक्षा नीति में शिक्षा में अधिगम के स्तर को सुधारने के लिए व्यापक प्रयास सम्मिलित किए गए हैं। उदाहरण के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा से संबंधित प्रावधान, बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान पर बल, नए डिजाइन में विद्यालय पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र को पुनर्गठित करने के प्रावधान, खोज आधारित /चर्चा आधारित और विश्लेषण आधारित अधिगम पर बल, कोर्स चुनाव के विकल्पों में लचीलापन, मातृ भाषा/ घर की भाषा/ स्थानीय भाषा/ क्षेत्रीय भाषा में अधिगम के प्रावधान, स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, स्थानीय विषय वस्तु और आस्वाद के साथ राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तकें बनाने के प्रावधान इस दिशा में उठाए गए महत्त्वपूर्ण कदम हैं।

नई शिक्षा नीति 2020 इस बात पर बल देती है कि शिक्षा व्यवस्था में किस प्रकार बदलाव किए जाएँ ताकि शिक्षा, कौशल व रोजगार के मध्य बेहतर जुड़ाव हो सके तथा पूर्व की शिक्षा नीतियों में शिक्षा, कौशल व रोजगार के मध्य के उपेक्षित संबंध को प्रभावी ढँग से स्थापित करने का प्रयास किया गया है।

शिक्षा व रोजगार

भारत में सर्वाधिक बेरोजगारी शिक्षित स्नातक वर्ग में है तथा यह बेरोजगारी स्नातक से कम शिक्षित वर्ग से अधिक है। शिक्षा व रोजगार के मध्य की कड़ी मजबूत नहीं है। यदि शिक्षा प्राप्त व्यक्ति रोजगार प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसके लिए उसी को दोषी माना जाता है। शिक्षित व्यक्ति के रोजगार नहीं पा सकने की स्थिति को उसकी असफलता के रूप में माना जाता है। जबकि सही रूप में शिक्षा व रोजगार का संबंध शिक्षा व्यवस्था पर महत्त्वपूर्ण रूप से निर्भर करता है। नई शिक्षा नीति 2020 इस बात पर बल देती है कि शिक्षा व्यवस्था में किस प्रकार बदलाव किए जाएँ ताकि शिक्षा, कौशल व रोजगार के मध्य बेहतर जुड़ाव हो सके तथा पूर्व की शिक्षा नीतियों में शिक्षा, कौशल व रोजगार के मध्य के उपेक्षित संबंध को प्रभावी ढँग से स्थापित करने का प्रयास किया गया है। विश्व में सर्वाधिक युवा आबादी, जनांकिकी लाभांश, कमजोर कौशल स्थिति तथा कौशल विकास को लेकर विश्व में भारत की संभावित स्थिति का विश्लेषण शिक्षा तथा कौशल विकास को व्यवसायिक शिक्षण प्रशिक्षण व शिक्षा के मध्य आमूलचूल परिवर्तन करने वाले संबंधों के रूप में नई शिक्षा नीति में समाहित किया गया है। व्यावसायिक शिक्षा के गौरव को स्थापित करने, व्यावसायिक तथा अकादमिक शिक्षा के मध्य गतिशीलता को सजीव करने, कृषि शिक्षा और इससे संबद्ध विषयों को पुनर्जीवित करने तथा व्यावसायिक शिक्षा को अकादमी शिक्षा की तरह मुख्य शिक्षा व्यवस्था के रूप में स्थापित करने के बड़े प्रयास इस शिक्षा नीति में शामिल किए गए हैं। व्यावसायिक शिक्षा संबंधी प्रयासों के माध्यम से शिक्षा तथा रोजगार के मध्य की कड़ी मजबूत होगी।

इस प्रकार विद्यार्थी का परीक्षा में असफल होना, विद्यालय बीच में छोड़ देना, अध्ययन में कमजोर गुणवत्ता का होना, कमजोर अधिगम स्तर होना तथा शिक्षा व रोजगार के मध्य कमजोर संबंध होने के लिए विद्यार्थी को दोषी माना जाता रहा है। यह विचार दोषपूर्ण रहा है। वास्तव में यह विद्यार्थी की अपेक्षा शिक्षा नीति क्रियान्वयन के दोष रहे हैं। नई शिक्षा नीति 2020 में इस तरह इस महत्त्वपूर्ण विषयों पर व्यापक प्रावधान किए गए हैं तथा इसे बेहतर करने के लिए समयबद्ध रूपरेखा प्रस्तुत की गई है जो स्वागत योग्य कदम है तथा महत्त्वपूर्ण रूप से पूर्व की नीतियों से भिन्न है। ❑

आत्मनिर्भर भारत में शिक्षा की संकल्पना

डॉ. निर्भय कुमार
असिस्टेंट प्रोफेसर,
हिन्दी विभाग,
रामजस कॉलेज, दिल्ली
विश्वविद्यालय दिल्ली

विगत कुछ महीनों से हम एक भयंकर महामारी जनित त्रासदी का सामना कर रहे हैं। आज पूरा विश्व इस संकट के कारण त्राहि-त्राहि कर रहा है। विश्व का प्रत्येक देश और उस देश का प्रत्येक नागरिक अपने आप को अपने सुरक्षित दायरे में समेट लेना चाहता है ताकि वह इस संकट से बचा रह सके। आज कोई भी नहीं चाहता कि वह अपनी किसी भी अनिवार्य आवश्यकता की पूर्ति हेतु किसी दूसरे नागरिक या देश पर निर्भर रहे। वह चाहता है कि उसके पास वे मूलभूत सभी चीजें हों जिससे वह अपनी और अपने प्रियजनों की अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा कर सके और इस प्रकार के किसी भी संकट से अपने और अपने लोगों को सुरक्षित रख सके। आज कोई भी किसी से पूछे कि आपको क्या चाहिए - रुपया-पैसा, धन-दौलत, गाड़ी बंगला, पद प्रतिष्ठा? सभी का एक ही उत्तर है - मुझे जीवन चाहिए! बस! भारत के प्रतिष्ठित उद्यमी रतन टाटा ने भी कहा कि इस वर्तमान संकट के दौर में जिसने जीवन कमा लिया समझो वह इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। अभी मनुष्य की समस्त इच्छाएँ, कामनाएँ केवल और केवल जीवन पर आकर केंद्रित हो गईं हैं। सबको पता है कि जीवन है तो सब कुछ है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी कहा कि 'जान है तो जहान है!' अपने जीवन का यह प्रबल बोध आखिर है क्या? जीवन का यह बोध दरअसल अपने आत्म का बोध है। सबको पता है कि हमारा वजूद हमारे जीवन पर निर्भर है। हमारे आत्म पर निर्भर है। इस संकट के क्षण में आत्म पर निर्भर रहना सबकी अनिवार्य आवश्यकता है। इसीलिए आत्मनिर्भरता किसी भी देश के प्रत्येक नागरिक व उस देश के लिए कितनी महत्त्वपूर्ण और अनिवार्य है - इसे समझना अत्यंत आवश्यक है।

वास्तव में भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली 'आत्मनिर्भर भारत' की संकल्पना के पीछे इसी आत्म-बोध का भाव है। भारत सरकार की इस महत्त्वाकांक्षी संकल्पना का उद्देश्य भारत राष्ट्र और उसके प्रत्येक नागरिक को हर प्रकार से सबल, सक्षम एवं सकुशल बनाना है। आज के इस महामारी या भविष्य में आने वाले किसी भी संकट पर सुरक्षित विजय प्राप्त करने के लिए सबके भीतर योग्यता, दृढ़ता व साहस पैदा करना है। लेकिन यह तभी संभव है जब यहाँ अर्थ-व्यवस्था, भौतिक एवं तकनीकी विकास के साथ-साथ शिक्षा व ज्ञानार्जन की समुचित प्रक्रिया का विकास हो। ऐसे में प्रश्न है कि आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना में शिक्षा की संकल्पना कैसी हो? यदि भारत राष्ट्र और उसके नागरिकों को 'आत्मनिर्भर भारत' की संकल्पना को साकार करना है, तो अर्थ-व्यवस्था, तकनीकी विकास एवं स्वास्थ्य-सुविधाओं के साथ ही हमारी शिक्षा-व्यवस्था व ज्ञानार्जन की प्रक्रिया को स्वावलंबी बनाना अत्यंत अनिवार्य और प्राथमिक आवश्यकता है। क्योंकि परावलंबन हमें समुचित विकास के पथ से भटकाता है और हमें पतन की ओर ले जाता है। इतना ही नहीं, परावलंबन हमें धीरे-धीरे सत्ता अर्थात् शक्ति का अंध-अनुगामी बना देता है। ऐसे में जो देश या उसके नागरिक सबल यानी शक्तिशाली होते हैं, परावलंबी देश या उसके नागरिक उनके गुलाम बनते जाते हैं। सभी सामाजिक, राजनीतिक, सामरिक तथा अन्य व्यवस्थाओं की रूपरेखा शक्ति द्वारा ही निर्धारित होती है और सबल की सुविधानुसार ही परिवर्तित और संशोधित होती रहती है। इतना ही नहीं, दुर्बल को वही स्वीकार करना पड़ता है जो सुगमतापूर्वक उसे मिल पाता है। इस प्रकार परावलंबी देशों की दुर्बलता व अक्षमता का लाभ उठाकर शक्तिशाली देश निरंकुश होने लगते हैं और अपनी साम्राज्यवादी नीतियों का विस्तार करने लगते हैं। आज हमारे सामने चीन की अनैतिक विस्तारवादी नीति इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करती है। हम बहुत हद तक चीन व अन्य देशों पर निर्भर हैं। इसी का लाभ उठाकर चीन जैसे देश हमारी तरफ आँख उठाकर देखने का दुस्साहस करते हैं।

ऐसे में भारत और इसके नागरिकों का स्वावलंबी या आत्मनिर्भर होना अत्यंत अनिवार्य है। भारत सरकार ने इसी चिंता के फलस्वरूप आज एक बार फिर से 'आत्मनिर्भर भारत' बनाने की पहल प्रारंभ की है जो बेहद स्वागतयोग्य पहल है। हमें अपनी अर्थव्यवस्था, अपनी तकनीकी क्षमता, अपने हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर आदि को स्वावलंबी बनाना होगा। स्वास्थ्य, शिक्षा, तकनीक, उत्पादों आदि के क्षेत्र में दूसरे देशों पर निर्भरता समाप्त कर विशुद्ध भारतीय ढाँचा खड़ा करना होगा। और यह सब तभी संभव है जब हम अपने देश की शिक्षा-व्यवस्था व ज्ञान-उत्पादन की प्रक्रिया को बुनियादी सुविधाओं से लैस कर स्वावलंबी बनाने पर जोर दें। ऐसे में यदि हाल ही में लागू की गई 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' को भविष्य के 'आत्मनिर्भर भारत' की पीठिका कहें, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। वास्तव में, आत्मनिर्भरता की संकल्पना हमारे देश के लिए कोई नई संकल्पना नहीं है। आज से कई दशक पूर्व राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने भी इसे अपने चिंतन और व्यवहार में समावेशित किया था। आत्मनिर्भरता या स्वावलंबन की संकल्पना गाँधी जी के चिंतन व उनकी जीवनदृष्टि का मूलमंत्र रहा है। इसी आधार पर उन्होंने 'स्वराज' की संकल्पना हमारे सामने रखी है। स्वामी विवेकानंद के 'आत्म दीपो भव' मंत्र के पीछे 'आत्मनिर्भर भारत' की संकल्पना ही रही है। आज एक बार पुनः 'कोरोना' वायरस के कारण उत्पन्न इस भयंकर संकट ने 'आत्मनिर्भरता' की संकल्पना को पुनर्प्रतिष्ठित करने का हमें अवसर प्रदान किया है। ऐसे क्षण में भारत केन्द्रित नवीन 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' को लागू किया जाना 'आत्मनिर्भर भारत' के निर्माण में एक सार्थक पहल है। इस शिक्षा नीति में शिक्षा का विकेंद्रीकरण करते हुए व्यावसायिक शिक्षा, कौशल-विकास शिक्षा, हस्तकला, लोक-व्यावहार ज्ञान इत्यादि के पाठ्यक्रम में स्थाई व्यावसायिक ज्ञान के समावेशन और विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण एवं उनके व्यक्तित्व के समग्र एवं संतुलित विकास को सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। ऐसी पहल 'आत्मनिर्भर भारत' की संकल्पना को साकार करने की दिशा में अग्रसर होने का प्राथमिक व महत्त्वपूर्ण संकेत है।

यदि हमें 'आत्मनिर्भर भारत' की संकल्पना को साकार करना है, तो 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' में प्रस्तावित स्वावलंबी व समावेशी शिक्षा की संकल्पना को पूरी निष्ठा

के साथ साकार करना होगा। इसके माध्यम से देश की युवा-पीढ़ी, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों की युवा पीढ़ी व उन पिछड़े गाँवों को आत्मनिर्भर बनाने की पहल करनी होगी जो अब तक शिक्षा, कौशल-विकास, रोजगार आदि के अवसरों से वंचित-उपेक्षित रहे हैं। विकेन्द्रित व समावेशी शिक्षा के माध्यम से देश के युवाओं में स्वावलंबन व आत्म-बोध का भाव भरना होगा। महात्मा गाँधी की भारत के गाँवों के विषय स्पष्ट धारणा थी कि भारत के गाँवों का समुचित विकास व उनका स्वावलंबन तभी संभव है जब उन गाँवों की पुनर्स्थापना की पहल स्थाई हो। उनका कहना था कि भारत के गाँवों की आत्मनिर्भरता उनमें मौजूद उद्योगों, कार्य-कुशलता, स्वास्थ्य एवं शिक्षा के समुचित व संतुलित समन्वय पर निर्भर करेगी। 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' में गाँधी के विचारों एवं इस समावेशन और समन्वयन का विशेष ध्यान रखा गया है जो प्रशंसनीय है। इसमें छात्र-छात्राओं के लिए सैद्धांतिक शिक्षा के साथ ही लोक-व्यवहार ज्ञान, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल-विकास की शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा आदि की शिक्षा-संकल्पना को समाहित किया गया है। और सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि यह शिक्षा छात्र-छात्राओं को उनकी मातृभाषा में दी जाएगी। इतना ही नहीं, इस शिक्षा नीति में अनेक स्थान पर स्थानीय भाषा, तकनीक, कौशल, कला एवं कारीगरी आदि को प्राथमिकता देने की बात कही गई है। निश्चय ही यह पहल 'आत्मनिर्भर भारत' की संकल्पना को साकार करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

वास्तव में, 'आत्मनिर्भर भारत' की संकल्पना तब साकार होगी जब छात्र-छात्राओं में प्री-प्राइमरी से ही संविधान-सम्मत मौलिक अधिकारों के साथ-साथ मौलिक कर्तव्यों का पाठ पढ़ाने पर भी बल दिया जाएगा। नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों के साथ-साथ उन्हें संवैधानिक मूल्यों से भी भलीभाँति परिचित कराया जाएगा। भारत सरकार ने हाल ही में प्रस्तावित 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' में इन सभी महत्त्वपूर्ण आयामों पर ध्यान दिया है जो एक सक्षम, कुशल, उद्यमी एवं बेहतर नागरिक के निर्माण के साथ-साथ 'आत्मनिर्भर भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी सहायक है। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के निमित्त शिक्षा में 'स्थानिकता' को महत्त्व देना बेहद अनिवार्य है। 'स्थानिकता' को ध्यान में रखते हुए व्यावसायिक शिक्षा, कौशल-विकास की शिक्षा, स्वास्थ्य-शिक्षा, रोजगारपरक-शिक्षा आदि से संबंधित प्रावधानों को ग्राम-पंचायत, प्रखंड, जिला आदि छोटे-छोटे स्तरों पर सफल तरीके से कार्यान्वित करना अनिवार्य है। यह सुखद संयोग है कि नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इन सभी बातों की तरफ भारत सरकार ने अपना ध्यान केन्द्रित किया है। 'आत्मनिर्भर भारत' की संकल्पना को साकार करने के निमित्त प्राथमिक स्तर से ही मातृभाषा में शिक्षार्जन व ज्ञानार्जन होना बेहद प्रभावी व कारगर होता है। अनेक वैज्ञानिक अनुसंधानों से यह प्रमाणित हो चुका है कि विद्यार्थी जितना प्रभावी तरीके से शिक्षार्जन या ज्ञानार्जन अपनी मातृभाषा में करता है, उतना किसी द्वितीयक भाषा में नहीं। मातृभाषा में शिक्षा-दीक्षा ग्रहण करने के कारण वह अपने सामाजिक-सांस्कृतिक आचरणों-अनुभवों, सामाजिक-सांस्कृतिक मल्यों-मान्यताओं सामाजिक-सांस्कतिक संवेदनाओं आदि से भावनात्मक स्तर पर जुड़ पाने में ज्यादा सक्षम होता है। अपनी मातृभाषा में ही कोई व्यक्ति सोचने समझने में अधिक सहज होता है। अत: जिस भाषा में वह सोचने-समझने में अधिक सहज होता है, उसी भाषा में उसकी शिक्षा-दीक्षा व ज्ञानार्जन होना चाहिए। क्योंकि तभी जाकर वह भविष्य में किसी भी कार्य में बेहतर परिणाम दे सकता है।

इसके विपरीत, द्वितीयक भाषा में शिक्षा-दीक्षा होने के कारण बेहतर परिणाम देने की बात तो दूर, वह अपने समाज व अपनी संस्कृति तथा उसके मूल्यों-मान्यताओं से कटता चला जाता है। फिर जब वह अपनी शिक्षा-दीक्षा पूर्ण कर सांसारिक जीवन में प्रवेश करता है, तब अपने सामाजिक, सांस्कृतिक अनुभवों और संवेदनाओं की परंपरा से मेल नहीं बैठा पाता। यहीं से द्वंद्व और सामाजिक विघटन की प्रक्रिया में वह भागीदार बनने लगता है। असंतुष्ट रहने लगता है। और न चाहते हुए भी समाज-विरोधी और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में संलग्न होकर अपनी रचनात्मक क्षमता का अवांछित दिशा में प्रयोग करने लगता है। देश के युवा वर्ग का इस अवांछित दिशा में अपनी रचनात्मक क्षमता का प्रयोग करना, निश्चित ही 'आत्मनिर्भर भारत' के लक्ष्य में बाधा उत्पन्न कर सकता है। संभवत: इसी खतरे को भाँपते हुए भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा में शिक्षा-दीक्षा देने की व्यवस्था का प्रावधान किया है। इसे लचीला बनाने का भरसक प्रयास किया है। अपनी मातृभाषा से निरंतर जुड़े रहने के कारण किसी भी व्यक्ति में विश्वास का भाव जाग्रत होता है। विश्वास का भाव जाग्रत होने से उसके भीतर आत्मविश्वास पैदा होता है। इस आत्मविश्वास से वह अपना आत्म-बोध विकसित कर पाता है। और आत्म-बोध किसी व्यक्ति की आत्मनिर्भरता की पहली निशानी है। इसलिए 'आत्मनिर्भर भारत' के संकल्प को पूर्ण करने के लिए अपनी मातृभाषा में शिक्षा की संकल्पना होना भारत सरकार का दूरदर्शी कदम है।

हम सदैव अपने भारत के विषय में यह बात दुहराते रहते हैं कि भारत 'विश्वगुरु' बनने की और अग्रसर है या 'विश्वगुरु' है। इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि भारत जब 'विश्वगुरु' रहा तब हमारी शिक्षा-दीक्षा व ज्ञानार्जन की प्रक्रिया हमारी मातृभाषा में ही होती थी, किसी विदेशी भाषा में नहीं। आइंस्टाइन जैसे महान वैज्ञानिक, महात्मा गाँधी जैसे भारतीय दार्शनिक भी मातृभाषा में शिक्षा-दीक्षा को अपने जीवन में आद्यंत महत्त्व देते रहे। लेकिन उनके अनुयायी अपनी मातृभाषा को भूलकर अंग्रेजीदाँ बनने में अपनी महानता समझते रहे और पश्चिम के अन्धानुकरण में अपनी शिक्षा-व्यवस्था को अपनी मातृभाषा से काट दिया। **किसी भी राष्ट्र की 'आत्मनिर्भरता' उसकी उन्नति, उसकी समृद्धि, उसकी सबलता एवं सक्षमता से प्रकट होती है। और यह तभी संभव है जब वह राष्ट्र व उस राष्ट्र के नागरिक अपनी 'निज भाषा' यानी अपनी मातृभाषा में अपनी शिक्षा दीक्षा, अपना कार्य-व्यापार एवं अपना दैनंदिन संवाद कायम करते हों। यही कारण है कि हिंदी भाषा के युगप्रवर्तक रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दृढ़ता से यह कहा कि 'निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल...' इसलिए भारत को यदि उन्नत बनना है, समृद्ध बनना है, सबल बनना है, सक्षम बनना है एवं इन सबके योग से 'आत्मनिर्भर भारत' की संकल्पना को साकार करना है तो हमें शिक्षा की ऐसी संकल्पना को साकार करना होगा जो अपनी 'निज भाषा' यानी अपनी मातृभाषा को महत्त्व देती हो।** जो अपनी मातृभाषा में सबके लिए उपलब्ध हो। जो स्वावलंबी हो। समावेशी हो। विकेन्द्रित हो। सबके लिए सहज सुलभ हो। ज्ञानोन्मुख व रोजगारपरक हो। 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' में भारत सरकार ने शिक्षा की संकल्पना में इन बिन्दुओं का गंभीरतापूर्वक ध्यान रखा है जो 'आत्मनिर्भर भारत' के लक्ष्य पूर्ण करने में मिल के पत्थर साबित होंगे। ❑

Online education and ambitious students

Dr. TS Girishkumar

Member- ICPR,
Retd. Prof. MS University,
Baroda (Gujarat)

It is natural for any teacher to know that there are different types of students. In most cases, there are also instances that the studious are not often very creative, albeit that they reproduce much better. Indeed, it is not very easy to classify and categorise students into given stipulated classes, but one may still attempt to sketch out some as a simple exercise.

Types of students

Perhaps the first category of students may be the studious type. Again, there are also subtypes among the studious type, which, let us not venture into seriously, for want of space. Some keenly listen to what all being discussed in classrooms, remember and reproduce it during examinations. But there is no knowing as to how and what they had internalised or even understood. They function as simple agents to listening and reproducing what they gathered from the classrooms without serious involvement in the process of learning and teaching. They could hardly become meaningful teachers. Another category could be those who listen lectures keenly, think about what they hear, get confusions and doubts and ask some doubts to teachers. Some of them stops short at this point even when they are still not very clear with the explanations of the teacher and just overlooks their confusions. Some others still pursue and struggles until they become clear about things, and they shall be better students.

Students must be encouraged to go online and bring something different or new, something the teacher did not or could not provide, and something that brings knowledge to the teachers too. Once encouraged in this, the students shall outperform many other routine students. Of course, such innovations can only be for the ambitious students in the beginning, nonetheless, in due time, this shall become routine to most, and we may see only two types of students in front of us, the ambitious students and the very ambitious students.

There are some, who enjoys discussing lessons of interest with their friends after the classes. Through such discussions, they may need to know more and they shall ask the teacher the next day or so as time permits. Such students may find their future area of interest through such discussions very often as well. Some others could go further into what they had been taught, and in future go on adding to the already existing knowledge. They are going to be the philosophers, who are capable of going beyond: beyond the already existing knowledge into the new, the hitherto unknown. We call them scientists when it comes to science, creators in other fields, and the old term still holds, they are the philosophers. (indeed, this is the case with the distinctions between the mundane and the transcendental, the physical and the metaphysical and the what is and what ought to be).

It was Maharishi Akshapada Gautama who made a distinction between knowledge and information for the whole world to ponder upon. Unfortunately, the world is still lagging much behind Maharishi Gautama and are still struggling with many confusions. Knowledge must have the exclusive property of affecting the knower. That is, knowledge worth the name must have the property of affecting the knower in such a manner that what one knows must refine and purify him further and further. If what one comes across as knowledge does not affect him to refine and purify him, then it is not knowledge, it is only mere

information and makes no difference to him. This is where we see so many people who are supposed to have knowledge but shows no serious sign of knowledge to remain very unrefined. If information whatever, had not gone into changing the person for good, then there shall be no point in amassing information at all. The Vedic Rishis and ancient Acharyas of Bharat had known this long ago, and that is where we find them teaching the same thing to different students in different manner. The categories of students had remained the same through times, whether ancient or modern, but the Acharyas had changed through time, education pattern had changed through time, and it has become not very feasible to teach students after determining their knowledge requirements.

Modern students

Students these days see education as a means of existence, and this is not wrong as well. Most students struggle to educate themselves to live a decent and comfortable life in the hope of finding employment through acquiring and demonstrating their abilities and skills. Knowledge per say do not play any serious role during the student life, but it may come to play significant roles when they find employment and are working for some system. This is again, is only natural and expected.

Corporate sectors do look at the performance in examinations to appoint a person, but thereafter they focus on output or on the job performance. The knowledge based working ability becomes very crucial here, and this alone enables one to go ahead to higher levels. At the same time, knowledge in almost every field keeps evolving, changing, becoming and ever new. Ambitious persons must be able to remain updated, provide desired performances and above all, remain trustworthy as well as honest.

In modern corporate world performance and output becomes very important. Corporate do not bother much about what one knows, but they just want what one shall do and how best. This aspect must be involved in our teaching curricula, and the best way to do this is to train students to remain updated. Remaining updated becomes automatically involving in the world of internet and electronic media.

Online involvements

As mentioned earlier, for better future of most students, training to involve into online learning is very important. Any ambitious student must focus on to this aspect on a routine. If possible, we can identify students who are very ambitious and give them assignments involving online learning. If we can shift the attentions of young minds from all kinds of social media to the world of online knowledge, that shall be a great achievement to all of us. Once the knowledge world online is made available to the hungry minds, there shall be no limit at all.

Actually, this may be applicable to the very ambitious students in the beginning. It must be possible for one to identify such ambitious students and introduce them to the world of online knowledge. One must facilitate such introduction to online world to deserving students.

The most interesting part of online knowledge world is its limitlessness. The online knowledge world spreads across both time and space, and also is amazingly instant. Imagine the time and energy one has to spend in going to a library, searching for required book and searching through the pages to obtain required information. On the other hand, see how fast shall be finding something online!

It must also be possible to ask ambitious students to search online to go beyond what is given to the student as assignment. One must encourage such students to gather maximum possible information online on the given topic, assimilate them, classify them and finally edit them to present ability. This shall not only widen their horizon of knowledge, but also make them formidable in future competition with heavily competitive world. In all competitions, remaining updated is one crucial ability when facing challenges.

As a simple matter of fact, the internet and online engagement has already become inescapable, particularly to the younger generations. One must have seen cartoons of entire family sitting with their respective mobile phones without speaking to one another and not even knowing who is sitting next or who is doing what. Our society is already into such internet world, but they are not searching knowledge in most cases, they are mostly engaging in some kind of fun. This internet engagement must be shifted to online searching for knowledge – knowledge concerning what one is supposed to be learning in the class rooms. Students must be encouraged to go online and bring something different or new, something the teacher did not or could not provide, and something that brings knowledge to the teachers too. Once encouraged in this, the students shall outperform many other routine students. Of course, such innovations can only be for the ambitious students in the beginning, nonetheless, in due time, this shall become routine to most, and we may see only two types of students in front of us, the ambitious students and the very ambitious students.❑

Global Quality for Indian Educational Institutions in the Backdrop of NEP-2020; Challenges Ahead

Dr. Sudhir Singh

Associate Professor,
Political Science,
Dyal Singh College,
University of Delhi

The New Education Policy (2020) has been adopted by the government of India in 2020. It is the maiden education policy after the 1986 education policy. When we will look into our past, then we can find that our educational institutions were a top of the global system. Nobody can forget the academic excellence of Nalanda, Vikramshila and Takhshila. Our educational institutions were so popular across the globe that able parents were sending their children to get educated in India despite many odds of transportation and distance etc. when Britishers left India in 1947, we inherited education which was based on certain values which had no root. We are sustaining that educational system with some minor changes.

Why was India taken as the leading light of the global institutions of higher learning since ages? It is due to uniqueness of its dynamics and its upbeat quality. Chinese scholars took education in Nalanda centuries back but their memories are still available in which he has lauded quality of these Indian institutions of higher educations. This competence was so widespread that it attracted students from almost every corner of the globe. Even in post-industrial revolution era When Swami Vivekanand and Gurudev Tagore went to different parts of the globe and spoke about India, it was well received. After 74 years of our independence we stand today at this juncture where not a single Indian institution ensure its space among top 50 global institutions of higher education. We may have argument that the criteria used in this categorisation has been faulty and it has been important reason to keep India away. But the fact remains answered that we are even competing among Asian universities about the quality and competence. One of the solid witnessestoa this status has been an increasing number of Indian students who are opting foreign universities for education. Until a decade ago, just 66, 736 Indian students were pursuing an international education. Yet today, India is second only to China in the number of students flying abroad for an international degree. The Indian students studying abroad statistics of 2019, released by the Indian Ministry of External Affairs is an eye-opener. According to MEA, 7,53,000 Indian students were studying in universities abroad. The number is only going to soar in 2020 and in coming years.

According to the Reserve Bank of India (RBI), while spending on tuition and hostel fees by

Indian students studying abroad has shot up 44% from $1.9 billion in 2013-14 to $2.8 billion in 2017-18, expenses of foreign students in India declined from $557 million in 2015-16 to $479 million in 2017-18. In 2019, nearly 4 lakh students had left the country to pursue degrees in foreign universities. For the majority of students looking to pursue higher studies in foreign countries, five countries — USA, UK, Australia, Canada, and New Zealand — are the most sought for the Indian students.

We have to introspect why such a huge number of Indian students are going abroad for higher education. Here it is relevant to mention that foreign universities are charging many rounds bigger than Indian universities. our state of higher education in India is in between good and bad. I mean in a nutshell to say neither it is good nor it is that bad. As per UGC website by October 2020, we have 54 central universities, 419 state universities, 124 Deemed universities and many other universities and the colleges. In 2020, the higher education sector in India consists of 3.74 crore students across 993 universities, 39,931 colleges, and 10,725 stand-alone institutions.

Now we should also look at the budget issue. How much is government of India allocating for education?

TheUnion Budget 2020 allocated Rs 99,300 crore for education in 2020-21, along with Rs 3,000 crore for skill development. The previous union budget, 2019-20, had allocated Rs 94,853.64 crore for education sector. This corresponds to a 4.7 per cent increase in outlay when compared to last year. The amount which was spent by Indian students studying abroad spent almost half of the total amount allocated by Govt. of India for the FY 2020-21. Our higher education budget is not adequate and needs to increase at par with the global standard. We have to understand that we have huge demographic leverages and this leverage could be changed into real dividends only when we will inculcate quality education to our younger generation.

Since ages India have been global leader in academic excellence. We are lagging behind in quality based global standard of education due to gamut of factors. We have to understand that we have to respect the talent. Those who are publishing standard publication must be awarded relatively.

Steps which should be taken immediately

Quality in higher education is a multi-dimensional, multi-level, and a dynamic concept. Ensuring quality inhigher education is amongst the foremost challenges being faced in India today. However, Government is continuously focusing on the quality education. Still Large number of colleges and universities in India are unable to meet the minimum requirements laid down by the UGC and our universities are not in a position to mark its place among the top universities of the world. Action Plan for Improving Quality- Academic and administrative audit must be conducted once in three years in colleges by external experts for ensuring quality in all aspects of academic activities. Other higher educational institutions must do the same.

A World Class Education- Indian government is not giving priority to the development of Standard in education. India must aspire for the international standard in education. Many national universities like in the USA, UK, Australia, etc. allow studies in higher education for foreign students in their countries and through correspondence courses as well. In the same way India Universities of world class education can also offer courses of studies to foreign students taking advantage of the globalization process. To achieve that goal it must adopt uniform international syllabus in its educational institutions.

Concluding Remarks

Since ages India have been global leader in academic excellence. We are lagging behind in quality based global standard of education due to gamut of factors. We have to understand that we have to respect the talent. Those who are publishing standard publication must be awarded relatively.

The Modi government has taken many comprehensive steps to upgrade quality of higher education. Gradually Indian educational system is consolidating for the better-quality based system. Budget increase at par with the global standard will be positive step in this direction. We have to ensure our educational leaders should be top ranking academicians and must be dedicated for academic excellence. India has to achieve many milestones and fortunately we are working in right direction. ❑

NEP 2020 : Autonomy vs Commercialization of education

Dr. Rakesh Kumar Pandey
Associate Professors
Physics,
Kirori Mal College,
Delhi University

The new National Education Policy 2020 has recently been adopted by the government. The policy has been hailed by many as a decisive move towards much desired Indianization of education. Such an attempt was first made by NDA-I under the then HRD minister Dr. M.M. Joshi but it faced a fierce resistance by the opposition parties backed by the left-intellectuals. They were successful in trivializing the entire exercise as driven merely on ideological grounds and branded it assaffronization* of education. This time the government took all precautions, shared the drafts widely in public, consulted academicians, invited opinions, asked for suggestions and made all visible efforts to incorporate them. A committee formed in January 2015** to prepare a National Education Policy submitted its report first in June 2017but the final policy came in 2020. The consultation process has been documented properly and was kept so transparent that it has become difficult for the opposition to dump it and blame that it has been done with a hidden ideological/political agenda. It became therefore impossible for them to resurrect the bogey of saffronization* this time. They have since then trying to paint the 'Policy' as an effort of the government to withdraw from funding the public-funded education institutions. In addition to spreading this fear, they have also picked up a term 'autonomy' from the document and have started to twist its meaning to demonize the term. They are hoping to repeat their success that they had achieved earlier in demonizing 'Indianization of education' by calling it as 'saffronization* of education'.

The Policy indeed sets the aim for the education institutions to become autonomous in due course of time. Quoting from page 35 (point 10.4) of the document*** – "Over a period of time, it is envisaged that every college would develop into either an Autonomous degree-granting College, or a constituent college of a university - in the latter case, it would be fully a part of the university. With appropriate accreditations, Autonomous degree-granting Colleges could evolve into Research-intensive or Teaching-intensive Universities, if they so aspire". While writing so, the policy obviously assumes that all the education institutions wish to become autonomous. However, the word 'autonomous' has been so demonized by the left liberals and trade union activists that it has been made synonym to the terms such as 'privatization' and 'commercialization'. However, reality is nowhere near to this understanding of the term in the NEP-2020 document. It gets clear on page 35-36 (point 10.11) of the same document*** "The autonomy of public institutions will be backed by adequate public financial support and stability. Private institutions with a public-spirited commitment to high-quality equitable education will be encouraged". Despite this, the mis-campaign has continued. There are three aspects of autonomy – administrative, academic and financial. Autonomy has been demonized by the opposition by making out its meaning as the autonomy of the government to charge fees recklessly from the students and gradually reduce the spending on education and finally withdraw from funding. This fear is being propagated mindlessly by

showing some of the private run institutions that run them primarily to make profits pushing everything else down on their priority list.

Let us try to analyze how far it is correct to demonize the term 'autonomy' and 'privatization' of an education institution.

There are around 40 thousand higher education institutions in India and out of that around 70 percent institutions are run by private bodies. Under the existing government policy, these institutions are required to get affiliated with universities recognized by the UGC. After getting affiliated, these institutions are obliged to follow the syllabi, curricula and nature of the courses that are allowed by the academic bodies of the University they get affiliated to. Normally none of these institutions and their faculty members get any say in such academic decisions. These institutes are obliged to limit themselves to run only those courses which are passed by the University. In the matter of administration and financial issues also these are expected to follow rules that are framed by the affiliating University. It has been observed that such a system has led to corruption. These institutions are forced to 'please' the University officials and authorities in return of favors. This eventually transforms even philanthropic and missionary efforts into merely profit-making commercialized entities. To address this prevailing problem the policy*** reads on the page 36 (point 10.12) as "The new regulatory system envisioned by this Policy will foster this overall culture of empowerment and autonomy to innovate, including by gradually phasing out the system of 'affiliated colleges' over a period of fifteen years through a system of graded autonomy, and to be carried out in a challenge mode.".

Historically, before invasions, education was never controlled by rulers in this country. Learned Gurus and educationists used to run world-renowned Universities like Taxila and Nalanda. These were run directly by the academicians who received liberal donations from the society and religious establishments. These institutions used to function with complete autonomy. While the administration and academic issues were decided by the in-campus academicians the financial requirements were fulfilled by liberal donations from the society without interfering in the academic and administrative matters of Universities. In a survey done during the colonial rule as late as in 1800, it was reported that all students (page 54 of Beautiful Tree****) had access to the traditional education in India. This was a surprise for the British surveyors and is simply unimaginable even in today's India. The model of education that was later introduced by the British in the name of 'modern education' came with features of exclusivity. Modern education created two classes of students – one who could afford education and the other who couldn't. Since then we started becoming completely dependent on the government for education. This limited the spread of education which got decided by the capacity of the government to spend in education. In today's India where about 60 crore populations fall in the age of education receivers, we need around 60 lac crore of INR to make education free for them. However, the country is in a position to spend only about one lac crore of INR on education. The gap is too huge to get fulfilled by the government in a near or a not-so-near future. To provide access of education to all, there is no way but to revive our old and ancient tradition of letting the society share the responsibility of spreading education to all the students.

This is considered extremely critical for achieving the high-quality and equitable public education system that is truly needed for India's future economic, social, cultural, intellectual, and technological progress and growth". In view of all these it becomes clear that the term 'Autonomy' has been used in the correct sense of the term in the document and the intentions are clearly far from the imaginary fear that the opposition has continued to spread.

NEP recommends proportionate increase of percentage-spending on education-budget by the government in the next ten years. This spending would eventually be much more than doubling the expenditure budget because our economy is poised to grow multifold during this period. And that should be enough for any open mind to realize the apparent contradiction between the fact and the claim of opposition parties that the government wants to withdraw from education. Quoting from page*** 61 (point 26.2) "The Centre and the States will work together to increase the public investment in Education sector to reach 6% of GDP at the earliest. This is considered extremely critical for achieving the high-quality and equitable public education system that is truly needed for India's future economic, social, cultural, intellectual, and technological progress and growth". In view of all these it becomes clear that the term 'Autonomy' has been used in the correct sense of the term in the document and the intentions are clearly far from the imaginary fear that the opposition has continued to spread. ❑

सबमें राम, सबके राम

आरिफ मोहम्मद खान

राज्यपाल, केरल

अमीर खुसरो 1453 में गोस्वामी तुलसीदास से लगभग 250 साल पहले पैदा हुए थे। उनकी गिनती हिन्दी या हिन्दवी के आदि कवियों में होती है। उन्होंने स्वयं अपने को तूतीये हिन्द कहा है जिसका अभिप्राय है कि खुसरो यह मानते थे कि उन्होंने अपनी लेखनी द्वारा भारत की संस्कृति, भारत की कला और भारत के मानस को अभिव्यक्ति दी है। उनकी किताब 'नोसिपहर' में उन्होंने भारत की ज्ञान परम्परा, धर्म, जलवायु, पशु-पक्षी, पेड़-पौधे तथा भारत के रहने वालों का गुणगान किया है। इसी किताब में उनका एक दोहा मिलता है –

'तन, मन, धन का वह है मालिक
वासे निकसे जीको काम
वो हम सब का मालिक राम'

इस दोहे पर अगर हम गौर करें तो यह बात साफ हो जाती है कि 'राम' नाम के बिना भारत की कहानी पूरी नहीं होती। भारत के लिये राम न केवल मर्यादा पुरुषोत्तम हैं बल्कि वह भारतीय संस्कृति तथा नैतिक मूल्यों के सबसे बड़े प्रतीक भी हैं। अयोध्या के राजा दशरथ के बेटे राम उस राम के अवतार हैं जिनके नाम पर राजा ने अपने बेटे का नाम राम रखा था इसलिये वह निर्गुण तथा सगुण दोनों रूपों में आराध्य स्वीकार किये गये हैं।

मर्यादा पुरुषोत्तम की हैसियत से राम का नाम आज भी भारतीय नैतिकता का प्रेरणा स्रोत है जो सत्कर्म के पथ पर चलने का मार्ग दिखाने के साथ एक सभ्य और सुसंस्कृत समाज के निर्माण की जिम्मेदारी का आभास कराता है। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि जिस समाज में मत्स्य न्याय न हो वह धार्मिक अर्थात् सभ्य समाज है। मौलाना जफर अली खाँ ने अपनी कविता में इसी रामचरित का बखान किया है –

नक्शे तहजीबे हुनूद
अब भी नुमायां है अगर
तो वह राम से हैं,
लक्ष्मण से है, सीता से है।

इन्सान का मानस ऐसा है कि जब उसे किसी कठिनाई या दुष्कर स्थिति का सामना होता है तब उसे विशेष तौर से अपना आराध्य याद आता है और अपनी परेशानियों से उबरने के लिये उसकी शरण में जाना चाहता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए जरा कमाल अहमद की कविता के इस बंध पर नजर डालिये–

दानव हिंसक रूप बनाकर,
घूम रहे हैं घर घर जाकर
मानवता को कँपा दिया है,
रावण ने हुँकार सुनाकर

मासूम सिसकती जनता के फिर,
रक्षक बनकर आ जाओ
जीवन पथ पर घोर तिमिर है,
राम पुनः तुम आ जाओ।

रामनाम को ऐसा सत्य माना गया है जिसकी विश्वसनीयता मरने के बाद भी बनी रहती है। इस भावना को सागर निजामी ने अपने शेर में बहुत ही सशक्त अभिव्यक्ति दी है –

हिंदियों के दिल में बाकी है,
मुहब्बत राम की।
मिट नहीं सकती कयामत तक,
हुकूमत राम की।।

इस मौके पर मैं छत्तीसगढ़ के दाऊद खाँ को भी याद करना चाहूँगा जिन्होंने अपना पूरा जीवन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की प्रेरक गाथा जन जन तक पहुँचाने में लगा दिया। उनके प्रवचन तुलसीकृत रामचरितमानस मानस पर आधारित होते हैं और उनका पहला प्रवचन 1947 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया था। उनके इस कार्य के लिये उन्हें भारत सरकार तथा राज्य सरकार दोनों ने ही सम्मानित किया है।

राम नाम की महिमा तो सर्वविदित है लेकिन कवियों ने गोस्वामी तुलसीदास का भी उनकी रामभक्ति के लिये खुले दिल से यशोगान किया है–

यह लुत्फें खास है,
यह फैजे आम तुलसी का
ये खासो आम का प्यारा है,
राम तुलसी का
यह राम नाम से है,
उनके प्यार की महिमा
कि सर पे रखती है,
दुनिया कलाम तुलसी का

अन्त में मैं दो और बड़े कवियों का जिक्र करना चाहूँगा जिन्होंने अपने अपने तरीके से मर्यादा पुरुषोत्तम को अपनी श्रद्धांजली अर्पित की है। रहीम, तुलसी के गहरे मित्र थे और ऐसा लगता है कि उन पर अपने मित्र का गहरा प्रभाव पड़ा था क्योंकि उन्होंने अपनी मर्यादा पुरुषोत्तम के प्रति अपनी भावनाएँ व्यक्त

करने के लिये तुलसी की अवधी भाषा को ही चुना था।

रामचरित मानस विमल,
संतन जीवन प्राण।
हिन्दुआन को वेद सम,
यवनहिं प्रकट कुरान।।

अल्लामा इकबाल जिनको उर्दू शायरों में उच्च श्रेणी में रखा जाता है उन्होंने तो भगवान राम के ऊपर एक पूरी कविता कही है जो राम को भारत के दर्शन और नैतिकता की पराकाष्ठा के तौर पर देखती है। इस नज़्म के आखरी शेर में वह

मर्यादा पुरुषोत्तम की हैसियत से राम का नाम आज भी भारतीय नैतिकता का प्रेरणा स्त्रोत है जो सत्कर्म के पथ पर चलने का मार्ग दिखाने के साथ एक सभ्य और सुसंस्कृत समाज के निर्माण की जिम्मेदारी का आभास कराता है। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि जिस समाज में मत्स्य न्याय न हो वह धार्मिक अर्थात् सभ्य समाज है।

मैं यहाँ उर्दू शायरों की रचनाओं को इसलिये लाया हूँ ताकि यह बात साफ हो सके कि राम बहैसियत मर्यादा पुरुषोत्तम केवल उनको ही प्रेरित नहीं करते जो उन्हें आराध्य मानते हैं बल्कि वह सब भारतवासियों बल्कि सारी मानवता की साँझी विरासत है।

कहते हैं –

है राम के वजूद पे
हिन्दुस्तां को नाज
अहले नजर समझते हैं,
उनको इमामे हिन्द

मैं यहाँ उर्दू शायरों की रचनाओं को इसलिये लाया हूँ ताकि यह बात साफ हो सके कि राम बहैसियत मर्यादा पुरुषोत्तम केवल उनको ही प्रेरित नहीं करते जो उन्हें आराध्य मानते हैं बल्कि वह सब भारतवासियों बल्कि सारी मानवता की साँझी विरासत है।

प्रसिद्ध फ्रांसीसी इतिहासकार मिशलिट ने लिखा है – हर वह व्यक्ति जो मानव जीवन के उच्च आदर्शों के अनुसार जीवन जीने के अनुभव जानने की इच्छा रखता है उसे अपनी प्यास बुझाने के लिये राम के जीवन का अध्ययन करना चाहिए। यह समुद्र से ज्यादा गहरा है, और सूर्य से ज्यादा स्वर्णिम है। रामचरित के अध्ययन में उसे एक मिठास से भरी हुई चिर शान्ति का अनुभव होगा। ❑

अयोध्या सम्पूर्ण मानवजाति के उत्थान का संकल्प है

प्रो. नन्द किशोर पाण्डेय
हिंदी विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, पूर्व निदेशक केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा

अयोध्या किसी स्थान विशेष का नाम तो है ही वह तपोबल, चरित्रबल, शिष्टता, सौन्दर्य, दिव्य परम्परा तथा अध्यात्म का जीवन स्वरूप होने के साथ ही अनुपम उपहार है। अयोध्या कहते ही रघुकुल की 'तपःपूत परम्परा' आँखों के सामने प्रत्यक्ष हो जाती है। पावन सरयू ने अपने धवल जल से निरंतर इस नगर को अभिषिक्त किया है। सेवा, त्याग, समर्पण और अप्रतिम तेज से युक्त हरिश्चन्द्र, रघु, दिलीप, अज, दशरथ, राम और लवकुश का नगर विश्व के किसी भी निवास स्थान से अधिक जागृत, जीवन्त और देदीप्यमान भाषित होता है। अयोध्या नाम के श्रवण के साथ ही ऋषि-मुनियों की भारतीय परम्परा के तप का प्रकटीकरण होने लगता है। शौर्य के साथ शिष्टता का ऐसा बोध भारतीय नगरों की दीर्घ परम्परा में अन्यत्र दृष्टिगोचर नहीं होती। इस नगर के प्रताप में स्त्रियों की भूमिका अप्रतिम है। अयोध्या की शुचिता और सामर्थ्य का वर्णन रामकथा से जुड़े सभी काव्यों में अल्पाधिक मात्रा में मिलता है।

श्रीराम का वनगमन हो गया है। भरत और शत्रुघ्न राम को मनाने के लिए चित्रकूट आए हुए हैं। भरत के अनुनय-विनय को राम ने विनम्रतापूर्वक अस्वीकृत कर दिया और उन्हें अयोध्या जाकर वहाँ की जनता के लिए कार्य करने को कहा। भरत से मिलने के पश्चात् राम ने उनसे अयोध्या के विषय में पूछा, राम ने जो प्रश्न भरत से पूछे वे भरत के लिए उपदेश भी हैं और अयोध्या की स्थिति का वर्णन भी है। भरत ने चित्रकूट में अपने बड़े भाई की झोंपड़ी को देखा। उन्होंने उस पर्णकुटी के सामने हवन के लिए एकत्रित किए गए काष्ठ के टुकड़े और पूजा के पुष्प को भी देखा। भरत ने यह भी देखा कि वन में शीत निवारण के लिए मृगों की लेड़ी तथा भैंस के सूखे हुए गोबर के ढेर एकत्रित किए गए हैं। उन्होंने यह भी देखा कि आश्रम पर पहुँचने में असुविधा न हो इसलिए श्रीराम और लक्ष्मण ने वृक्षों में मार्गबोधक चिह्न लगा दिए हैं। और ये चिह्न कुश के द्वारा बनाकर वृक्षों में लटका दिए गए थे। इस प्रसंग की चर्चा यहाँ इसलिए आवश्यक लगी कि यह अयोध्या के राजकुमारों के प्रशिक्षण का हिस्सा रहा होगा। अन्यथा आश्रम तक पहुँचने के लिए आम व्यक्ति का ध्यान चिह्न लगाने की ओर जाएगा ही नहीं। जिस दिशा से बड़े-बड़े दाँतों वाले वेगशाली हाथी गर्जना करते हुए निकलते थे उस दिशा में जाने से रोकने के लिए भी लक्ष्मण ने चिह्न बनाए थे। भरत के मन में ग्लानि है कि मेरे बड़े भाई महातेजस्वी, लोकनाथ श्रीराम अपनी समस्त कामनाओं का परित्याग करके उनके कारण निर्जन वन में खुली धरा पर वीरासन में बैठकर तपस्या

कर रहे हैं। अनेक प्रकार के मानसिक क्लेश से युक्त भरत को वन में बनी हुई राम की पर्णशाला पवित्र और मनोरम लगी। उन्होंने देखा कि वह कुटी शाल, ताल और अश्वकर्ण नामक वृक्ष के पत्तों से छाई हुई है। उन्हें वह कुश के पत्तों से आच्छादित वेदिका के समान लगी। वाल्मीकि ने उस सुरम्य आश्रम का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। भरत राम को देखते ही हाथ जोड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। राम ने भाई भरत को उठाया, गले लगाया, उनके मस्तक को सूँघा और गोद में बैठाकर बड़े आदर के साथ उनसे बहुत सी बातों को पूछा। राम ने भरत से जो पूछा उन प्रश्नों में अयोध्या का चरित्र, शौर्य, वैभव, भूगोल, अर्थव्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, परिवार व्यवस्था तथा राजव्यवस्था का पता चलता है। अयोध्या क्या है इसे समझने के लिए भरत से राम द्वारा पूछे गए कुछ प्रश्नों पर भी विचार करने से वहाँ का वैभव और संस्कार प्रत्यक्ष हो जाते हैं। राम के प्रश्न केवल प्रश्न नहीं हैं भरत से यह जानना है कि अयोध्या में वह सब कुछ वैसा ही हो रहा है न जैसा पहले होता था। राम का प्रश्न है कि क्या माता कौशल्या सुख से हैं? सुमित्रा प्रसन्न हैं? कैकेयी आनंदित हैं? क्या अयोध्या में विनय सम्पन्न, बहुश्रुत शास्त्रोक्त नियमों से चलने वाले पुरोहितों का तुमने सत्कार किया है। भरत! क्या तुम देवताओं, पितरों, भृत्यों, गुरुजनों, वृद्धों, वैद्यों और ब्राह्मणों का सम्मान करते हो? राम भरत से बता रहे हैं कि ये सभी अयोध्या में हमेशा सम्माननीय रहे हैं इसलिए इनका आदर कभी कम नहीं होना चाहिए। उनके प्रश्नों में अयोध्या की चेतना है। अयोध्या के मंत्री शूरवीर, शास्त्रज्ञ, जितेन्द्रिय होते थे। वे शास्त्र निपुण और राजा को अच्छी मंत्रणा देने वाले थे। अमात्य गुप्त बातों की गोपनीयता बनाए रखते थे। अयोध्या के शासक उन कार्यों को शीघ्रता से करते थे जिसमें साधन कम लगता था और फल बड़ा मिलता था। राम की अपेक्षा है कि भरत भी ऐसे कामों में विलम्ब नहीं करते होंगे। अयोध्या में राजाओं के पास विद्वान अर्थशास्त्री थे। वे अर्थ संकट के समय शीघ्र कल्याणकारी मार्ग सुझाते थे। मेधावी शूरवीर, चतुर और नीतिज्ञ मंत्री थे। अमात्यों की पहचान करने के निश्चित तरीके बने हुए थे। वहाँ के शासक प्रजा से कठोरतापूर्वक अधिक कर नहीं लेते थे। राम भरत को समझाते हैं कि पवित्र याजक पतित यजमान का तथा स्त्रियाँ कामाचारी पुरुष का तिरस्कार कर देती हैं उसी तरह कठोरता से कर लेने वाले राजा का आदर प्रजा नहीं करती। तात्पर्य यह कि अयोध्या वह राज्य है जहाँ प्रजा से निर्ममतापूर्वक कर नहीं लिया जाता था। वाल्मीकि रामायण में ऐसे प्रसंगों की अनेक बार चर्चा की गई है जो इस राज्य के और नगर के मान को बढ़ाने वाली है तथा सुव्यवस्थित सत्ता संचालन की सीख देती है। वाल्मीकि रामायण में राम के द्वारा भरत से पूछे गए प्रश्नों से यह भी पता चलता है कि सेना के सेनापति वीर, योद्धा, पवित्र, कुलीन, बुद्धिमान, धैर्यवान, सदा संतुष्ट तथा युद्ध कौशल में निपुण थे। उनको वेतन और भत्ता समय पर मिल जाता था। समय पर वेतन न दिए जाने से जो अनर्थ उत्पन्न होता है उससे राम अवगत थे। उन्होंने भरत को चेताया भी। राम ने भरत से यह भी पूछा कि तुमने जिसे राजदूत के पद पर नियुक्त किया है वह अपने ही देश का निवासी है न। वह विद्वान, कुशल, प्रतिभावान जैसा बताया गया है वैसा ही दूसरों के सामने व्यक्त करने वाला तथा सद्-असद् विवेक से युक्त तो है न। यानी राम ने भरत को स्पष्ट शब्दों में बता दिया कि राजदूत विदेशी नागरिक नहीं होना चाहिए –

यह अयोध्या इतनी पुण्यशालिनी तथा यशस्विनी इसलिए है कि वहाँ के शासक दैवीय गुणों से युक्त थे। कालिदास ने उनके यश का वर्णन इसलिए किया है कि वे जन्म से शुद्ध, फल की प्राप्ति तक कर्म करने वाले, समुद्र तक पृथ्वी के शासक, स्वर्ग तक अपने रथ का संचालन करने वाले हैं। विधिवत यज्ञों को संपन्न करने वाले हैं। दान के लिए धन का संग्रह करने वाले हैं, सत्य के लिए कम बोलने वाले, यश के लिए विजय चाहने वाले, संतान के लिए विवाह करने वाले, बाल्यावस्था में विद्या का अभ्यास करने वाले, युवावस्था में भोग की इच्छा रखने वाले, वृद्धावस्था में मुनियों की तरह तपस्या करने वाले तथा अंतिम समय आने पर योग के द्वारा शरीर का त्याग करने वाले हैं।

कच्चिज्जानपदो विद्वान्
दक्षिणः प्रतिभानवान्।
यथोक्तवादी दूतस्ते कृतो
भरत पण्डितः।।

राम ने भरत को नास्तिक ब्राह्मणों का साथ करने से मना किया। उन्हें यह बताया कि ऐसे लोग परमार्थ की ओर से बुद्धि को विचलित करते हैं। वे वस्तुतः अज्ञानी होते हैं और स्वयं को पण्डित समझते हैं। आज देश में ऐसे नास्तिक ब्राह्मण कई राजनीतिक पार्टियों और संगठनों में ऊँचे पदों पर आसीन हैं जो देश की जनता को परमार्थ के रास्ते से दूर कर रहे हैं। राम की दूरदर्शिता ने इसे अनुभव कर लिया था तभी तो वे कहते हैं कि –

कच्चिन्न लोकायतिकान्
ब्राह्मणांस्तात सेवसे।
अनर्थकुशला ह्येते बालाः
पण्डितमानिनः।।

अयोध्या के गुणों का वर्णन करते हुए राम भरत से यह अपेक्षा करते हैं कि वे उसकी रक्षा करेंगे। वहाँ अनेक अनुष्ठान स्थल थे जिनमें अत्यधिक संख्या में विद्वान निवास करते थे। राम ने तो भरत

भूमि पूजन करके मंदिर का शिलान्यास कर दिया है। हिन्दुओं की भावनाओं के अनुरूप शीघ्र भव्य राम मंदिर तैयार हो जाएगा तथा इससे बहु संख्यक जनता की पीड़ा तो कम होगी ही तेजस्वी भारत के निर्माण का क्रम भी प्रारम्भ होगा। राम भारत है। भारत के साथ राम का अस्तित्व जुड़ा हुआ है। राम मंदिर का शिलान्यास मंदिर निर्माण मात्र का प्रारंभ नहीं है वह उस प्राचीन संस्कृति की रक्षा का संकल्प है जिसके विचारों में सम्पूर्ण मानवता सुरक्षित है। यह उस बोध को जागृत करने का संकल्प है जिसे रघुवंशियों ने पल्लवित पुष्पित किया। यह उस चेतना का संकल्प है जो ऋषि-मुनियों द्वारा पोषित, परिवर्धित और संरक्षित है। राम का मंदिर, राम की अयोध्या सम्पूर्ण मानव जाति की है जो शाश्वत मूल्यों की आधारशिला पर खड़ी है।

को 'हैं' की शब्दावली में संबोधित किया है। यहाँ दुख के साथ 'थे' लिखना पड़ रहा है। क्योंकि 1200 वर्षों की गुलामी और पवित्र राम जन्मभूमि पर स्थित मंदिर के ध्वस्त होने के पश्चात् इस पवित्र नगर का गौरव क्षीण हो गया। आमजन के मन में रघुवंशियों की प्रतिष्ठा और सरयू की पावनता बसी रही। सारी दुनिया से आस्थावान हिन्दू दर्शनार्थ वहाँ आते रहे। राम की अयोध्या में अनेक देवस्थान, तालाब और पानी पीने के स्थान थे। अनेक सामाजिक उत्सवों से नगर शोभायमान रहता था। खेत जोतने में समर्थ पशुओं का बाहुल्य था। वहाँ किसी प्रकार की हिंसा नहीं होती थी। अयोध्या के संदर्भ में एक बहुत बड़ी बात राम के मुख से वाल्मीकि ने कहलवाई है कि वहाँ की कृषि वर्षा के जल पर निर्भर नहीं थी यानी सिंचाई की वैकल्पिक व्यवस्था थी। वहाँ अनेक प्रकार की खानें थी। हिंसक पशुओं का आभाव था। अयोध्या में पापी मनुष्य नहीं थे। कोसल देश धन धान्य से संपन्न था। रघुवंशियों ने प्रत्यत्नपूर्वक उसकी रक्षा करते हुए उसे सुखी संपन्न बनाया था। स्वयं राम को अपने नगर पर गर्व है। वे भरत से कहते हैं कि अयोध्या हमारे शौर्यवान पुरखों की भूमि है। इस नगर का जैसा नाम है वैसे ही गुणों से यह युक्त है। यह नगर हाथी, घोड़ों और रथों से परिपूर्ण है। सभी दरवाजे सुदृढ़ हैं। यहाँ सभी वर्णों के लोग हजारों की संख्या में अपने कर्मों को करते हुए निवास करते हैं। यहाँ के लोग उत्साही जितेन्द्रिय और श्रेष्ठ हैं। अनेक प्रकार के मंदिर और राजभवन इसकी शोभा को बढ़ाते हैं। यह नगरी विद्वानों से भरी हुई है। यह समृद्ध भी है और अभ्युदयशील भी। कृषि, गोरक्षा और व्यापार से आजीविका चलाने वाले व्यापारी राजा के प्रिय हैं। दूध देने वाली गायें बड़ी संख्या में हैं। सभी दुर्ग धन धान्य से भरे हुए हैं। राम ने भरत को आय-व्यय के विषय में पूछा और यह जानना चाहा कि खजाने का धन अपात्र के हाथ में तो नहीं जाता। अयोध्या के जिस भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति का वर्णन राम ने किया है वह अयोध्या कालांतर में नहीं रही। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के प्रतिष्ठित कवि भारतेन्दु हरिश्चंद्र ने 'सरयूपार की यात्रा' लिखी। यह यात्रा वृतांत हरिशंद्र चंद्रिका में फरवरी 1879 में छपा। इस यात्रा में वे अयोध्या गए। अयोध्या की स्थिति को देखकर वे बहुत दुखी हुए। उन्हें एक साथ प्रतापी रघुवंशियों की याद आयी। इस नगर की स्थिति को देखकर वे विचलित हो गए। अयोध्या उनसे देखी नहीं गई। उन्हीं के शब्दों में - ''अयोध्या में प्राय: सभी ग्रामीण स्त्रियों के गोल आते हुए मिले। उनका गाना भी मोती रसिकता का। मुझे तो उनके सब गीतों में ''बोलो प्यारी सखियाँ सीताराम राम राम'' यही अच्छा मालूम हुआ। राह में मेला जहाँ पड़ा मिलता था वहाँ बारात का आनंद दिखलाई पड़ता था। खैर मैं डाँक पर बैठा बैठा सोचता था कि काशी में रहते हुए तो बहुत दिन हुए परन्तु शिव आज ही हुए क्योंकि वृषभवाहन हुए। फिर अयोध्या याद आई कि हाँ! यह वही अयोध्या है जो भारतवर्ष में सबसे पहले राजधानी बनाई गई। इसी में महात्मा इक्ष्वाकु, मांधाता, हरिश्चन्द्र, दिलीप, अज, रघु, श्रीरामचन्द्र हुए हैं और इसी के राजवंश के चरित्र में बड़े-बड़े कवियों ने अपनी बुद्धिशक्ति की परिचालना की है। संसार में इसी अयोध्या का प्रताप किसी दिन व्याप्त था और सारे संसार के राजा लोग इसी अयोध्या की कृपाण से किसी दिन दबते थे वही अयोध्या अब देखी नहीं जाती। जहाँ देखिए मुसलमानों की कब्रें दिखाई पड़ती हैं।''

कालिदास ने रघुवंशम् महाकाव्य में रघुवंशियों के गुणों का वर्णन किया है। यह अयोध्या इतनी पुण्यशालिनी तथा यशस्विनी इसलिए है कि वहाँ के शासक दैवीय गुणों से युक्त थे। कालिदास ने उनके यश का वर्णन इसलिए किया है कि वे जन्म से शुद्ध, फल की प्राप्ति तक कर्म करने वाले, समुद्र तक पृथ्वी के शासक, स्वर्ग तक अपने रथ का संचालन करने वाले हैं। विधिवत यज्ञों को संपन्न करने वाले हैं। दान के लिए धन का संग्रह करने वाले हैं, सत्य के लिए कम बोलने वाले, यश के लिए विजय चाहने वाले, संतान के लिए विवाह करने वाले, बाल्यावस्था में विद्या का अभ्यास करने वाले, युवावस्था में भोग की इच्छा रखने वाले, वृद्धावस्था में मुनियों की तरह तपस्या करने वाले तथा अंतिम समय आने पर योग के द्वारा शरीर का त्याग करने वाले हैं। कालिदास ने इन्हीं गुणों से आकृष्ट होकर रघुवंशम् की रचना की। तीन श्लोकों को उद्धृत करना समीचीन लगता है-

सोऽहमाजन्मशुद्धानामाफलोदयकर्मणाम्।
आसमुद्रक्षितीशानामानाकरथवर्त्मनाम्।।
यथाविधिहुताग्नीनां यथाकामार्चितार्थिनाम्।
यथाऽपराधदण्डानां यथाकालप्रबोधिनाम्।।
त्यागाय सम्भृतार्थानां सत्याय मितभाषिणाम्।
यशसे विजिगीषणां प्रजायै गृहमेधिनाम्।।

अयोध्या हजारों वर्षों से पारिवारिक संस्कार और चरित्र निर्माण का भी केन्द्र रही है। रघुवंश के यशस्वी होने के मूल में पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों को दिए जाने वाले संस्कार हैं। अध्यात्म रामायण में लिखा है कि राम प्रातः काल उठकर स्नान करने के पश्चात माता-पिता को प्रणाम करते हैं फिर नम्रतापूर्वक नगरवासियों के समस्त कार्यों को पूरा करते हैं। भाइयों सहित बैठक व भोजन करते हैं। मुनियों से नित्य प्रति धर्मशास्त्रों के रहस्य को सुनते हैं और वे उसकी व्याख्या भी करते हैं।

प्रातरुत्थाय सुस्नातः पितरावभिवाद्य च।
पौरकार्याणि सर्वाणि करोति विनयान्वितः।।
बन्धुभिः सहितो नित्यं भुक्त्वा मुनिभिरन्वहम्।
धर्मशास्त्ररहस्यानि शृणोति व्याकरोति च।।

प्रतिदिन प्रातःकाल सरयू में स्नान करने के पश्चात् राम के कथा श्रवण की चर्चा तुलसीदास ने भी की है। कथा श्रवण के पश्चात् वे भाइयों के साथ भोजन करते हैं और उन्हें देखकर सभी माताएँ प्रसन्न होती हैं। वे सुख से भर जाती हैं। राम कथा के कवियों ने प्रातः स्नान, बड़ों का चरण स्पर्श, कथा श्रवण तथा सामूहिक भोजन की मर्यादा को प्रतिस्थापित किया है। रामचरितमानस के उत्तरकाण्ड की पंक्तियाँ हैं -

प्रातकाल सरऊ करि मज्जन।
बैठहिं सभाँ संग द्विज सज्जन।।
बेद पुरान बसिष्ट बखानहिं।
सुनहिं राम जद्यपि सब जानहिं।।
अनुजन्ह संजुत भोजन करहीं।
देखि सकल जननीं सुख भरहीं।।

राम के जीवन के साथ अयोध्या से ही वन और उपवन का संस्कार जुड़ा हुआ है। राम जहाँ रहते हैं वहाँ विभिन्न प्रकार के पुष्प और पेड़ होते हैं। चित्रकूट में उनकी पर्णकुटी के चारों ओर फलदार वृक्ष और विभिन्न प्रकार के पुष्प सुशोभित हो रहे हैं। अध्यात्म रामायण में लिखा है कि भरत जी ने ऋषियों से राम का स्थान पूछा। ऋषि ने बताया कि मंदाकिनी के उत्तरी तट पर विभिन्न प्रकार के वृक्षों से सुशोभित परम रमणीय एकांत कुटी राम की है। वहाँ आम, कटहल के वृक्ष हैं। कदली फल की क्यारियाँ लगी हुई हैं। कुटी के चारों ओर चम्पक, कचनार और नागकेशर के वृक्ष सुशोभित हैं-

ऊचुरग्रे गिरेः पश्चाद्गङ्गाया उत्तरे तटे।
विविक्तं रामसदनं रम्यं काननमण्डितम्।।
सफलैराम्रपनसैः कदलीखण्डसंवृतम्।
चम्पकैः कोविदारैश्च पुन्नागैर्विपुलैस्तथा।।

अयोध्या नगर के भौतिक सौन्दर्य और वैभव का वर्णन तुलसीदास ने कई पृष्ठों में किया है। यह वर्णन स्वाभाविक है। कोई भी प्रजारंजक तथा सुरुचि संपन्न राजा अपने राज्य को ऐसा बना सकता है। नगर का वर्णन करते समय तुलसीदास प्राकृतिक सुषमा को नहीं भूलते। उन्होंने बताया कि लोगों ने अनेक प्रकार के पुष्पों की वाटिका यत्नपूर्वक लगा रखी है। उनमें विविधता है। इसलिए वहाँ वसंत की तरह सदा फूल खिलते रहते हैं। भौंरे गुंजार करते रहते हैं। तीनों प्रकार की सुन्दर वायु बहती है। मोर, हंस, सारस और कबूतर घरों के ऊपर घूमते हुए सुशोभित होते हैं। वे मणि जड़ित दीवारों में अपनी परछाई देखकर अनेक प्रकार की आवाज निकालते हैं और नृत्य करते हैं। बच्चे तोता, मैना को राम, रघुपति और जननायक बोलना सिखाते हैं। अयोध्या का बाजार भी बहुत सुन्दर है। वहाँ बिना मूल्य की वस्तुएँ मिलती हैं। दुकानों में बैठे हुए व्यापारी कुबेर की तरह दिखते हैं। उत्तर दिशा में निर्मल जल से भरपूर गहरी सरयू बहती रहती है। किनारे पर घाट बने हुए हैं। तट पर कीचड़ बिल्कुल नहीं है। महिलाओं के पानी भरने के लिए अलग घाट हैं। वहाँ पर पुरुष स्नान नहीं करते हैं। घोड़ों और हाथियों के समूह को पानी पिलाने के लिए कुछ दूरी पर सुन्दर घाट बने हुए हैं। किनारे-किनारे देवताओं के मंदिर हैं, जिसके चारों ओर उपवन सुशोभित होता है। राजघाट सबसे सुन्दर है। वहाँ चारों वर्णों के लोग स्नान करते हैं। सरयू जी के किनारे-किनारे तुलसी के पौधे समूह-समूह में मुनियों ने लगाया है। अयोध्या में अत्यंत सुन्दर बावडियाँ, तालाब और कुएँ हैं। तालाब में अनेक रंग के कमल खिले रहते हैं। बावडी और तालाब में उतरने के लिए सुन्दर रत्नों की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। अयोध्या में स्वर्ण और रत्नों से भरी हुई अटारियाँ हैं। मणिरत्नों से ढली हुई फर्श है। नगर के चारों ओर परकोटा है। उज्ज्वल महल की ऊँचाई इतनी है कि मानो आकाश को चूम रहा हो। घरों में मणियों के दीपक शोभा देते हैं। अनेक रत्नों के खम्भे हैं। महल सुन्दर और विशाल है। स्फटिक के आंगन हैं। सोने की किवाड़ों में हीरे जड़े हुए हैं-

मनि दीप राजहिं भवन
भ्राजहिं देहरीं बिद्रुम रची।
मनि खंभ भीति बिरंचि बिरची
कनक मनि मरकत खची।
सुंदर मनोहर मंदिरायत
अजिर रुचिर फटिक रचे।
प्रति द्वार-द्वार कपाट पुरट
बनाइ बहु बज्रन्हि खचे।।

श्रीराम जन्मभूमि मुक्ति आन्दोलन का इतिहास तो लगभग 500 वर्ष पुराना है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लगातार सुनवाई करके मंदिर बनाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने 5 अगस्त 2020 को विधिवत शास्त्रीय रीति से भूमि पूजन करके मंदिर का शिलान्यास कर दिया है। हिन्दुओं की भावनाओं के अनुरूप शीघ्र भव्य राम मंदिर तैयार हो जाएगा तथा इससे बहु संख्यक जनता की पीड़ा तो कम होगी ही तेजस्वी भारत के निर्माण का क्रम भी प्रारम्भ होगा। राम भारत है। भारत के साथ राम का अस्तित्व जुड़ा हुआ है। राम मंदिर का शिलान्यास मंदिर निर्माण मात्र का प्रारंभ नहीं है वह उस प्राचीन संस्कृति की रक्षा का संकल्प है जिसके विचारों में सम्पूर्ण मानवता सुरक्षित है। यह उस बोध को जाग्रत करने का संकल्प है जिसे रघुवंशियों ने पल्लवित पुष्पित किया। यह उस चेतना का संकल्प है जो ऋषि-मुनियों द्वारा पोषित, परिवर्धित और संरक्षित है। राम का मंदिर, राम की अयोध्या सम्पूर्ण मानव जाति की है जो शाश्वत मूल्यों की आधारशिला पर खड़ी है। ❑

वास्तविक ज्ञान हमें बंधनों से मुक्त करता है। भारतीय दार्शनिक शंकर कहते हैं कि ज्ञान के माध्यम से ही परम ब्रह्म की अनुभूति संभव है। भारतीय दर्शन शास्त्र में परा-भौतिक, नैतिक, तार्किक और ज्ञान मीमांसा पर गंभीर चर्चाएँ समाहित हैं। स्व अथवा आत्मा की प्रकृति को भली प्रकार समझना उपनिषदों के दर्शन का केंद्र बिन्दु बन गया। उपनिषदों के पंडितों का विश्वास था कि प्रत्येक जीव में स्थित आत्मा परमात्मा से भिन्न नहीं है जिसे हम ब्रह्म के नाम से जानते हैं। ब्रह्म शब्द और विचार की पकड़ से परे हैं। यही विशुद्ध परमानन्द है।

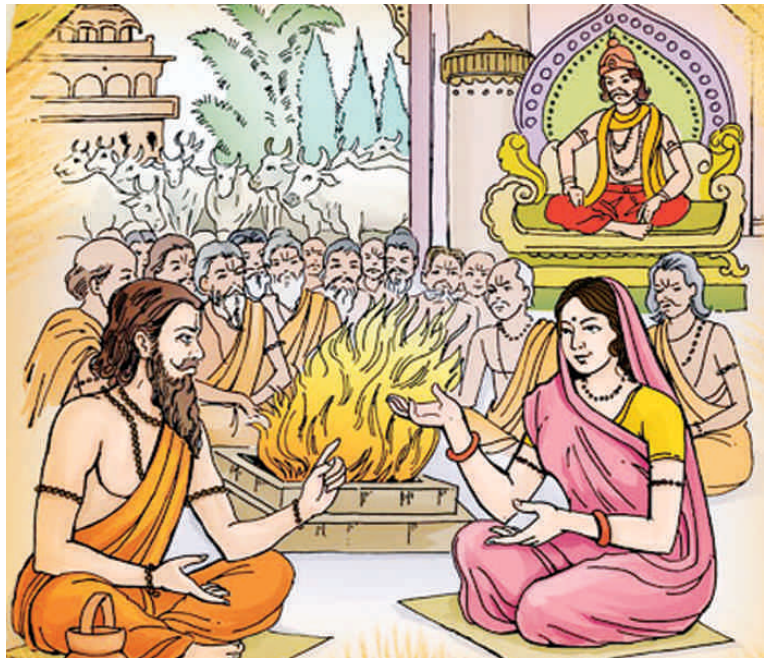

भारतीय दर्शन में ज्ञान

प्रो. मंजीत सेन गुप्त
निदेशक, के.आई.आई.टी.
शिक्षा महाविद्यालय,
सोहना रोड, गुरुग्राम

ज्ञान एक मूल अभिधारणा है। यह किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या तथ्य की अनुभव के आधार पर जानकारी या परिचय होने को दर्शाता है। जब कोई व्यक्ति अनुभव या शिक्षा द्वारा सूचनाओं या कौशलों को आत्मसात करता है तो वह ज्ञानी कहलाता है। मानव मन जिज्ञासु है। वह अनवरत रूप से ज्ञान की खोज में लगा रहता है। चिंतन और आपसी विचार विमर्श से ज्ञान परिष्कृत होकर वृद्धि को प्राप्त होता है। सत्य की प्राप्ति में ज्ञान एक साधन है। ज्ञान की प्राप्ति और उसके आदान-प्रदान में भाषा की भूमिका महत्त्वपूर्ण है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति में संज्ञानात्मक दक्षताओं का होना आवश्यक है। ज्ञान सैद्धांतिक भी हो सकता है और व्यावहारिक भी। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अनुसार 21वीं सदी में ज्ञान ही हमें गति प्रदान करेगा। विश्व स्पर्धा में डटे रह कर नेतृत्व देने की क्षमता प्राप्त करने में भारत को अपने ज्ञान संसाधनों पर निर्भर रहना होगा। ज्ञान के स्रोतों की दृष्टि से भारतीय दर्शन में तीन प्रमुख विचारधाराएँ हैं - ये हैं तर्कवाद, अनुभववाद तथा अधिनायकवाद। भारतीय दर्शन में ज्ञान की उपयोगिता पर विशेष जोर देते हुए एक सम्पूर्ण और संतुष्ट जीवन के लिए ज्ञान की सृष्टि तथा ज्ञान की प्राप्ति को महत्त्वपूर्ण माना गया है। इस दर्शन में तर्क और अन्तर्ज्ञान दोनों को ही प्रधानता दी गयी है। इसके अनुसार अवधारणात्मक ज्ञान, तार्किक ज्ञान और अंतर्ज्ञान को मानव चेतना का अंग माना गया है। भारतीय दर्शन मूल रूप से आध्यात्मिकता पर आधारित है। इसमें सत्य की व्यावहारिक अनुभूति पर विशेष जोर दिया गया है। भारतीय दर्शन अपने भीतर ज्ञान के प्रसार द्वारा अन्तर्ज्ञान की प्राप्ति को आवश्यक मानता है। यह दर्शन गहन आंतरिक चिंतन के माध्यम से भीतरी चेतना को समझने की ओर विशेष ध्यान देता है।

भारतीय दर्शन जो भारतीय संस्कृति के मूल में समाया हुआ है, जीवन और ज्ञान को एकीकृत रूप में देखता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि 'अनेकता में एकता को ढूँढ़ निकालना ही ज्ञान है।' उनके अनुसार मानव के जीवन का ध्येय ज्ञान की प्राप्ति है। स्वामी विवेकांनद के अनुसार 'मानव की अंतरात्मा ज्ञान की खान है और मानव वही सीखता है जो वह अपनी आत्मा पर पड़े माया के आवरण को हटा कर आविष्कार करता है।' चूंकि भारतीय दर्शन का उद्भव जीवन के वृहद् दर्शन से हुआ है इसलिए सहनशीलता और समावेशी भावना इसमें निहित है। यह अनेकता में एकता पर आधारित है। वैदिक शास्त्रों में दर्शन और धर्म एक दूसरे से अभिन्न रूप में जुड़े हुए हैं। भारतीय दर्शन अनुभूति, तर्क तथा अन्तर्ज्ञान के संश्लेषण पर बल देती है।

वैदिक शास्त्रों में दर्शन और धर्म एक दूसरे से अभिन्न रूप में जुड़े हुए हैं। भारतीय दर्शन अनुभूति, तर्क तथा अन्तर्ज्ञान के संश्लेषण पर आधारित है। भारतीय ज्ञान की खोज कई सोपानों को पार करते हुए अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँची। अन्तर्ज्ञान का प्रस्फुटन इस यात्रा का पहला सोपान था। अगले सोपान पर तार्किक ज्ञान ने अन्तर्ज्ञान का स्थान ग्रहण किया। भारतीय दर्शन में न्याय, वैशेषिक, सांख्य और बौद्ध चिंतनधारा में तर्कवाद के तत्त्व परिलक्षित होते हैं। इस कालखंड में आध्यात्मिक दर्शन अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँच गया। इसमें सूक्ष्मता और सर्वोत्तम के लक्षण मौजूद थे। तीसरे पायदान पर पहुँचते-पहुँचते हम पाते हैं कि प्रायोगिक विज्ञान ने आध्यात्मिक दर्शन का स्थान ले लिया। यही कारण है कि चार्वाक, पूर्व मीमांसा, वेदांत तथा जैन विचारधारा में हमें अनुभववाद के दर्शन होने लगते हैं। भारतीय दर्शन में आध्यात्मिक या परा-भौतिक वास्तविकताओं के तत्त्व भी मिलते हैं जो तर्कवाद और अनुभववाद के परे हैं। विकास के ये सोपान वास्तव में प्रगति के चक्र को ही दर्शाते हैं।

भारतीय शिक्षा शास्त्र में 'ज्ञान' शब्द का प्रयोग किया गया है। ज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वोत्तम आत्म-ज्ञान के लिए किया जाता है। ज्ञान के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब हम अपने भीतर जाकर अपने सत्य स्वरूप को ज्ञान के प्रकाश से आलोकित करते हैं तो हम आतंरिक दृष्टि से समृद्ध और विकसित होते हैं। ऐसा होने पर अहम् का लोप हो जाता है। तब जाकर सार्वभौमिकता, उदारता और एक मुक्ति का अहसास होता है। इसे ही आत्म ज्ञान कहते हैं। वह ज्ञान जो आत्मा के बारे में जानकारी देता है अपरा विद्या कहलाता है जबकि आत्मा को उन्मोचन करने वाले ज्ञान को परा विद्या की संज्ञा दी जाती है।

ज्ञानेन्द्रियों से प्राप्त ज्ञान और बुद्धि से उपलब्ध ज्ञान का समुचित उपयोग कर आत्म ज्ञान की अनुभूति की जा सकती है। भारतीय शिक्षा शास्त्र अन्य अनेक प्रकार के ज्ञान को मान्यता देता है। हम ज्ञानेन्द्रियों से प्राप्त ज्ञान, बुद्धि से उपलब्ध ज्ञान और वैज्ञानिक ज्ञान से परिचित हैं। इनके अतिरिक्त अन्य ज्ञान जैसे मनोवैज्ञानिक ज्ञान, दार्शनिक ज्ञान, नैतिक ज्ञान, सौंदर्यात्मक ज्ञान और सांसारिक ज्ञान भी होते हैं। परन्तु भारतीय दर्शन में अन्त: ज्ञान तथा सर्वोच्च मानसिक ज्ञान को ही असली ज्ञान की श्रेणी में रखा गया है।

वास्तविक ज्ञान हमें बंधनों से मुक्त करता है। भारतीय दार्शनिक शंकर कहते हैं कि ज्ञान के माध्यम से ही परम ब्रह्म की अनुभूति संभव है। भारतीय दर्शन शास्त्र में परा-भौतिक, नैतिक, तार्किक और ज्ञान मीमांसा पर गंभीर चर्चाएँ समाहित हैं। स्व अथवा आत्मा की प्रकृति को भली प्रकार समझना उपनिषदों के दर्शन का केंद्र बिन्दु बन गया। उपनिषदों के पंडितों का विश्वास था कि प्रत्येक जीव में स्थित आत्मा परमात्मा से भिन्न नहीं है जिसे हम ब्रह्म के नाम से जानते हैं। ब्रह्म शब्द और विचार की पकड़ से परे हैं। यही विशुद्ध परमानन्द है।

भारतीय दर्शन जो भारतीय संस्कृति के मूल में समाया हुआ है, जीवन और ज्ञान को एकीकृत रूप में देखता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि 'अनेकता में एकता को ढूँढ़ निकालना ही ज्ञान है।' उनके अनुसार मानव के जीवन का ध्येय ज्ञान की प्राप्ति है। स्वामी विवेकांनद के अनुसार 'मानव की अंतरात्मा ज्ञान की खान है और मानव वही सीखता है जो वह अपनी आत्मा पर पड़े माया के आवरण को हटा कर आविष्कार करता है।' चूंकि भारतीय दर्शन का उद्भव जीवन के वृहद् दर्शन से हुआ है इसलिए सहनशीलता और समावेशी भावना इसमें निहित है। यह अनेकता में एकता पर आधारित है।

भारतीय दर्शन शास्त्र की छ: विधाएँ आदर्शवाद के सिद्धांत पर एकमत हैं। इसके कारण छ: विभिन्न धाराओं का जन्म हुआ। प्रत्येक धारा एक विशेष पक्ष पर जोर देता है जैसे -

- **सांख्यपरा** - भौतिक पर बल देता है।
- **वैशेषिक** - ब्रह्माण्ड की बहुलवादी प्रकृति को दर्शाता है।
- **न्याय** - तर्क और ज्ञान मीमांसा पर विचार करता है।
- **योग** - मनोविज्ञान पर बल देता है।
- **मीमांसा** - वेदों के कर्मकांडों पर जोर देता है।
- **वेदांत** - ब्रह्म की प्रकृति, स्व और ब्रह्माण्ड पर अपना ध्यान केंद्रित करता है।

इस प्रकार भारतीय दर्शन में इस सृष्टि को ईश्वर, ब्रह्म या आत्मा से भिन्न नहीं मानता। अत: स्व का ज्ञान ही जीवन और शिक्षा का मूल उद्देश्य है।

बहुसंख्यक अनुगामी वाली दो अन्य विधाएँ हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। वे वेदों के एकाधिकार को मान्यता नहीं देते। तथापि उन्होंने अपने-अपने ढँग से स्व की प्रकृति को जानने तथा परम ब्रह्म और ब्रह्माण्ड के साथ उसके सम्बन्ध को जानने का प्रयत्न किया। इस प्रकार हम पाते हैं कि भारतीय दर्शन की प्रकृति अंतर्मुखी है। यह दिव्य ज्ञान या अन्त: ज्ञान को विशेष महत्त्व देता है। आत्मा का परमात्मा से मिलन ही ज्ञान की पराकाष्ठा है जिसे दार्शनिकों ने मोक्ष की संज्ञा दी है। इसके विपरीत पाश्चात्य दर्शन बहिर्मुखी है जो बाह्य समाज व विकास पर दृष्टि रखता है। यही कारण है कि दोनों दर्शनों का संश्लेषण आवश्यक हो जाता है। स्वामी विवेकानंद ने तो इस दिशा में महत्त्वपूर्ण प्रयास किए। पश्चिम के भौतिकवाद और भारत के अध्यात्मवाद के एकीकरण से एक ऐसे दर्शन का विकास होना चाहिए जो मानव मात्र के लिए कल्याणकारी हो। ❑

ऑनलाइन शिक्षा और उभरती नई समस्याएँ

डॉ. ओम प्रभात अग्रवाल
पूर्व अध्यक्ष,
रसायन विभाग, महर्षि
दयानन्द विश्वविद्यालय,
रोहतक (हरियाणा)

कुछ मास पूर्व चीन से आने वाली पैशाचिक महामारी करोना ने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया। उपचार के लिये कोई भी प्रभावी वैक्सीन अथवा औषधि ज्ञात न होने के कारण, लॉकडाउन एकमात्र विकल्प था। परिणामस्वरूप देश में सभी कुछ, बाजार, कोर्ट, विद्यालय आदि बंद हो गये और समस्या उठ खड़ी हुई बच्चों की शिक्षा की। एक अनुमान के अनुसार लगभग 32 करोड़ बच्चे लॉकडाउन से प्रभावित हुए। इस समस्या से निपटने के लिये जन्म हुआ ऑनलाइन शिक्षा का। यह उचित था, समयानुकूल था, क्योंकि इससे पढ़ाई की प्रक्रिया जारी रह सकती थी।

दुर्भाग्य की बात है कि शीघ्र ही इसके दुष्प्रभाव या कहें पार्श्व समस्याएँ भी सामने आने लगीं। भारत जैसे महादेश में जहाँ रहने वाले असंख्य नागरिकों की वित्तीय स्थिति में अकल्पनीय अंतर है, इस शिक्षा से समाज दो वर्गों में बंट गया- एक, जिसके पास कम्प्यूटर की सुविधा थी और दूसरा, जिसके लिये उपकरण प्राप्त करना क्षमता से बाहर था। 25 मई 2020 को Times of India में छपी एक रपट के अनुसार इसी कारणवश केवल 50-60 प्रतिशत विद्यार्थी ही ऑनलाइन शिक्षा से लाभान्वित हो रहे थे। यूनीसेफ की रपट तो और अधिक चिंताजनक थी। केवल 24-25 प्रतिशत विद्यार्थियों को ही इंटरनेट के उपयोग की सुविधा थी। ऊपर से भारत में अटपटी बिजली की समस्या। इन्हीं कारणों से केरल और बंगाल में आत्महत्याएँ तक हुईं।

ये स्थितियाँ तो चिंताजनक थी ही, धीरे-धीरे स्वास्थ्यगत समस्याओं ने भी सर उठाना प्रारंभ कर दिया। घंटों स्क्रीन पर आँख गड़ाये रहने से दृष्टि (Vision) पर असर पड़ने लगा। स्क्रीन से निरंतर निकलने वाली विभिन्न प्रकार की किरणों के कारण जिनमें गामा किरणें (रेडियो-सक्रिय किरणें) भी सम्मिलित होती हैं, आँखों के रेटिना (विशेषकर बच्चों में) का स्वास्थ्य प्रभावित होने लगा। स्वाभाविक रूप से आर्थोपेडिक समस्याएँ भी उत्पन्न हुई। स्पान्डिलाइटिस, कंधों तथा पीठ के दर्द आदि के रोगी बढ़ने लगे। बिल्कुल अकेलेपन में काम करने से अवसाद की भी सृष्टि हुई तथा बच्चों के व्यवहार में विकृतियाँ आने लग गईं, जैसे माँ, बाप को टेढ़े मेढ़े उत्तर, चिड़चिड़ापन आदि। एम्स के एक सर्वेक्षण के अनुसार मोबाइल का एडिक्शन बढ़ा। 8 वीं से छोटी कक्षाओं तक में यह आदत विद्यार्थी में घर करने लगी। डिजिटल बर्न आउट (थकान) की भी समस्या उभरी और मोबाइल कम्प्यूटर गेमिंग की भी।

परंतु इन सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण बात यह हुई कि कक्षा में तथा विद्यालय में रह कर विद्यार्थी अपने अध्यापकों से उनके सामयिक कथनों, आचार-व्यवहार एवं समस्याओं की पूर्ण समझ एवं तदनुसार उनकी प्रतिक्रिया से जो कुछ सीख पाता था और जिसके कारण उसके अपने व्यक्तित्व का निर्माण होता था, वह ऑनलाइन शिक्षा में असंभव हो गया।

परंतु इन सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण बात यह हुई कि कक्षा में तथा विद्यालय में रह कर विद्यार्थी अपने अध्यापकों से उनके सामयिक कथनों, आचार-व्यवहार एवं समस्याओं की पूर्ण समझ एवं तदनुसार उनकी प्रतिक्रिया से जो कुछ सीख पाता था और जिसके कारण उसके अपने व्यक्तित्व का निर्माण होता था, वह ऑनलाइन शिक्षा में असंभव हो गया। संभवतः इसीलिये N.C.E.R.T. के निदेशक श्री हृशीकेश सत्पथी ने कुछ अवधि पूर्व कहा था कि शिक्षा में अध्यापक द्वारा कक्षा में सशरीर उपस्थित होकर ज्ञान प्रदान करने का कोई विकल्प हो ही नहीं सकता।

संभवत: इसीलिये N.C.E.R.T. के निदेशक श्री हृशीकेश सत्पथी ने कुछ अवधि पूर्व कहा था कि शिक्षा में अध्यापक द्वारा कक्षा में सशरीर उपस्थित होकर ज्ञान प्रदान करने का कोई विकल्प हो ही नहीं सकता।

कतिपय उदाहरणों से उपर्युक्त बिंदु पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जायेगा। अपने विद्यार्थी जीवन में लेखक (उस समय संभवत: कक्षा 5-6 का विद्यार्थी) विद्यालय के मैदान में गेंद खेल रहा था। तभी एक वरिष्ठ अध्यापक श्री रामनाथ जी जो विद्यालय में ही रहते थे, मैदान के एक कोने में उदय हुये। तब तक लेखक अत्यंत जोर से गेंद फेंक चुका था (एक अन्य विद्यार्थी की ओर) जो लक्ष्य से भटक कर सीधे उनके गाल पर जा लगी। वे तिलमिला उठे। यह देखकर मैदान में खेल रहे विद्यार्थी चिल्लाने लगे 'सर, गेंद ओम प्रभात ने फेंकी थी।' लेखक चोर सदृश सर झुका कर उनके सामने खड़ा हो गया यह सोचते हुये कि अब सजा मिलेगी। परंतु उनकी प्रतिक्रिया केवल इतनी थी - 'तुमने जान बूझकर ऐसा थोड़े ही किया।' लेखक ने चैन की सांस ली और बड़प्पन, सद्व्यवहार तथा क्षमादान का पाठ पढ़ा।

इसी प्रकार एक अन्य अध्यापक थे - कृष्ण नारायण लाल। उन्होंने लेखक के हिंदी प्रेम की प्रवृत्ति पहचान ली थी और स्वयं हिंदी प्रेमी होने के नाते उसे हवा भी देते रहते थे। एक बार पुस्तकालय के घंटे में लेखक ने प्रेमचंद का 'सेवा सदन' पेनम करा कर घर ले जाना चाहा। परंतु पुस्तकालयाध्यक्ष ने पुस्तक हाथ से छीनते हुए कहा कि वह तो बड़े बच्चों के लिए थी। लेखक लाल साहब के पास पहुँचा दुखड़ा रोने के लिए। वे उसे लेकर पुस्तकालय गये और वहाँ निर्देश दिया कि लेखक कोई भी पुस्तक घर ले जाने को स्वतंत्र था, उसे कदापि रोका न जाए। वे कक्षा में भी उसे ललचाते रहते थे। नई-नई सद्य: प्रकाशित पुस्तकें दिखा कर वे कहते - 'देखो, दिनकर की 'रश्मिरथी' आई है अथवा महादेवी की 'अतीत के चलचित्र' गद्य पुस्तक प्रकाशित हुई है।' और वह तुरंत उनके पास पहुँच कर पुस्तक झपट लेता। वे हँसने लगते। वस्तुत: वे तो लाए ही होते थे उसके लिए। इस प्रकार उन्होंने उसके प्राकृतिक झुकाव को पहचान कर उसे सदैव ही पुष्ट करने का प्रयत्न किया। परिणाम हुआ कि विज्ञान का विद्यार्थी होने के उपरांत भी (पिता श्री के अतिशय आग्रह के कारण) उसका हिंदी प्रेम बना रहा और वह जीवन भर हिंदी के लिये एवं हिंदी में कार्य करता रहा। कहना न होगा कि लाल साहब के कारण उसके व्यक्तित्व को एक विशिष्ट पहचान मिली, जिसके लिए वह जीवन पर्यंत उनका ऋणी रहा।

स्पष्ट है कि गुरु का सान्निध्य विद्यार्थी को जिस प्रकार की प्रेरणा दे सकता है, एवं नागरिक बनने तक जिस प्रकार से उसके व्यक्तित्व को निखार कर एक विशिष्ट पहचान दे सकता है, ऑनलाइन शिक्षा में वह संभव ही नहीं है। ऑनलाइन शिक्षा तो विषय का ज्ञान दे सकती है, विद्यार्थी को व्यस्त रख सकती है और इसी प्रकार कुछेक आयाम व्यक्तित्व में जोड़ सकती है, परंतु अंतत: वह केवल मौलिकता से हीन एक मशीनी मानव ही तैयार कर सकती है, और कुछ नहीं। ऑनलाइन शिक्षा समयानुकूल अवश्य है, पर आत्मा से विहीन है। ऐसी शिक्षा से ऐसे व्यक्तित्वों का निर्माण जो देश और समाज को नेतृत्व प्रदान कर सकते हो, दिवास्वप्न मात्र होगा। ❑